पंडित नेकीराम शर्मा
अभिनन्दन-ग्रंथ

पंडित नेकीराम शर्मा

अभिनन्दन-ग्रन्थ

●

पं० नेकीराम शर्मा अभिनन्दन समिति

कलकत्ता

श्री हरदत्तराय सुक्ला
मंत्री, पंडित नेकीराम शर्मा, अभिनन्दन समिति, कलकत्ता द्वारा
प्रकाशित
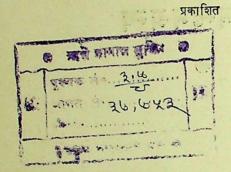
मार्च, १९५३
मूल्य
पाँच रुपये

पं० बृजलाल पाण्डेय
व्यवस्थापक, युनाइटेड कमर्शियल प्रेस लिमिटेड,
१, राजा गुरुदास स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा
मुद्रित

राष्ट्रपति के उद्गार

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
ता० २८,१०,५२.

पं० नेकीराम जी शर्मा से मेरा परिचय असहयोग आन्दोलन के आरम्भिक दिनों में ही हो गया था। उनमें देश और समाज की सेवा की अपूर्व लगन है और उन्हों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी प्रमुख भाग लिया है। समस्त देश और विशिष्टतया पंजाब की उन्हों ने काफी तकलीफ और त्याग के साथ सेवा की है। मुझे इस बात का हर्ष है कि उनके प्रति श्रद्धा प्रगट करने के लिये उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है किन्तु उनके प्रति सच्चा सम्मान और श्रद्धा तो उस सेवा भाव को अपनाकर ही प्रगट की जा सकेगी जिससे कि वे स्वयं प्रेरित हैं।
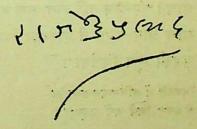
आभार

मैंने अपने जीवन में अनेक सभाएं देखीं, जिनमें मुझे नायक बनाकर पूजा गया, परन्तु जितना आनन्द और सुख मुझे आज प्राप्त हुआ, उतना कभी नहीं मिला। मैंने जहां काम आरम्भ किया, जो मेरा कार्यक्षेत्र रहा, उसी शहर में मेरा मान हो, यह खुशी की बात है। मैंने आज समझा कि प्रेम कितना अन्धा होता है। सबने मेरे गुणों का ही वर्णन किया, किसी ने मेरे अवगुण नहीं बतलाये। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। अब तो एक ही बात है। आपका यह सिपाही बूढ़ा हो गया है; परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि मैं युद्ध-भूमि में जख्मी हुआ हूं। घर में लेटकर बीमार नहीं हुआ। अब चाहे मैं मर जाऊं, परन्तु इस खुशी को साथ ले जाऊंगा। अभिनन्दन का जो कुछ आयोजन हुआ है, सब श्री हरदत्तरायजी सुग्ला के उद्योग का फल है। जो कृपा, जो श्रद्धा, जो प्रेम आप लोगों ने मेरे प्रति दिखाया है, वह वापस न लीजियेगा। मैंने जो काम इस इलाके में किया, आप लोगों के सहयोग से किया। मुझे खुशी है कि मैं देश को आजाद देख सका। मैंने लोकमान्य तिलक के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा की थी कि जबतक देश स्वतन्त्र न होगा, आराम से न बैठूंगा। यह प्रतिज्ञा प्रत्येक आपत्ति के समय मुझे याद रही है।

आप लोगों से मेरा कहना है कि आजादी मिल गई है, परन्तु आजादी का सुख नहीं मिला। जबतक प्रत्येक घर में आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं होते, सुख नहीं मिल सकता। यदि पांच-सात साल आप लोगों ने परिश्रम किया तो देश की समृद्धि बढ़ेगी और सबको सुख मिलेगा।

भिवानी में अभिनन्दन-समारोह में प्रकट किये गये उद्‌गार]

—नेकीराम शर्मा

निवेदन

भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता-प्रकाशन बहुत बड़ा गुण माना गया है और हमारे प्राचीन इतिहास में सेवापरायण व्यक्तियों के अनेक दृष्टान्त भी मिलते हैं। वर्तमान युग में यद्यपि यह गुण धीरे-धीरे लुप्त-सा होता जा रहा है तथापि उसकी महत्ता के विषय में दो मत नहीं हो सकते। यह ठीक है कि सेवा निःस्वार्थभाव से, गीता के शब्दों में, बिना फल की इच्छा रक्खे, की जानी चाहिये, लेकिन कृतज्ञता का तकाजा है कि हम अपने महान सेवकों का स्मरण करें और उन्हें उचित सम्मान प्रदान करें। ऐसा करने में तीन लाभ होते हैं—१—सेवा का आदर्श ऊँचा होता है। २—सेवा करनेवालों की उमंग बढ़ती है, और ३—उन्हें देख कर अन्य व्यक्तियों को भी सेवा करने की प्रेरणा मिलती है।

बहुत दिनों से हमारा ध्यान इस बात की ओर जा रहा था कि हमारी मातृभूमि भिवानी में जो सामाजिक तथा राजनैतिक जाग्रति हुई, वह और अधिक तेजी से क्यों नहीं हुई ? इसके कारण पर जब हमने विचार किया तो ऐसा अनुभव हुआ कि इसके लिये हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक जीवन में अनेक लोग आगे आए और उन्होंने भरसक समाज तथा राष्ट्र की सेवा की, किन्तु हम उनकी सेवाओं का उचित सम्मान नहीं कर पाये। सम्भवतः उसी का यह नतीजा हुआ कि अन्य सेवाभावी कार्य-कर्त्ताओं को, विशेषकर नई पीढ़ी के युवकों को, सेवा-मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा मिल सकती थी, वह नहीं मिली और थोड़ा-सा प्रोत्साहन पाकर जो प्रतिभाएं चमक उठ सकती थीं, वे दबी रह गईं।

कुछ ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर लगभग एक वर्ष पूर्व भिवानी के सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्व० जौहरीमलजी का स्मारक तैयार किया गया था। उसे देखकर हमें लगा कि जो सम्मान जौहरीमलजी को उनकी मृत्यु के बाद मिला, वह यदि उनके जीवनकाल में मिल गया होता तो कितनी बढ़िया बात होती।

भिवानी की महान विभूति पं० नेकीरामजी शर्मा के अभिनन्दन के मूल में बहुत कुछ यही भावना है। पंडितजी ने राष्ट्र तथा समाज की जो सेवाएं की हैं., उनका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। जब से उन्होंने सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया, अत्यन्त निःस्वार्थभाव, परिश्रमशीलता और त्याग के साथ उसमें जुटे रहे। उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के लिये भिवानी ही नहीं, अपितु सारा देश चिरकाल तक ऋणी रहेगा। राष्ट्र तथा समाज के उन्नायकों में उनका स्थान सदा ऊँचा रहेगा। ऐसे सेवापरायण व्यक्तियों को सार्वजनिक सम्मान मिलना ही चाहिए, यह विचार बराबर मन में बना रहा।

पिछली जून में दैवदुर्विपाक से पंडितजी की धर्मपत्नी का देहान्त हो गया और जब यह समाचार हम लोगों को मिला तो बड़ी वेदना हुई। साथ ही पंडितजी के अभिनन्दन का विचार अधिक तीव्र हुआ। हमने भिवानी-निवासी श्री उमरावसिंह गुप्त और श्री रामचन्द्र वैद्य तथा श्री भागीरथजी कानोड़िया, श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री रामेश्वरजी टांटिया, श्री बजरंगलाल लाठ आदि कलकत्ते के मित्रों से सलाह की तो वे न केवल इस विचार से सहमत ही हुए, अपितु इसके लिए उन्होंने सक्रिय सहयोग का भी आश्वासन दिया। परिणामतः १८ अगस्त १९५२ को 'मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी' के भवन में हम कुछ मित्र एकत्र हुए और सर्व-सम्मति से निश्चय किया कि पंडितजी का सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाय और इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित महानुभावों की एक अभिनन्दन-समिति बनाई गई—

(१) श्री भागीरथ कानोड़िया (२) श्री सीताराम सेकसरिया (३) श्री रामकुमार भुवालका (४) श्री बजरंग लाल लाठ (५) श्री राधाकृष्ण नेवटिया (६) श्री तुलसी राम सरावगी (५) श्री बसन्तलाल मुरारका (८) श्री रामेश्वर टांटिया (९) श्री मूलचन्द्र

अग्रवाल (१०) श्री भालचन्द शर्मा (११) श्री ईश्वरदास जालान (१२) श्री उमराव-सिंह गुप्त (१३) श्री रामचन्द्र वैद्य (१४) हरदत्त राय सुग्ला।

श्री भागीरथ जी अध्यक्ष और हरदत्त राय सुग्ला मंत्री निर्वाचित हुए।

अभिनन्दन के दो रूप निश्चित किये गए। एक तो धनसंग्रह करके पंडित जी को थैली समर्पित करना और दूसरे एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करना। हमें यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अपनी गुण-ग्राहकता का हमारे सभी मित्रों ने परिचय देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया और कुछ ही दिनों में धन-संग्रह करके कार्य को काफी आगे बढ़ा दिया।

ग्रन्थ की तैयारी में कारण वश काफी देर हो गई। अतः पंडितजी की वृद्धावस्था और उनके प्रायः अस्वस्थ रहने के कारण यह उचित समझा गया कि धन-राशि उन्हें जल्दी ही समर्पित कर दी जाय और ग्रन्थ तैयार हो जाने पर बाद में भेंट कर दिया जाय। परिणामस्वरूप ८ फरवरी १९५३ को श्री महावीर त्यागी (मंत्री-केन्द्रीय सरकार) की अध्यक्षता में भिवानी में सार्वजनिक अभिनन्दन समारोह किया गया, जिसका विवरण इस ग्रन्थ के अन्त में दिया गया है।

हर्ष की बात है कि ग्रन्थ अब तैयार हो गया है। इसके तीन मुख्य खंड हैं: पहले में पंडितजी का जीवन-परिचय है। दूसरे में पंडितजी के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं, जो उन्हीं के शब्दों में दी गई हैं। इन दोनों खंडों की सामग्री बड़े ही परिश्रम तथा लगन के साथ भिवानी-निवासी श्री देशबन्धु गुप्त शास्त्री ने तैयार की है। तीसरे खंड में राष्ट्रीय नेताओं तथा विद्वानों ने पंडितजी का अभिनन्दन करते हुए उनकी सेवाओं के प्रति श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं।

ग्रन्थ जैसा बन पड़ा है, पाठकों के सामने है। इसमें साहित्य अथवा कला की छटा भले ही न हो, किन्तु इसके पीछे बहुत से व्यक्तियों की श्रद्धा-भावना है और इसी मान-दण्ड से इस ग्रन्थ का मूल्यांकन किया जाय तो अच्छा रहेगा।

इस ग्रन्थ को उपयोगी सामग्री से सुसज्जित करने में जिन महानुभावों ने योग दिया है, उनके हम हृदय से ऋणी हैं। विशेषतः हम आभारी हैं अपने राष्ट्रपति श्रद्धेय डा० राजेन्द्रप्रसादजी के, जिन्होंने अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी इस ग्रन्थ के लिए कुछ लिख देने की कृपा की। अस्वस्थ होते हुए भी केन्द्रीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ग० वा० मावलंकरजी ने दो शब्द लिखकर हमें बहुत ही उपकृत किया। अन्य लोकनेताओं और समाज-सेवियों ने भी अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करके ग्रन्थ की शोभा और उपयोगिता बढ़ाई है। अतः इन सबके हम हृदय से आभारी हैं। श्री यशपालजी जैन ने समय-समय पर ग्रन्थ के सम्पादन तथा उसकी तैयारी में योग दिया। यदि वह इतने परिश्रम, उत्साह और निःस्वार्थ भाव से इस काम में न लगे होते तो न मालूम ग्रंथ कब और कैसा तैयार होता। इन सब सहयोग के लिए में उनका हृदय से आभार स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता। यदि ग्रन्थ में कोई अच्छाई है तो उसका श्रेय उक्त महानुभावों को है और यदि कोई त्रुटि अथवा अपूर्णता रह गई है तो उसके लिये हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

इस ग्रन्थ के द्वारा पंडितजी तथा उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि पंडितजी शतंजीवी हों और उनके परिपक्व अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को चिरकाल तक मिलता रहे।

अन्त में हम अपनी पुनीत मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, जिसने पंडितजी जैसे सेवा-निष्ठ पुरुष को जन्म दिया।

३ ए, मोतीलाल नेहरू रोड,
कलकत्ता
३१ मार्च १९५३

—हरदत्तराय सुग्ला
मंत्री

विषय-सूची

पंडित नेकीराम शर्मा

: १ :

जीवन-परिचय

✦

इन्द्र विद्यावाचस्पति
चन्द्रलोक, जवाहर नगर
दिल्ली द्वारा
गुरुकुल कांगड़ी पुस्तकालय को
भेंट

पंडित नेकीराम शर्मा

: १ :

जीवन-परिचय

✦

: १ :

पंडितजी के पूर्वज

पंजाब प्रान्त के हरियाणा (हिसार, रोहतक, गुड़गावां, करनाल) प्रदेश की पवित्र भूमि की ओर सरकार तथा भारत की जनता का बहुत ही कम ध्यान गया है; पर भारत में यही एक ऐसा प्रदेश है, जहां अबतक प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के चिन्ह अवशिष्ट हैं। इस भूमि में ऐसे श्रेष्ठ कवि, सुयोग्य शिक्षा-शास्त्री, गम्भीर राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक हुए हैं, जिनकी धाक सारे भारत में जमी रही। ऐसे ही राज-नीतिज्ञों में हरियाणा-केसरी पंडित नेकीराम शर्मा हैं।

पंडितजी मिश्रवंश से सम्बन्ध रखते हैं। आपके पूर्वज पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रहते थे। वहां से वे संवत् २६५ विक्रमी से मंगलोर जिला सहारनपुर में रहने लगे और वेद-विहित अपने ब्राह्मण-धर्म का पालन करते रहे।

इसके बाद इन्होंने संवत् ९२५ विक्रमी में मंगलोर छोड़ दिया और जिला रोहतक के केलंगा नामक गांव के समीप तालाब पर एक नगर बसाया, जिसका नाम अपने पहले निवासस्थान के नाम पर ही मंगोलसर रखा। मंगोलसर अब भी वर्तमान केलंगा से ३-४ फर्लांग की दूरी पर एक ऊजड़ खेड़े के रूप में पड़ा है और वहां पर एक तालाब है, जिसे गांव के लोग अब भी मंगोलसर ही कहते हैं। गांव के नाम पर आज भी मिश्रवंशियों को मंगलोरिया कहा जाता है।

संवत् १४६५ में भारत पर मुसलमानों का राज्य था और प्रजा में लूट-खसोट मची हुई थी। बलवान निर्बल को लूट लेता था और इस प्रकार सारे देश में अव्यवस्था थी। इसलिए परस्पर सहयोग की भावना से मंगोलसर-निवासी ब्राह्मण केलंगा चले गए और वहां गहलोट-वंशी राजपूतों के साथ प्रेमपूर्वक रहने लगे। इसी मिश्रवंश में पंडित परशुराम का जन्म अपने नानके ग्राम मढाणा (जिला हिसार) में हुआ।

श्री परशुराम मिश्र जामदग्नि परशुराम की तरह वीर और साहसी थे। वे सन् १५७५ ई० में अपनी माता के साथ केलंगा आ गए और वहीं पर अपना बाल्यकाल व्यतीत कर यौवन को प्राप्त हुए।
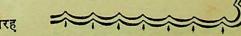
कहते हैं, सन् १५९५ में शहाबुद्दीन बिलोच ने केलंगा पर आक्रमण किया। गांव के राजपूत तथा ब्राह्मणों ने बिलोचों का डट कर मुकाबला किया। लड़ते-लड़ते बिलोचों के पैर उखड़ गए और वे भाग निकले। इस युद्ध में मिश्रवंश ने बड़ी वीरता दिखाई। उनके १७ वीर लड़ाई में काम आए। पंडित परशुराम उनमें एक थे।

पंडित परशुराम का वंश बढ़ता गया और आजकल तो केलंगा में ब्राह्मणों के सौ से अधिक घर हैं, जो श्री परशुराम मिश्र के वंशज हैं। इन्हीं श्री परशुराम के वंशजों में एक पंडित पृथ्वीराम मिश्र हुए हैं।

पंडित पृथ्वीराम मिश्र व्याकरण और भागवत के बड़े विद्वान् और कर्मकाण्डी ब्राह्मण थे। उनके एक पुत्र पंडित हरिप्रसाद मिश्र थे, जो बहुत सरल स्वभाव के और नेक थे। उन्हीं के यहां पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म आश्विन कृष्ण पंचमी संवत् १९४४, तदनुसार ८ सितम्बर सन् १८७७ में हुआ। पंडितजी की माता श्रीमती बरजोदेवी सोरखी गांव तहसील हांसी की थीं।*

: २ :

बाल्यकाल और शिक्षा

पंडित नेकीरामजी की प्रारम्भिक शिक्षा अपने बाबा श्री पंडित पृथ्वीराम के पास हुई। उन्होंने अपने बाबाजी से 'व्याकरण-चन्द्रिका' तथा कर्मकांड के ग्रंथ पढ़े और ११ वर्ष की अवस्था में ही पंडिताई का काम आरम्भ कर दिया।

पंडितजी को तुलसीकृत रामायण बहुत प्रिय थी और उनका कंठ बहुत मधुर था। वह लोगों को रामायण सुनाया करते थे और जब चौपाइयों का पाठ करते

*** हरिप्रसाद मिश्र के पांच पुत्र उत्पन्न हुए : (१) पं० हरगोपाल, (२) पं० चन्द्रमणि, (३) पं० रामचन्द्र, (४) पं० नेकीराम, और (५) पं० मुसद्दीलाल। पं० मुसद्दीलाल का संवत् १९०८ में हैजे से देहान्त हो गया और पंडितजी की माताजी भी उन्हीं दिनों इसी बीमारी में चल बसीं।**

तो लोग उनके स्वर और चौपाइयों की व्याख्या पर मुग्ध होकर उनकी बहुत प्रशंसा करते थे ।

उस समय पढ़ाई के साधन आजकल की तरह सुलभ नहीं थे । विद्यार्थी एक लकड़ी की तख्ती पर तेल डाल लेते और उसके ऊपर राख जमाकर कलम से लिखते थे। पंडितजी ने भी अपनी शिक्षा इसी प्रकार ग्रहण की ।

दुर्भाग्यवश सन् १९०० ई० में पंडित पृथ्वीराम मिश्र का देहान्त हो गया और नेकीरामजी की शिक्षा अधूरी रह गई । अपनी कमी को पूर्ण करने के लिए वह सीतापुर (अवध) चले गए और वहां विक्टोरिया संस्कृत पाठशाला में प्रविष्ट हो गए । उस पाठशाला के अध्यापक पंडित विश्वनाथ शुक्ल बड़े गम्भीर और विद्वान् थे और वे पंडितजी पर बहुत स्नेह रखते थे ।

अवध में एक अच्छे रईस थे । उन्हें संस्कृत के श्लोक सुनने का बड़ा शौक था । वह छात्रों को पाठशाला से बुला लेते और उनसे श्लोक सुनते और सब छात्रों को पेड़े बांटा करते थे । पंडितजी की स्मृति बहुत तेज थी । वह एक बार जिस बात को जिस रूप में सुन लेते फिर उसे उसी रूप में सुना देते थे । उनकी इस विशेषता का उस जमींदार महाशय को पता लगा और उसने उनको सत्कारपूर्वक बुलाकर एक श्लोक पढ़ा । पंडितजी ने तत्काल उस श्लोक को दोहरा दिया । जमींदार पंडितजी की इस विशेषता से बहुत प्रभावित हुए । फिर तो उनको प्रति सप्ताह अपने घर बुलाते और श्लोक आदि में संस्कृत-वाणी सुनकर पेड़ों से आपका सत्कार करते तथा दो रुपये भी साथ में देते । (उस समय के दो रुपए आजकल के तीस-चालीस रुपए के बराबर थे) ।

पंडित विश्वनाथ सीतापुर के अंगरेज सेशंस जज को 'रघुवंश' पढ़ाया करते थे । एक बार कार्यवश उन्हें कहीं जाना पड़ा । जाने से पहले वे अपने सुयोग्य छात्र नेकीराम को उस जज के पास ले गए और उससे उनका परिचय कराकर कहा, "मैं तीन दिन के लिए बाहर जा रहा हूं । मेरे स्थान पर आपको यह बालक पढ़ा जाया करेगा ।" पंडितजी को काव्य का बहुत शौक था और उनका पढ़ाना उस अंगरेज को बहुत पसन्द आया ।

एक दिन अंगरेज ने कहा, "पंडित, अंगरेजों की बुद्धि बहुत तेज होती है ।" आपने झट से कहा, "हिन्दुस्तानी से बढ़कर कोई तेज बुद्धिवाला नहीं होता ।" उस जज ने परीक्षा लेने के लिए एक अंगरेजी वाक्य बोला । उन्होंने उसे ज्यों-का-त्यों दोहरा दिया । इसके बाद पंडितजी ने उससे संस्कृत शब्दों का उच्चारण करवाया। उनमें एक शब्द था 'स्तुति'। वह अंगरेज इस शब्द को 'स्टुटी' बोलता था । तब पंडितजी ने हंसते हुए उससे कहा, "संस्कृत बोलना तो दूर, आप हिन्दी भी शुद्ध नहीं बोल सकते।" उसने कहा, कैसे ?
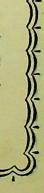
पंडितजी ने कहा, "आप तुम को भी "टुम" बोलते हो।" इससे वह अंगरेज बड़ा लज्जित हुआ।

पंडित नेकीराम केवल बुद्धि के ही तेज नहीं थे, शारीरिक रूपसे भी काफी बलवान थे। कुश्ती का उन्हें बहुत शौक था। एक बार की बात है। सीतापुर के एक बड़े जमींदार श्री सोमेश्वरदत्त शुक्ल ने पंडितजी के साथ कुश्ती लड़ी। पंडितजी ने उसे थोड़ी देर में चारों खाने चित्त दे मारा। वह गुणग्राही मनुष्य था। इस पराजय से पंडितजी का प्रतिपक्षी शत्रु होने की बजाय वह उनका घनिष्ट मित्र बन गया; क्योंकि वह जानता था कि शारीरिक और बौद्धिक बल, दोनों गुण एक साथ किसी बड़े भाग्यवान पुरुष में ही प्राप्त हो सकते हैं।

कुछ समय पश्चात् श्री सोमेश्वरदत्त शुक्ल का विवाह हुआ। उनकी बरात सांडी जिला हरदोई में गई। बरात में लगभग ५०० आदमी थे, पंडितजी भी सम्मिलित हुए। श्री सोमेश्वरदत्त शुक्ल ने पंडितजी को सवारी के लिए सीतापुर से सांडीतक एक हथिनी दी।

अवध में एक रिवाज है कि बरात पहुंचने के बाद सम्बन्धियों का परस्पर मिलन होता है। उसमें जहां सम्बन्धी परस्पर मिलते हैं, वहां दोनों तरफ के पंडित लोग मन्त्र और श्लोक पढ़ते हैं। जब सोमेश्वरदत्त के सम्बन्धी आपस में मिले तब लड़कीवालों के पक्ष के एक पंडित का मुकाबला कोई न कर सका। ऐसी स्थिति में सोमेश्वरदत्त ने पंडितजी को डेरे से बुलाने के लिए पुनः हथिनी भेजी और पंडितजी ने जब मन्त्र तथा श्लोक बोले तो उस विद्वान की बोलती बन्द हो गई। सब-के-सब श्रोता और विद्वान उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करने लगे।

पंडितजी की विद्वत्ता पर प्रसन्न हो अगले रोज वही कान्यकुब्ज ब्राह्मण आपसे अपनी लड़की का वाग्दान करने के लिए डेरे पर आए, पर जब उन्हें पता लगा कि आप 'गौड़' हैं तो वे निराश लौट गए और उन्हें बड़ा दुःख हुआ; क्योंकि कान्यकुब्ज और गौड़ ब्राह्मणों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता था।

विक्टोरिया संस्कृत पाठशाला की शिक्षा समाप्त कर पंडितजी सीतापुर से काशी चले गए और वहां क्वीन्स कालेज में भरती हो गए। वहां भी काफी समय व्याकरण और साहित्य पढ़ा। अनंतर सन् १९०५ ई० में फिर सीतापुर आ गए। सीतापुर आते ही पंडितजी ने 'श्री सनातनधर्म-वर्द्धिनी सभा' स्थापित की। उसकी बैठक प्रति सप्ताह होती थी और पंडितजी उसमें बोलते थे।

: ३ :
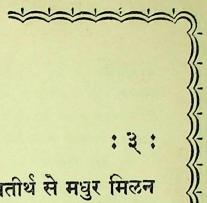
स्वामी रामतीर्थ से मधुर मिलन

सीतापुर से चार मील की दूरी पर एक ग्राम है खैराबाद। वहां भारत के प्रसिद्ध संन्यासी स्वामी रामतीर्थ पधारे। पंडितजी को स्वामीजी का पता चला और उन्होंने बिना किसी से पूछे सनातनधर्म सभा का अधिवेशन बुला लिया और उस अधिवेशन के लिए स्वामीजी को लेने चल दिए। जब शर्माजी खैराबाद पहुंचे तो पता लगा कि स्वामीजी एक बाग में ठहरे हुए हैं। पंडितजी बाग में पहुंचे। उस बाग का स्वामी कोई साधु था। उसने पंडितजी को स्वामीजी से मिलने नहीं दिया और अपने बाग से निकाल दिया, पर पंडितजी को किसी से पता लग गया कि स्वामीजी बाग के अमुक कमरे में ठहरे हुए हैं। पंडितजी साधु से आंख बचाकर उस कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचे और वहीं बैठ गए।

थोड़ी देर के बाद एक तेजस्वी साधु कमरे से बाहर निकले और पेशाब करने एक तरफ चले गए। उनके तेज और रूप से पंडितजी ने अनुमान लगा लिया कि ये ही स्वामी-जी हैं। जब स्वामीजी लघुशंका करके कमरे में आए तो पंडितजी भी उनके साथ अन्दर चले गए। इतने में वही साधु उस कमरे में आ धमका और पंडितजी को वहां देखकर आगबबूला हो गया। वह पंडितजी को धमकाने लगा तथा कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा। पंडितजी रोने लगे और अपने श्रद्धालु भक्त को रोते देख दयालु-स्वभाव स्वामी रामतीर्थ भी रोने लगे।

स्वामीजी को रोते देख वह साधु हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह क्या बात है। इतने में स्वामीजी ने मौन भंग किया और उस साधु को बाहर जाने को कहा। स्वामीजी ने पंडितजी से आने का कारण पूछा और उन्होंने बतला दिया। स्वामीजी खैराबाद से सीतापुर जाने के लिए तैयार हो गए।

जब स्वामीजी के सीतापुर जाने का पता लगा तो वह साधु स्वामीजी की सेवा में आकर बोला, "महाराज! यहां पर भी लोगों को आपकी वाणी सुनने का समय दे रखा है।" स्वामीजी ने उत्तर दिया, "राम तो वहीं जायंगे जहां यह बच्चा कहेगा।" इतने में दो-चार श्रोता आ गए। सीतापुर से गवर्मेन्ट हाईस्कूल के संस्कृत अध्यापक पंडित सीताराम शास्त्री भी आए और पंडितजी से बोले, "सीतापुर में सनातनधर्म सभा
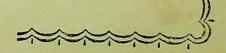
का अधिवेशन नहीं होगा । इसलिए स्वामीजी को वहां चलने का कष्ट न दिया जाय ।" पंडितजी ने भी सब बातों को देख वहीं पर स्वामीजी से भाषण करने की प्रार्थना की । जब स्वामीजी भाषण देने लगे तो उन्होंने पंडितजी को अपने सामने बैठा लिया और बड़ा ही प्रभावशाली भाषण दिया ।

एक बार सीतापुर में श्री गणेशदत्त कन्नोजिए पधारे और उनका भाषण हुआ। व्याख्यान बड़ा मधुर और प्रभावशाली था। शर्माजी उनके बोलने पर बहुत प्रभावित हुए । तभी से उन्होंने भी बोलने का अभ्यास आरम्भ कर दिया । शुरू में तो वह लिखकर और याद करके बोलते थे, पर फिर धीरे-धीरे अभ्यास हो गया और वैसे ही बोलने लगे ।

: ४ :

विवाह और संतानें

सन् १९०५ में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन था । श्री गोखले उसके प्रधान थे। पंडितजी भी उस अधिवेशन में दर्शक के रूप में शामिल हुए । उन्होंने सबसे पहले वहीं महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी के दर्शन किए । उनके दर्शन से पंडितजी बहुत प्रभावित हुए । मालवीयजी अंगरेजी में भाषण देते थे । पंडितजी अंगरेजी न जानते हुए भी नेताओं के व्याख्यान सुनते थे। यह था उनका व्याख्यान सुनने का शौक ! उन्हीं दिनों कांग्रेस अधिवेशन के बाद टाउनहाल बनारस में एक सभा हुई, जिसमें मालवीयजी का भाषण हिन्दी में हुआ और हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापित करने का विचार प्रकट किया ।

अब पंडितजी को काशी में रहते हुए सभाओं में जाने का शौक हो गया । एक दिन वह एक सभा में व्याख्यान दे रहे थे तो उनके पास से भारत के अद्वितीय विद्वान पंडित शिवकुमार शास्त्री गुजरे । उन पर पंडितजी के व्याख्यान का गहरा प्रभाव पड़ा और वह

चलते खड़े हो गये और व्याख्यान सुनने लगे। व्याख्यान सुनकर उन्होंने कहा, "इस लड़के का जब इस समय यह हाल है, तो आगे जाकर न जाने क्या बनेगा !"

अभी पंडितजी बनारस में ही थे कि घरवालों का पत्र आया कि हमें तुम्हारा विवाह करना है। इसलिए तुम्हें लेने आ रहे हैं। यह पढ़ते ही पंडितजी ने उन्हें लिख दिया कि मैं अभी साल भर विवाह नहीं कराऊँगा और काशी छोड़ रहा हूं। काशी से चलकर वह अयोध्या आ गए और अपना अध्ययन जारी रखा।

अयोध्या में रहते हुए रामनवमी का त्योहार आया। पंडितजी को पैसे की आवश्यकता पड़ती ही थी। इसलिए आपने एक सेठ से २० रुपए की मान उधार ले ली और दो पैसा प्रति रुपया काटकर लोगों को बेचने लगे। अकस्मात् उन्हीं मान लेनेवालों में सीताराम शास्त्री भी आ गए। उन्होंने पंडितजी को पहचान लिया और उनके भागने पर घरवालों की व्याकुलता का पता दिया। इसके बाद पंडितजी को सीताराम अपने घर बहरामघाट ले गए और वह वहां दो मास रहे। तत्पश्चात् पंडितजी फिर सीतापुर पहुंचे; पर अब एक वर्ष पूरा हो चुका था।

पंडितजी की एक साल की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। वह घर आ गए और सन् १९०७ में उनका विवाह राणीलावास, जिला दादरी (पैप्सू) में कर दिया। उनकी धर्म-पत्नी का नाम नान्हीदेवी था, जो बिलकुल अशिक्षित होती हुई भी बहुत ही नेक स्वभाव की थीं और अपने पति के काम में कभी बाधा बनकर खड़ी नहीं हुई।[1]

पंडितजी के तीन पुत्र और सात पुत्रियां उत्पन्न हुईं। पुत्रों में सबसे बड़े श्री मोहनकृष्ण[2] हैं और पुत्रियों में से केवल तीन जीवित हैं।[3]

---

[1] आपकी धर्मपत्नी का देहान्त १ जून १९५२ ई० को हो गया।

[2] पं० मोहनकृष्ण शर्मा आयुर्वेदाचार्य भिवानी में टी० आई० टी० मिल में वैद्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

[3] पुत्रियों में--

बड़ी पुत्री चन्द्रकला का विवाह नरवाणा (पैप्सू) में, सोमकला का जोधपुर में, शान्ति का जब्बलपुर में और दुर्गादेवी का राजगढ़ में हुआ। इनमें दुर्गादेवी का देहान्त हो गया।

: ५ :

पण्डिताई
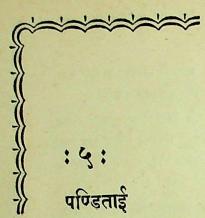
विवाह के पश्चात् एक बार पंडितजी ने सीतापुर का चक्कर लगाया और वहां मित्र-मंडली से मिल-जुलकर वापस अपने गांव केलंगा आ गए और पंडिताई करने लगे। पंडितजी ने अपनी पंडिताई की फीस ज्यादा कर दी। जहां विवाह का सवा रुपया मिलता था, उन्होंने अपनी दक्षिणा ५) रख दी। इसी प्रकार सत्यनारायण की कथा आदि की दक्षिणा भी काफी बढ़ा दी। इसके दो कारण थे: पहला तो यह कि पंडितजी को इन सबसे अश्रद्धा हो चुकी थी अर्थात् इनको ढोंग समझते थे और इनसे बचना चाहते थे। दूसरे, गांव में निर्वाह के दो ही साधन थे, खेती या पंडिताई। इसलिए आय बढ़ाने के लिए ही पंडितजी ने अपनी फीस बढ़ाई। फीस बढ़ाने पर भी लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई।

सीतापुर के एक सेठ के यहां पंडितजी के भाई श्रीचन्द्रमणि काम करते थे। वे सेठजी की आज्ञानुसार पंजाब की मंडियों में माल खरीदते थे। पर वह उस समय विधुर थे। इसलिए उनकी शादी की तैयारी होने लगी और पंडितजी उन्हें लेने कोटकपूरा पहुंचे, पर वे कोटकपूरा छोड़ चुके थे और सक्खर चले गए थे। पंडितजी ने सीतापुर सेठजी को लिखा कि भाईसाहब को छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि उनका विवाह होना है। सेठजी ने उत्तर दिया कि उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल सकती और तुम भी यहीं दुकान पर काम करो। पंडितजी कोटकपूरा रहने लगे।

दिवाली के दिन सेठ लाला ऋषिराम महाजन ने पंडितजी के मित्रों द्वारा प्रार्थना की कि वे गोपाल सहस्रनाम का दिवाली की रात्रि में १०८ बार पाठ कर दें। मित्रों के आग्रह से उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और सेठजी को बुलाया गया। सेठजी ने पंडितजी से प्रार्थना की, "मैं आपसे यह पाठ कराना चाहता हूं।" पंडितजी ने दक्षिणा पूछी तो उन्होंने कहा, "चार आने प्रति पाठ की परिपाटी है।" पंडितजी ने इससे इन्कार कर दिया। तब वे ३१) देने के लिए तैयार हो गए। शर्माजी ने कहा, "मैं तो अपनी फीस १०८) लूंगा। वह ५१) देने को राजी हो गए। इधर जब पंडितजी अपनी फीस तय कर रहे थे तो मन में संग्राम मचा हुआ था। आत्मा तो इस काम से घृणा अनुभव कर रही थी। मन रुपयों का लोभ कर रहा था। आखिर आत्मा की विजय हुई और पंडितजी ने सेठजी से कहा कि अब मैं १०८) पर भी करने को तैयार नहीं हूं।"
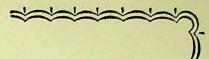
कुछ दिन कोटकपूरा रह कर पंडितजी फिर घर आ गए और गांव में ही रहने लगे। गांव में आप बम्बई का साप्ताहिक पत्र 'वेंकटेश्वर समाचार' मंगाते थे और गांव के लोगों को उसकी खबरें सुनाया करते थे। इसके बाद सन् १९०७ में मालवीयजी का साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' प्रयाग से निकलने लगा और आपने उसे भी मंगाना शुरू किया। 'अभ्युदय' में शर्माजी के लेख निकलते रहते थे और कभी-कभी 'वेंकटेश्वर समाचार' में भी प्रकाशित होते थे। उन दिनों हरियाणा में पंडितजी ही ऐसे लेखक थे, जिनका नाम 'अभ्युदय' में आता था।

: ६ :

भीष्म-प्रतिज्ञा

सन् १९०७ में पंडितजी ने 'वेंकटेश्वर' पत्र में पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन का समाचार पढ़ा। इस समाचार से पंडितजी के हृदय पर चोट लगी और आपने प्रतिज्ञा की कि **"जबतक अंगरेजी राज्य समाप्त नहीं होगा, चैन से नहीं बैठूंगा।"**

सन् १९०८ में लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चला और सजा हुई। जब आपने तिलक के कारावास का समाचार पढ़ा तो एक दिन का व्रत किया और ऊपर की हुई प्रतिज्ञा को दुहराया।

: ७ :
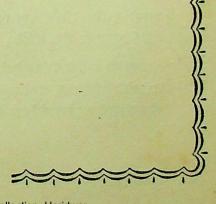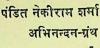
राजनीति में प्रवेश और मुसीबतें

ऊपर की दोनों घटनाओं से विदेशी सरकार के प्रति पंडितजी को घृणा हो गई। उस समय आपके विचार हिंसा-विरोधी न थे।

उन दिनों रोहतक जिले में अकाल पड़ा हुआ था। इसके साथ ही जमीनों का स्थायी बन्दोबस्त किया जा रहा था। उसका खर्च भी गांव के लोगों पर ही पड़ता था। इसलिए सरकार ने लगान बढ़ा दिया था। उस अत्याचार से व्याकुल होकर पंडितजी ने 'अभ्युदय' में एक लेख **'विपत्ति पर विपत्ति'** शीर्षक से लिखा। जब आपका यह लेख पंजाब सरकार की नजर पड़ा तो वह चौकन्नी हुई और रोहतक के सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे पंडितजी की गतिविधि का ध्यान रक्खें। साथही पंडितजी को भी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे लेख न लिखें।

जब सरकारी पत्र गांव में पहुंचा, पंडितजी 'सनातन धर्म सभा' के उत्सव में पंडित दीनदयाल के साथ पटियाला गये हुए थे। वहां पर पंडित दीनदयाल के चाचा का पत्र आया कि "पुलिस कप्तान झझर आये थे। वे तलाशी लेना चाहते थे। हमने उनसे कह दिया कि पंडित नेकीराम से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं।" पंडित दीनदयाल ने शर्माजी से जिक्र किया और पूछा कि आगे क्या करें। आपने उत्तर दिया कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें।

पंडितजी की गैरहाजिरी में जिले के पुलिस कप्तान ने आपके परिवार के व्यक्तियों को रोहतक बुला लिया और कहा कि नेकीराम तो आपके घरमें दूधमें खटाई बन गया है। वह सरकार के विरुद्ध बहुत काम करता है। भोले-भाले घरवालों ने भी साहब के सामने आपकी बुराई की और कहा कि हम उसे घर से निकाल देंगे और सरकार को कोई शिकायत का मौका न देंगे।

पर जब शर्माजी घर पधारे तो घरवालों ने आप पर बड़ा क्रोध प्रकट किया और खरी-खोटी सुनाई। तब आपने कहा, "मुझे किसी जायदाद की जरूरत नहीं है। सरकार को अत्याचारी कह देना कोई पाप नहीं और मैं ऐसा ही करता रहूंगा।"

इसके बाद आप रोहतक पधारे और एस० पी० साहब से मिले। एस० पी० साहब अंगरेज थे। उन्होंने आपको सम्मान-पूर्वक कुर्सी पर बिठाया। आपने एस० पी० साहब से शिकायत की। कहा, "अपराध तो मैं करूं और आप सतायें घरवालों को। यह न्याय-विरुद्ध है।" साहब ने उत्तर दिया, "पंडितजी, ऊपर से हुक्म आया था। हमें उसकी जांच करनी थी। वह नम्बरदारों द्वारा न करके आपके घरवालों से कर ली। यह कोई बुरी बात नहीं।" बड़ी देर तक बातचीत होती रही। इतने में ३०–४० पुलिस के सिपाही आ गये। एस० पी० महोदय को उन्हें ट्रेनिंग देनी थी। इसलिए उन्होंने शर्माजी से प्रेम-पूर्वक कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर साहब से और मिल लें और जो बातें हों, मुझे बता कर जायं।

पंडितजी डिप्टी कमिश्नर जोजफ साहब की कोठी पर पहुंचे। वहां जाकर चपरासी के जरिये अपने आने की सूचना दी। डिप्टी कमिश्नर ने जोर से चपरासी से कहा, "कह दो कुछ देर खड़े रहे। हमें कुछ काम है।" पंडितजी उसके अभिमानी तथा कड़े स्वभावको समझ गये। कुछ देर बाद जब आप बुलाये गये तो साहब कुर्सी पर बैठे थे। कमरे में और कोई कुर्सी न थी। उन्होंने शर्माजी का आदर नहीं किया। शर्माजी ने भी उसका अभिवादन नहीं किया। डी० सी० ने कहा, "तुम्हें मालूम है कि राजद्रोह का क्या फल भुगतना पड़ेगा ?" पंडितजी ने निडरता से कहा, "मैं उसके लिए तैयार हूं।" दो-तीन मिनट बात करके आप डी० सी० के बंगले से एस० पी० महोदय की कोठी पर आये और उन्हें सारा समाचार सुनाया। तब एस० पी० महोदय ने भी दुःख-सा अनुभव किया और कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मेम को बुलाया और पंडितजी की ओर संकेत करके कहा, "यह इस जिले का पहला आदमी है, जो पालीटिक्स (राजनीति) में दखल देता है।" इसके पश्चात् साहब ने पंडितजी से फोटो खींचने की स्वीकृति लेकर आपका फोटो खींच लिया। सन् १९०८ में शर्माजी को खबर लगी कि सरदार अजीतसिंह सूफी और श्री अम्बाप्रसाद दोनों होशियारपुर के पर्वतों में हैं। आपके हृदय में उनसे मिलने की इच्छा हुई और आप होशियारपुर पहुंचे। वहां आपने अपने आपको सनातन धर्म सभा का उपदेशक घोषित किया और सनातन धर्म सभा होशियारपुर के मंत्री पंडित जगन्नाथ वकील से मिले। उनके परामर्श से आप सनातन धर्म हाई स्कूल में ठहरे।

अब शर्माजी सनातन धर्म सभा की आड़ में होशियारपुर को केन्द्र मानकर वहां के गांवों में घूमने लगे। बहुत से गांव देखे और सनातन धर्म सभा का प्रचार किया, पर आपके होशियारपुर जाने का उद्देश्य पूरा न हुआ।

कुछ दिन पश्चात् पुलिस को आप पर सन्देह हुआ और खुफिया पुलिस आपके पीछे

रहने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने आपको ठहराने से इन्कार कर दिया। होशियारपुर में प्रचार करते-करते चिन्तपूर्णी का मेला आ गया। आप मेले में भी इसी-लिए गये कि सम्भवतः सरदार अजीतसिंह और पं० अम्बाप्रसाद से भेंट हो जाय। जाते हुए वह पंडित जगन्नाथजी का एक पत्र वहीं के पटवारी के नाम लेते गये। इसलिए चिन्तपूर्णी में पटवारी के पास ठहरे। पटवारी के यहां सामान रखकर आपने लोगों से मिलना-जुलना आरम्भ किया और व्याख्यान दिया। शाम को लौटकर जब पंडितजी पटवारी के घर आये तो देखा कि आपका सामान मकान के बाहर पड़ा हुआ है। पटवारी काफी भयभीत दिखाई देता था। कहने लगा, "मेरे यहां से चले जाइये।"

रात हो चुकी थी। इसलिए आप जाते तो कहां जाते ? अतः एक वृक्ष के नीचे ही रात बिताई।

उस मेले में दो-तीन सज्जन आपको ऐसे मिले जो आपके काम को बहुत पसन्द करते थे। उनमें से एक ने कहा, "आप परसों पक्कावड़ाला पहुंच जायं। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मनुष्य इस इलाके में इस काम में सहायक हैं, उनको वहां इकट्ठा कर दूं।"

पंडितजी अगले रोज पक्काबड़ाला के लिए चल दिए। रात के भूखे थे और चलते-चलते अगले दिन दोपहर हो गया था। पुलिस के भय से सामान को उठाने के लिए मज-दूर नहीं मिल सका। इसलिए आपने स्वयं अपना सामान अपने कन्धों पर उठाया और लगभग दो बजे रायपुर सूदान पहुंचे। पहाड़ी की तराई में एक डिग्गी थी। उसमें हाथ-मुंह धोया और थककर बैठ गये। जब पहाड़ के ऊपर की तरफ दृष्टि डाली तो वहां एक अच्छा मकान दिखाई दिया। उस पर पहुंचने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई थीं। पंडितजी ने सामान कन्धे पर उठाया और उस मकान की ओर चल दिये। वहां पहुंच कर बाहर मकान के चबूतरे पर सामान रखकर बैठ गये। कोठी में से एक सज्जन निकले। उन्होंने आपसे आने का कारण पूछा तो पंडितजी ने जवाब दिया, "मैं आगे जा रहा हूं। थोड़ी देर विश्राम के लिए यहां बैठ गया हूँ।" उन्होंने कहा, "आप कोठी के भीतर आ जाइये।" पंडितजी अन्दर पहुंचे और वहां कुछ शान्ति अनुभव की। कोठी के मालिक ने खाने के लिए पूछा तो आपने बेवक्त जानकर इन्कार कर दिया और कहा, "थोड़ा-सा पानी पियूंगा।"

कोठी के स्वामी ने उन्हें आम खिलाये। अनंतर चांदी के बड़े कटोरे में मलाईदार दूध पिलाया।

वह सज्जन 'वेंकटेश्वर समाचार पत्र' पढ़ रहे थे। पंडितजी ने देखा कि जो वह पढ़ रहे थे, वह उन्हीं का लेख था। मालिक मकान ने पढ़ते-पढ़ते पूछा तो पंडितजी ने

कहा कि जिस लेख को आप पढ़ रहे हैं वह तो मेरा ही है। इस पर उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई और लगे आग्रह करने कि दो-चार दिन और ठहरें। चूंकि पंडितजी को पक्कावड़ाला पहुंचना था, इसलिए उनका आग्रह स्वीकार न किया। पंडितजी ने उन सज्जन को धन्यवाद दिया और चल दिये।

पक्कावड़ाला पहुंचकर पंडितजी एक सज्जन के घर ठहरे। अगले रोज तीन-चार आदमी आपसे मिले। उन मिलने वालों में वह मनुष्य भी था, जो आपको चिन्तपूर्णी के मेले में मिला था। उन्होंने आपसे कहा कि सरदार अजीतसिंह और अम्बाप्रसाद अब यहां नहीं हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि वे देश से बाहर चले गये। पंडितजी पक्कावड़ाला से पुनः होशियारपुर लौट आये और वहां एक दिन ठहर कर अगले रोज बिजवाड़ा की तरफ दौरे पर चल पड़े। वहां आपको श्री जगदीशचन्द्र और श्री बाबूराम ने अपने यहां ठहराया और व्याख्यान कराया।

बिजवाड़ा महात्मा हंसराज का जन्म-स्थान है। वहीं पर आपने विचार किया कि मुझे कलकत्ता जाना चाहिए और आप उसी दिन कलकत्ता को रवाना हो गये। श्री जगदीशचन्द्र भी आपके साथ थे। दोनों कलकत्ता पहुंच गये।

: ८ :

कलकत्ता में

जिस गाड़ी से पंडितजी कलकत्ता पहुंचे उसी गाड़ी में सनातनधर्म के नेता व्याख्यान-वाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा भी थे। उनके स्वागत के लिए ४०-५० मारवाड़ी सेठ स्टेशन पर आये हुए थे। पंडित दीनदयाल ने आपसे पूछा, "तुम कहां ?" आपने कहा कि मैं कलकत्ता देखने आ गया हूं। पंडित दीनदयाल शर्मा तो सेठ ज्ञानी-राम हलवासिया के मकान पर चले गये और पंडितजी अपने साथी सहित छोटू मिश्र की धर्मशाला में ठहरे।

उस दिन जन्माष्टमी थी। कार्यक्रम यह बना कि पहले श्रीसुरेन्द्रनाथ बैनर्जी से मिलना चाहिए। सुरेन्द्रबाबू बैरिकपुर में रहते थे। वे दिन में समाचार-पत्र के सम्पादन का काम करते और रात को घर आ जाते। काफी खोज के बाद पता चला कि श्री बैनर्जी दोपहर के समय सियालदाह स्टेशन पर उतरते हैं। आप वहीं पहुंच गये और सुरेन्द्रबाबू की प्रतीक्षा करने लगे। ट्रेन आई और उससे उतरते ही श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी से आप मिले। जब आपने श्री बैनर्जी से कुछ पूछनेकी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, "मेरे पास समय थोड़ा है। अच्छा हो यदि तुम मेरे साथ दफ्तर चलो। रास्ते में बात कर लेंगे।"
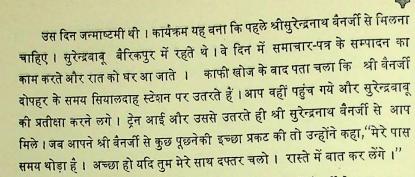
स्टेशन के बाहर उनके लिए घोड़ागाड़ी तैयार थी, उसी में बैनर्जी के साथ सवार होकर दफ्तर पहुंचे। पंडितजी ने बैनर्जीबाबू से बम बनाने की विधि पूछी तो उन्होंने हँसकर कहा, "मालूम होता है कि तुमको किसी ने बहका दिया है। मैं न तो बम बनाना जानता हूं और न इस काम को पसन्द करता हूं।" तब शर्माजी ने पूछा, "अब मुझे किस-से मिलना चाहिए?" बैनर्जीबाबू ने कहा, "मुझे क्या मालूम?" कुछ देर और बात-चीत करने के बाद पंडितजी ज्ञानीराम हलवासिया के मकान का पता लिखवाकर धर्मशाला में आ गये।

उन दिनों माणिकतल्ला-बम केस चल रहा था, जिसमें श्री अरविन्द घोष भी अभि-युक्त थे। पंडितजी ने केस सुनने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, पर सफल न हुए। अपने साथीको तो पंडितजीने वापस भेज दिया और स्वयं कुछ दिन और कलकत्ते में रहनेका विचार किया। तब आप धर्मशाला छोड़कर श्री ज्ञानीराम हलवासिया के मकान पर चले गये और वहीं पर रहने लगे।

उन्हीं दिनों नाईटोला में विष्णु यज्ञ हो रहा था। उसमें पंडित दीनदयाल का व्याख्यान था। पंडितजी यज्ञ में पहुंचे और आपको पांच मिनट बोलने के लिए मिले। आपका छोटा-सा व्याख्यान लोगों को बहुत पसन्द आया और उन्होंने आगे फिर व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया। पंडितजी ने इसे स्वीकार कर लिया।

परन्तु अगले ही दिन उन्हें तार से बीस रुपये का एक मनिआर्डर, जो श्री सुरेन्द्र-बाबू के पते से आया था और जिसे उन्होंने श्री ज्ञानीराम हलवासिया के पते पर पहुंचा दिया, आपको मिला। तार पर श्री बैनर्जी का पता देखकर पं० दीनदयाल शर्मा बहुत घबराये और डांटकर कहने लगे कि सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी से तुम्हारा क्या सम्बन्ध? तुम यहां से चले जाओ। पंडितजी ने कहा, "अच्छा, चला जाऊंगा।"

शाम को श्री ज्ञानीराम हलवासिया अपने मकान पर पहुंचे तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने उन्हें मनिआर्डर का किस्सा बतलाया और कहा कि मैंने इन्हें यहां से जाने के लिए कह दिया है।
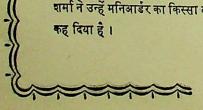
पं० दीनदयाल की बात सुनकर सेठ ज्ञानीराम बहुत हँसे और कहने लगे, "पंडितजी, यह मकान तो मेरा है और दादा नेकीरामजी (सेठ ज्ञानीराम पंडितजी को 'दादा' कहकर पुकारते थे।) हमारे इलाके के रहने वाले हैं। यह बैनर्जी या किसी और से मिलें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह यहीं ठहरेंगे।"

इस चर्चा से व्याख्यान का प्रबन्ध करने वाले सज्जनों का साहस गायब हो गया।

एक दिन दोपहर के समय एक सज्जन पं० उमापति ने पंडितजी को सूचना दी कि जेल में गोसाई नरेन्द्र का खून हो गया है और कातिल कन्हैयालाल दत्त बतलाया जाता है। पंडितजी इस समाचार से बहुत संतुष्ट हुए और आपने कई जगह जाकर यह समाचार अपने मिलने वालों को सुनाया।

कुछ दिन कलकत्ता रहने के बाद पंडितजी घर चले आये।

१९१० के दिसम्बर में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन था और उसके साथ एक बड़ी नुमाइश हो रही थी। आप उसे देखने इलाहाबाद चले गये।

: ९ :

समाज-सेवा

इलाहाबाद में मित्रों से बातचीत के बाद शर्माजी ने निश्चय किया कि राजनैतिक काम से समाज-सुधार का काम किसी तरह भी कम महत्व का नहीं है। इसलिए राजनैतिक जागृति करने के पहले सामाजिक सुधार करना चाहिए। सामाजिक सुधार में राजपूताने में शेखावाटी का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। इसीलिए राजपूताने के शेखावाटी प्रान्त को ही चुना गया।

उन दिनों इलाहाबाद में फतहपुर के बड़े सेठ श्री रामदयाल नेवटिया आये हुए थे। सेठजी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और साहित्य-प्रेमी भी। पंडितजी उनसे मिले। उस समय सेठजी की कमर झुक गई थी, पर फिर भी वे भागवत का पाठ बिना चश्मे के ही किया
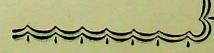
करते थे। वे विद्या-व्यसनियों के प्रेमी थे। सेठजी ने पंडितजी के विचारों को बहुत पसन्द किया और फतहपुर आने का निमन्त्रण दिया।

पंडित झाबरमल शर्मा जो कि जसरापुर (खेतड़ी) के रहने वाले हैं, मिले। वे भी हिन्दी के लेखक और साहित्य-प्रेमी हैं। एक बार बम्बई में उनसे मुलाकात भी हो चुकी थी। पंडित झाबरमलजी ने भी पंडितजी के समाज-सुधार के काम में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया।

समाज-सुधार के महान उद्देश्य को लिए हुए पंडितजी सबसे पहले जसरापुर पहुंचे और वहां पंडित झाबरमल शर्मा को साथ लेकर शेखावाटी के दौरे पर चल दिये। जसरापुर से चड़ावा गये। लोगों की बात-चीत और व्यवहार से पंडितजी ने अनुभव किया कि इस प्रान्त के लोग बड़े रूढ़िवादी और पिछड़े हुए हैं। इसलिए यहां काम करने की बहुत आवश्यकता है।

पंडितजी ने शुरू में बाल-विवाह, बेजोड़ विवाह, वृद्ध-विवाह तथा स्त्री के रहते हुए और विवाह, विवाह और उत्तर-क्रियाओं में फिजूलखर्ची का विरोध किया। बालिकाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया तथा विदेश में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी कराई। आरम्भ में पंडितजी ने अपने व्याख्यानों का यही कार्य-क्रम रखा।

इन्हीं दिनों ऋषिकुल हरिद्वार का जलसा था। पंडित झाबरमल शर्मा ने पंडितजी को सुझाव दिया कि हमें हरिद्वार चलना चाहिए, क्योंकि वहां कलकत्ते से कई मारवाड़ी सज्जन आयंगे और उनसे मिलकर हमें उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए। दोनों हरिद्वार पहुंचे, लेकिन जिस उद्देश्य से गये थे, वह पूरा न हो सका। फिर पंडित झाबरमल तो वहां से कलकत्ता चले गये और पंडितजी वापिस अपने गांव केलंगा आ गये।

गांव में कुछ दिन विश्राम करने के बाद पंडितजी पुनः शेखावाटी के दौरे पर चल दिए। पहले आप फतहपुर पहुंचे और वहां से सेठ रामदयाल के अतिथि बन कर रहे। शर्माजी ने फतहपुर में कई व्याख्यान दिए, जिनमें सामाजिक कुरीतियों का बड़े प्रभावशाली ढंग से खंडन किया। फतहपुर में प्रचार का फल यह हुआ कि एक 'कुरीति निवारिणी सभा' बन गई, जिसमें नेवटिया-वंश के कई सदस्य बने।

शेखावाटी में सेठों द्वारा संचालित संस्कृत की अनेक पाठशालाएं थीं। पंडितजी ने उनका निरीक्षण किया और जब उनकी पाठ्य-परिपाटी को दूषित पाया तो आपने मालिकों और अध्यापकों को परामर्श दिया कि वे अपनी पाठशालाओं के विद्यार्थियों को काशी, जयपुर और पंजाब की संस्कृत परीक्षाओं के लिए तैयार करें। बात बड़ी साधारण और लाभकारी थी, लेकिन अध्यापकों को यह पसन्द नहीं आई और उन्होंने पंडितजी
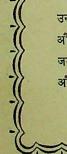
की इस सम्मति का घोर विरोध किया। वे आपको उल्टी-सीधी सुनाने लगे। जब कभी आप उनकी पाठशालाओं में बातचीत करने जाते तो अध्यापक लोग आपको बहुत कटु-वचन कहते।

एक दिन पंडितजी ऊंट पर चढ़ कर रामगढ़ से बिसाऊ जा रहे थे। कुछ विद्यार्थियों ने जंगल में घेर लिया और ऊंट पर से गिराने का प्रयत्न करने लगे। पंडितजी ने तत्काल अपना डंडा हाथ में ऊपर उठाया और बन्दूक की तरह तान कर जोर से कहा, "परे हट जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में ऐसा हथियार है कि जिससे सबकी जान ले लूंगा।" विद्यार्थी दूर भाग गये। फिर पंडितजी ने उनको अपने पास बुलाकर पूछा, "मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम मुझे मारते हो ?" विद्यार्थी खिसियाकर बोले—"कुछ नहीं। हम तो अपने अध्यापक के कहने से यहां आये हैं और उनकी प्रेरणा से ही सबकुछ कर रहे हैं।" उनके अध्यापक का नाम पंडित मूलचन्द था। पंडितजी बिसाऊ पहुंचे और वहां के लोगों ने आपके व्याख्यानों का प्रबन्ध कर दिया। शर्माजी के बिसाऊ में कई व्याख्यान हुए। एक व्याख्यान गढ़ (राजमहल) में हुआ। उन दिनों राजा बिशनसिंह गद्दी पर थे। आपके व्याख्यानों का महाराज पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने लोगों से आपके कार्य-विधि की प्रशंसा की।

धीरे-धीरे शेखावाटी में विरोध कम होने लगा और लोग पंडितजी को हर प्रकार से सहयोग देने लगे।

उस दौरे में पंडितजी जब लक्ष्मणगढ़ गये तो वहां सेठ जमनालाल बजाज से मुलाकात हुई। वह वहां आये हुए थे। जमनालालजी उस समय मारवाड़ी सेठ के रूपमें थे। उनके कानों में जंजीरदार मुरकी (कुंडल) थीं और वे सोने के कड़े और सोने की तगड़ी पहने हुए थे। दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां। सिर पर जरी से कढ़ी हुई गोल टोपी। पंडितजी ने सेठजी से बातचीत की तो उन्होंने आपके सारे कार्यक्रम को पसन्द किया और सहयोग का वचन दिया। तब पंडितजी ने सेठजी को धन्यवाद देकर हंसते हुए कहा, "जमनालालजी, आप यदि इस पहनावे को छोड़ दें तो सुधार का काम जल्दी हो जावेगा।" उसके बाद पंडितजी ने जमनालालजी को उस पहनावे में कभी नहीं देखा।

यह कार्य सन् १९१० से प्रारम्भ हुआ था और सन् १९१३ में इसकी प्रगति से पंडितजी को काफी संतोष हुआ। इस कार्य के लिए आपको एक-एक शहर में कई-कई बार जाना पड़ा और वहांपर लोगों द्वारा किये हुए विरोध का सामना करना पड़ा। कईबार आपको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता था। किसी वृक्ष के नीचे सोकर रात गुजारते थे। इस प्रकार के
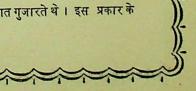
काम में आपने अनेक बार भोजन न मिलने के कारण उपवास किया, पर अपने काम में किसी प्रकार की शिथिलता न आने दी।

पंडितजी ने देखा कि राजनीति की दृष्टि से यह प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है और यही कारण है कि यहां के रहने वाले कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में जाकर भी राजनैतिक क्षेत्र से प्राय: अलग रहते हैं। इस कमी की पूर्ति के लिए पंडितजी ने 'मारवाड़ी महासभा' स्थापित करने का विचार प्रकट किया। उसमें मारवाड़ प्रान्त का रहने वाला हर व्यक्ति शामिल हो सकता था।

पंडितजी ने इस सभा की स्थापना की आवश्यकता तो समाज-सुधार के लिए ही बताई, किन्तु वास्तव में सभा का मूल उद्देश्य राजनैतिक था और उसे गुप्त रक्खा गया। पंडितजी ने उस उद्देश्य को अपने अंतरंग मित्रों में प्रकट कर दिया था।

पंडितजी ने देखा कि जागीरदारों की मनमानी से लोगों को बहुत कष्ट है और लोग मामूली से सरकारी कर्मचारी से भी भयभीत हो जाते हैं।

पंडितजी की इच्छा थी कि यदि यह प्रदेश जाग उठे तो राजनैतिक क्षेत्र में बड़ा काम होगा। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर आपने इश्तहार छपवाकर बहुत जगह वंटवाये और इस प्रान्त के सम्माननीय व्यक्तियों के पास भेजे; परन्तु आपको कहीं से भी सन्तोषजनक सहयोग नहीं मिला। तब आपने प्रतिज्ञा की **कि जबतक सभा कायम नहीं होगी तबतक पान और छाते का प्रयोग नहीं करूंगा।**

आपने अपना प्रयत्न जारी रखा और अपने इस शुभ उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई बार कलकत्ता और बम्बई गये। सन् १९१८ में सेठ जमनालाल बजाज (उस समय के राय साहब) ने सुझाव दिया कि यदि पंडितजी **'मारवाड़ी अग्रवाल महासभा'** स्थापित करना चाहें तो अपना पूरा सहयोग दूंगा।

: १० :
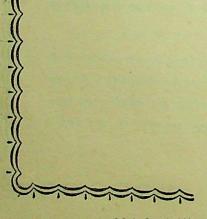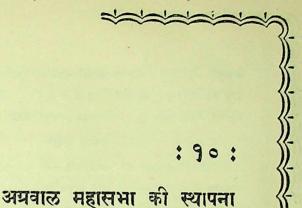
अग्रवाल महासभा की स्थापना

पंडितजी सहमत हो गये और 'मारवाड़ी अग्रवाल महासभा' स्थापित कर दी गई। उसका प्रथम अधिवेशन वर्धा में करना निश्चय हुआ।

पंडितजी वर्धा जा बैठे और वहां स्वागत समिति बनाकर अधिवेशन की तैयारी का काम आरम्भ कर दिया। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री जमनालाल बजाज बने। पंडितजी ने समस्त प्रस्ताव, महासभा की नियमावली और सेठजी का व्याख्यान वहीं बैठ कर लिखा।

अधिवेशन करने का समय सर्दी के आरम्भ में निश्चित हुआ था। सब तैयारी प्रायः हो चुकी थी। पन्डाल भी बन गया था, लेकिन अचानक वर्धा में इन्फ्लूएँजा फैल गया। अधिवेशन स्थगित करना पड़ा। फिर अधिवेशन सर्दी के अन्त में चैत्र मास में वर्धा में ही हुआ। सभापति बम्बई वाले सेठ श्री खेमराज (वेंकटेश्वर प्रेस के मालिक) बने। जलसा बड़ा शानदार हुआ। पंडितजी को इन्फ्लूएँजा हो गया था और उसके बाद आपको ज्वर और खांसी की तकलीफ सता रही थी। अधिवेशन के समय भी आप बीमार ही थे; लेकिन जलसे का सब काम आपने ही किया।

महासभा का अगला अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसमें विशेष बात यह थी कि महात्मा गांधी मद्रास में हिन्दी प्रचार के लिए रुपया चाहते थे। महासभा के अधिवेशन में एकत्रित धनिकों से उन्हें रुपया पाने की आशा थी, किंतु मारवाड़ी सेठ महात्माजी के उस व्याख्यान से असंतुष्ट हो गये थे, जिसमें उन्होंने मारवाड़ियों को 'सूदखोर' कहा था। श्री जमनालाल बजाज महात्माजी के भक्त थे, लेकिन असंतुष्ट बिरादरी से वह भी डरते थे। जमनालालजी ने पंडितजी से उपाय पूछा। पंडितजी ने कहा—"महात्माजीको अधिवेशनमें बुला लिया जाय। सब ठीक हो जायगा।" परिणामस्वरूप महात्माजी को अधिवेशन में शामिल होने के लिए बुला लिया गया और उनके आने से पहले पंडितजी ने सभा में कहा—"हमें सब बातें भुला कर देश के महान नेता का आदर करना चाहिए।" महात्माजी आए और थोड़े से शब्दों में उन्होंने अपने आने का अभिप्राय

बतलाया और कहा–"मैंने मारवाड़ी-समाज को 'सूदखोर' नहीं कहा। मेरे कहने का अभिप्राय उन लोगों से है जो यही धन्धा करते हैं।" इस पर पंडितजी ने महात्माजी का स्वागत किया और पूछा, "आपको कितना रुपया चाहिए ?"

महात्माजी ने कहा—"पचास हजार।"

पंडितजी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा–"हिन्दी प्रचार जैसे भले काम, महात्मा गांधी जैसे दानपात्र और मारवाड़ी सेठों जैसे दानी, इन तीनों बातों का ध्यान करते हुए में आप लोगों से अपील करूंगा कि आप पचास हजार रुपया इनको दे दें, ताकि महात्माजी को इसके लिए और कहीं न जाना पड़े।" इस पर लोगों ने तालियां बजाईं और तालियों की गड़गड़ाहट में पंडितजी ने घोषित कर दिया, "महात्माजी, आपको पचास हजार रुपये मिल जायँगे।"

महासभा के सभी अधिवेशनों में पंडितजी को जाना पड़ता था। आपने अनुभव किया कि महासभा के कोष में धन होना चाहिए। श्री जमनालाल बजाज से सम्मति लेकर पंडितजी ने अपील की और छः लाख रुपया जमा हो गया। वह धन 'जातीय कोष' कहलाया और विद्यार्थियों को सहायता देने आदि के कार्य में उसका उपयोग किया जाने लगा।

आगे चलकर मारवाड़ी शब्द उड़ा दिया गया और सभा का नाम केवल 'अग्रवाल महासभा' रखा गया। इसका फल यह हुआ कि सब प्रान्तों के अग्रवाल सभा में सम्मिलित हो गये। पंडितजी की बड़ी इच्छा थी कि अगरोहा में महासभा का अधिवेशन किया जाय और सरकार से प्रार्थना की जाय कि वहां खंडहरों को खुदवाकर प्राचीन स्मारकों को प्राप्त करे। परन्तु महासभा के अधिकारियों ने पंडितजी की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय पश्चात अग्रवाल महासभा का अधिवेशन अगरोहे में हुआ भी, लेकिन पंडितजी उसमें शामिल नहीं हुए।

पंडितजी ने कलकत्ते के मारवाड़ी समाज को प्रगतिशील देखा और सभी क्षेत्रों में उसका थोड़ा बहुत काम भी पाया, लेकिन बम्बई का मारवाड़ी समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां अन्य समाजों के लोगों की दृष्टि में मारवाड़ी ऊँचे न थे। पंडितजी जब सन् १९११ में पहली बार बम्बई गये तो आपने इस चीज को अनुभव किया। पंडितजी ने देखा कि विक्टोरिया (घोड़ागाड़ी) वाले मामूली कोचवान पुकार कर यह कहते थे, "ओ मारवाड़ी, हटो!" पंडितजी को यह बहुत बुरा लगा और आपने अपने व्याख्यानों में मारवाड़ी समाज का ध्यान इस अपमान की ओर दिलाया। तब बम्बई में 'मारवाड़ी सम्मेलन' नाम की संस्था कायम हुई और उसके संचालकों से पंडितजी ने कहा– "आप लोगों को कलकत्ते के मारवाड़ी भाइयों की तरह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए।"

सम्मेलन के अधिकारियों में श्री मदनलाल जालान, श्री गोविन्दलाल पित्ती, पंडित माधोप्रसाद, श्री रामेश्वरदास बिड़ला आदि काम करते थे। कोचवानों की जबान ठीक करने के लिए दो-चार वार कई मारवाड़ी नवयुवकों ने उन कोचवानों को पीटा भी। फल यह हुआ कि कुछ दिनों के बाद यह सम्बोधन समाप्त हो गया।

आगे चलकर श्री जमनालालजी के उद्योग से बम्बई में 'मारवाड़ी विद्यालय' स्थापित हो गया। इसकी स्थापना में पंडितजी का बहुत हाथ था।

इस प्रकार कुछ दिन बम्बई रहकर पंडितजी अपने गांव केलंगा में आ गये।

लगभग सन् १९१८ क

कि आपको जल्दी ही पहुँच

अगले रोज पंडितजी

भी आपको ठहरने के लिए

विश्वम्भरदास के यहां रखव

साहब के चपरासी के द्वारा

ने कहा—"कह दो, थोड़ी देर

साहब ने कहा, "चार बजे अ

जब पंडितजी डी० सी० के

पंडितजी से कहा—"आइए,

बड़े चकित हुए। जब पंडित

कुछ बातचीत करने की इच्छ
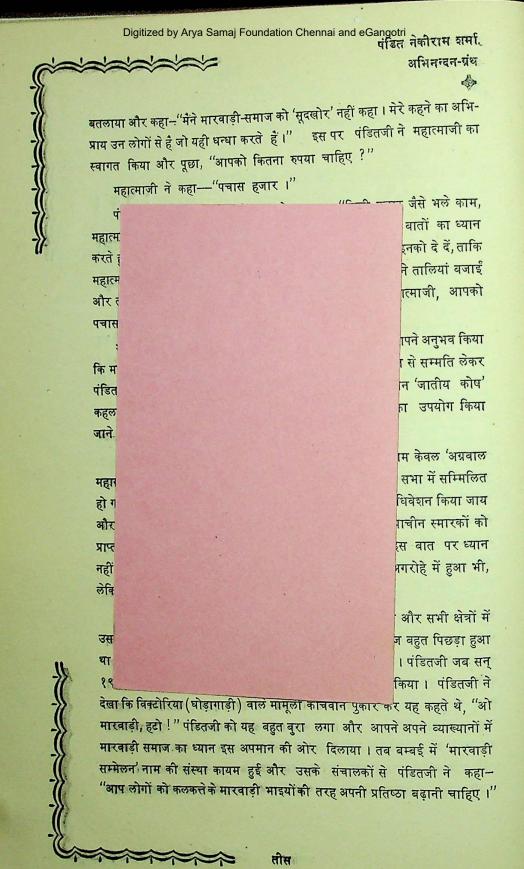
पंडितजी ने कहा कि मैं आपसे तब बातचीत करूंगा जब आप अपने पिछले व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांग लेंगे।

बतलाया और कहा-"मैंने मारवाड़ी-समाज को 'सूदखोर' नहीं कहा। मेरे कहने का अभि-
प्राय उन लोगों से है जो यही धन्धा करते हैं।" इस पर पंडितजी ने महात्माजी का
स्वागत किया और पूछा, "आपको कितना रुपया चाहिए ?"

महात्माजी ने कहा—"पचास हजार।"

पं
जैसे भले काम,
महात्म
बातों का ध्यान
करते इ
इनको दे दें, ताकि
महात्म
ने तालियां बजाईं
और त
त्माजी, आपको
पचास

आपने अनुभव किया
कि म
से सम्मति लेकर
पंडित
न 'जातीय कोष'
कहल
का उपयोग किया
जाने

म केवल 'अग्रवाल
महा
सभा में सम्मिलित
हो ग
धिवेशन किया जाय
और
प्राचीन स्मारकों को
प्राप्त
इस बात पर ध्यान
नहीं
अगरोहे में हुआ भी,
लेकि

और सभी क्षेत्रों में
उस
ज बहुत पिछड़ा हुआ
था
। पंडितजी जब सन्
१९
किया। पंडितजी ने
देखा कि विक्टोरिया (घोड़ागाड़ी) वाले मामूली कोचवान पुकार कर यह कहते थे, "ओ
मारवाड़ी, हटो !" पंडितजी को यह बहुत बुरा लगा और आपने अपने व्याख्यानों में
मारवाड़ी समाज का ध्यान इस अपमान की ओर दिलाया। तब बम्बई में 'मारवाड़ी
सम्मेलन' नाम की संस्था कायम हुई और उसके संचालकों से पंडितजी ने कहा–
"आप लोगों को कलकत्ते के मारवाड़ी भाइयों की तरह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए।"

सम्मेलन के अधिकारियों में श्री मदनलाल जालान, श्री गोविन्दलाल पित्ती, पंडित माधोप्रसाद, श्री रामेश्वरदास बिड़ला आदि काम करते थे। कोचवानों की जवान ठीक करने के लिए दो-चार बार कई मारवाड़ी नवयुवकों ने उन कोचवानों को पीटा भी। फल यह हुआ कि कुछ दिनों के बाद यह सम्बोधन समाप्त हो गया।

आगे चलकर श्री जमनालालजी के उद्योग से बम्बई में 'मारवाड़ी विद्यालय' स्थापित हो गया। इसकी स्थापना में पंडितजी का बहुत हाथ था।

इस प्रकार कुछ दिन बम्बई रहकर पंडितजी अपने गांव केलंगा में आ गये।

: ११ :

त्याग का अनुपम उदाहरण

लगभग सन् १९१८ की बात है। पंडितजी को थाने की मारफत संदेश मिला कि आपको जल्दी ही पहुँच कर रोहतक में डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए।

अगले रोज पंडितजी रोहतक पहुँचे। पंडितजी कई स्थानों पर गये, पर कहीं भी आपको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। आखिरकार आप अपना सामान पंडित विश्वम्भरदास के यहां रखकर दो बजे डी० सी० साहब के दफ्तर में गये। डिप्टी साहब के चपरासी के द्वारा आपने अपने आने की सूचना उन्हें भिजवाई। डी०सी०साहब ने कहा—"कह दो, थोड़ी देर ठहरें।" थोड़ी देर के बाद आपको अन्दर बुलाया गया। साहब ने कहा, "चार बजे आना।" पंडितजी पुनः चार बजे साहब की कोठी पर पहुँचे।

जब पंडितजी डी०सी० के कमरेसे दूर ही थे तो साहबने बड़े प्रेमसे और सत्कार-पूर्वक पंडितजी से कहा—"आइए, पंडितजी।" साहब के इस परिवर्तित व्यवहार से पंडितजी बड़े चकित हुए। जब पंडितजी अन्दर गये तो साहब ने आपसे बैठने के लिए कहा और कुछ बातचीत करने की इच्छा प्रकट की।

पंडितजी ने कहा कि मैं आपसे तब बातचीत करूंगा जब आप अपने पिछले व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांग लेंगे।
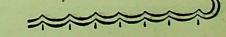
डी० सी० साहब ने अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और साहब तथा पंडितजी में निम्नलिखित बातचीत हुई :

डी० सी६--पंडितजी, आपकी जायदाद कितनी है ?

पंडितजी--थोड़ी-सी ।

डी० सी०--आप अपने व्याख्यान में क्या कहते हैं ?

पंडितजी—मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा ।

डी० सी०--आपकी बम्बईवाली स्पीच 'कीचक-बध' का क्या अभिप्राय है ?

पंडितजी—मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा ।

डी० सी०--लोकमान्य तिलक स्वराज्य कैसे लेंगे ?

पंडितजी—जैसे भी हो ।

डी० सी०—आपको सर छोटूराम से मिलना चाहिए ?

पंडितजी—मैं जानता हूँ कि मुझे किससे मिलना चाहिए ।

डी० सी०—आपको इधर जेलखाना मिलेगा और उधर सरकार को सहायता देने में २५ मुरब्बे (जो लगभग ढाई लाख रुपये की लागत के होते हैं) जमीन का इन्तजाम कर देता हूँ ।

पंडितजी—आप जमीन से मुझे इनाम देना चाहते हैं । मैं तो यह सारी जमीन अपनी मानता हूँ और आप मुझे इसमें से २५ मुरब्बे देकर प्रसन्न करना चाहते हैं ! मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारी जमीन पर आपका जो अधिकार है, वह एक दिन जरूर हमारे पास आ जायगा । रही चौ० छोटूराम के साथ काम करने की बात । मेरी कोशिश उन्हें अपने साथ करने की होगी । आपने रंगरूट भरती करने को कहा । मेरा प्रयास होगा सारी सेना को अपने साथ मिलाने का ।

इस प्रकार पंडितजी और डी० सी० के बीच संवाद हुआ ।

: १२ :

राजनीति में भाग
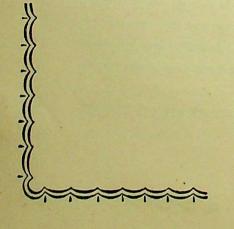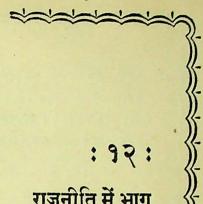
पंडितजी राजनीति में श्री लोकमान्य तिलक को अपना गुरु मानते हैं। उनके दर्शन पहली बार सन् १९१७ में बम्बई की एक सभा में हुये थे। दक्षिण अफ़्रीका में भारतीयों के साथ अत्याचार के विरुद्ध एक सभा महात्मा गान्धी ने बुलाई थी। उसमें पंडितजी का भाषण हुआ था। उस भाषण को जनता ने और नेताओं ने बहुत पसन्द किया। आपने कहा, "एक कुन्ती के अपमानित करने के फलस्वरूप बड़ा भारी महाभारत का युद्ध हो गया था और अपमानित करने वालों को उनके दुष्कर्म की पूरी-पूरी सजा दी गई थी; लेकिन आज कुन्ती पर घोर अत्याचार हो रहे हैं और सारे भारतवासी अपने आपको जीवित समझते हैं! इतना सुनकर श्री लोकमान्य तिलक रो पड़े। पंडितजी ने देखा तो कहा, "देखो, भारत रो रहा है। अब यह आशा करनी चाहिए कि इस प्रकार के अत्याचार न हो सकेंगे।" व्याख्यान के बाद लोकमान्य ने पंडितजी को अपने पास बुलाया और अगले दिन मिलने के लिए कहा।

अगले दिन आपने श्री लोकमान्य के दर्शन किये और उनसे उस समय की राजनीति पर बातचीत की। श्री लोकमान्य ने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाने का आयोजन किया था, जो भाद्रपद शुक्ला में होता है। जब उत्सव का दिन निकट आया तो श्री लोकमान्य ने पंडितजी से कहा कि आप बरार और मध्यप्रदेश के उत्सवों में भाग लें। वहां मारवाड़ी बहुत रहते हैं। उनको होमरूल में शामिल करना चाहिए। पंडितजी को जगह-जगह से निमन्त्रण मिले और उन्होंने इस सिलसिले में पहला भाषण यवतमाल में दिया। अन्य कई शहरों में व्याख्यान हुए। फलस्वरूप हजारों लोग होमरूल लीग के सदस्य बन गये। फिर तो प्रतिवर्ष आपको बुलाया जाता था और आप कई साल तक जाते भी रहे।

वर्धा में पंडितजी सेठ जमनालालजी बजाज के घर ठहरते थे। एक दिन की बात है कि पंडितजी और सेठजी बाग से लौटे तो डिप्टी कमिश्नर का आदमी सेठ जमनालालजी को बुलाने के लिए खड़ा हुआ था। सेठजी बिना भोजन किये ही उसके साथ हो लिये। कुछ देर बाद जब जमनालालजी वापस लौटे तो हंसते हुए हाथ जोड़कर बोले, "धन्य हो

गुरुजी, आप तो बहुत खतरनाक हैं !" डिप्टी कमिश्नर ने सेठजी से कहा था कि वह नेकीरामजी को अपने यहां न ठहरावें। सेठजी ने जवाब दिया कि मेरा राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। पंडितजी मेरे गुरु हैं। इस नाते वह मेरे यहां ठहरते हैं। इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं समझता।

सन १९१७ के अन्त में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। डा० एनी बेसन्ट इसकी अध्यक्षा थीं। लोकमान्य तिलक उसमें आये थे। पंडितजी ने स्वागत समिति से पूछा, "लोकमान्य तिलक के स्वागत का क्या प्रबन्ध है ?" उत्तर मिला कि अध्यक्ष को छोड़कर स्वागतसमिति किसी और के स्वागत का प्रबन्ध नहीं करती। तब पंडितजी ने बड़े बाजार के लोगों की एक स्वागतसमिति संगठित की और लोकमान्य का बड़ा भारी स्वागत हुआ। लोकमान्य को एक खुली लैन्डोगाड़ी में बैठाया गया और घोड़ों की बजाय नौजवानों ने उस गाड़ी को खींचा। पंडितजी कोचबक्स पर झंडा लिए बैठे थे और वहीं से जलूस का संचालन कर रहे थे। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा जलूस इससे पहले कभी नहीं निकला।

कांग्रेस के बाहर भी कई जलसे होते थे। बीडन पार्क में एक सभा हुई, जिसमें 'अमृत बाजार पत्रिका' के संचालक व सम्पादक के सभापतित्व में लोकमान्य तिलक का व्याख्यान हुआ। उनके व्याख्यान के पहले पंडितजी बोले। उन्होंने लोकमान्य को सम्बोधित करते हुए कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही बोलिये।" वैसा ही हुआ। तिलक टूटी-फूटी हिन्दी में बोले। लोगों को वह भाषण बहुत पसन्द आया। यहां याद रखने की बात है कि लोकमान्य को पंडितजी हिन्दी पढ़ाते थे।

सन् १९१८ में विचार हुआ कि लोकमान्य का उत्तर भारत में दौरा हो और वह सब जगह हिन्दी में बोलें। इस काम के लिए पंडितजी लोकमान्य के पास पूना गये हुए थे। उसी समय दिल्ली से वारंट की खबर अखबारों में निकली।

दिल्ली में श्री आसफअली और पंडितजी के खिलाफ अभियोग लगाया था कि वे सरकारी आर्डरको तोड़कर बोले हैं। श्री आसफअली तो दिल्लीमें गिरफ्तार हो चुके थे और नेकीरामजी को पकड़ने के लिए पुलिस बम्बई आनेवाली थी। लोकमान्य तिलक ने यह खबर पंडितजी को सुनाई। पंडितजी ने निर्भीकता से कहा, "यह कोई नई चीज नहीं है।" लोकमान्य ने बचने के लिये प्रबन्ध करने को कहा। पंडितजी ने उत्तर दिया, "मैं बचना नहीं चाहता। फौरन गिरफ्तार होना चाहता हूं।" इससे लोकमान्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, "मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। तुम यहीं गिरफ्तार हो जाओ।" तब पंडितजी ने कहा, "मेरी गिरफ्तारी के समय आपके घर की तलाशी हो सकती है। मैं
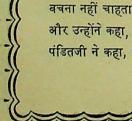
नहीं चाहता कि मेरे कारण आपकी तलाशी हो।" लोकमान्य इस बात से सहमत होते हुए। बोले, "अच्छा, आप जाओ। मुकद्दमा लड़ने के लिए प्रबन्ध कर दिया जायगा।"

तब पंडितजी बम्बई होकर दिल्ली आ गए और आते ही गिरफ्तार हो गए। जब आप १० बजे अदालत में उपस्थित हुए तो उसी समय आपकी जमानत दे दी गई और आप रिहा हो गए। केस बहुत लम्बा चला और अन्त में आप और श्री आसफअली दोनों बरी हो गए।

आप घर न आकर सीधे बम्बई चले गए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हो रहा था। उसमें मांटगू-चेम्सफोर्ड स्कीम पर विचार होना था। उस अधिवेशन में पंडितजी बोले। कांग्रेस के अधिवेशन में उनका यह पहला व्याख्यान था। अधिवेशन के बाद पंडितजी बरार के दौरे पर गए और फिर वर्धा में बैठकर 'मारवाड़ी अग्रवाल महासभा' के अधिवेशन की तैयारी में लग गए। उस साल इन्फ्लूऐंजा का बड़ा प्रकोप था। अधिवेशन रुक गया और पंडितजी बीमार होकर अपने गांव आ गए।

दिल्ली कांग्रेस का अधिवेशन दिसम्बर में हो रहा था। लोकमान्य तिलक को उसका प्रधान चुना गया, किन्तु वह विलायत शिरोलकेस लड़ने के लिए जा रहे। इसलिए उन्होंने सभापति बनने से इन्कार कर दिया। उनकी जगह महामना मालवीयजी को दी गई। अधिवेशन बड़ा सुन्दर हुआ। पंडितजी बीमारी के कारण बहुत कमजोर थे। ज्वर और खांसी से पीड़ित थे। ऐसी दशा में भी अधिवेशन में शामिल हुए। वह कांग्रेस के मंच पर लेटे रहते थे। उस समय आपकी और श्री आसफअली की जबान पर सरकारी ताला लगा हुआ था।

कुछ दिन बाद पंडितजी फिर वर्धा चले गए और 'मारवाड़ी अग्रवाल महासभा' का अधिवेशन करवाया। पंडितजी वहीं थे कि पंजाब में मार्शल ला हो गया। महात्माजी पलवल में गिरफ्तार कर लिए गए। पंडितजी श्री जमनालाल बजाज के साथ बम्बई चले गए। रास्ते में सुना कि महात्माजी बम्बई आ गए हैं। बम्बई पहुंच कर महात्माजी के दर्शन किए और सारी परिस्थिति का अध्ययन किया। पंडितजी को पंजाब-हत्याकांड का बहुत दुःख था और वे अविलम्ब पंजाब जाना चाहते थे; किन्तु महात्माजी तथा महामना मालवीयजी के अनुरोध पर उनको अपना विचार स्थगित कर देना पड़ा।

महात्माजी ने निश्चय किया कि बिना डिक्लेरेशन के प्रतिदिन एक पत्रिका अखबार जैसी निकले। पत्रिका निकली। महात्माजी गुजराती में लिखते थे, स्व० सरोजिनी नायडू अंगरेजी में और पंडितजी हिन्दी में उसका अनुवाद करते थे। पत्रिका-रूपी बुलेटिन प्रतिदिन छपकर बँटता था, लेकिन सरकार की ओर से उस पर कार्रवाही नहीं की गई।

कुछ दिन बाद पंडितजी ने महात्माजी से पंजाब जाने की आज्ञा मांगी । । महात्माजी ने कहा, "अभी नहीं । यदि आवश्यकता होगी तो मैं अपने दूत के रूप में तुम्हें भेजूंगा । इसकी सूचना पहले से पंजाब सरकार को दे दूंगा ।" पंडितजी खामोश हो गए । कुछ दिन बाद पंडितजी ने कहा, "हमारे गांव में प्लेग फैल गई है और मेरा परिवार दूसरे गांव चला गया है । मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहता हूं । " महात्माजी ने कहा, "वहां जा सकते हो, किन्तु आठवें दिन यहां पहुंच जाना । तुम पंजाब नहीं जाओगे ।" महात्माजी ने एक सन्देश जबानी हकीम अजमलखां के नाम दिया । पंडितजी उसी दिन भिवानी के लिए चल पड़े और गांव में कुटुम्ब से मिलकर दिल्ली में हकीमजी को महात्माजी का सन्देश सुनाकर और उनका सन्देश लेकर मंगलवार को बम्बई पहुंच गये । वह ठीक आठवां दिन था ।

पंजाब में कई आदमी पकड़े गए थे । उनमें लाला हरकृष्णलाल, चौ० रामभजदत्त, डा० सत्यपाल, डा० किचलू आदि नेता भी थे । डा० गोकुलचन्द नारंग और लाला मनोहरलाल भी अन्दर कर दिए गए । मुकद्दमा चला और सजाएं होने लगीं । श्रीरामभज दत्त ने महात्माजी को अपना गवाह लिखवाया । अदालत ने महात्माजी को गवाही के लिए तो बुलाना स्वीकार नहीं किया, किन्तु कमीशन के सामने बम्बई में गवाही देने की आज्ञा दे दी ।

प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने महात्माजी की गवाही हुई थी । उस दिन नित्य की तरह पंडितजी महात्माजी के पास थे । महात्माजी ने उनसे कहा, "एक विक्टोरिया गाड़ी ले आओ ।" गाड़ी आने पर महात्माजी के साथ पंडितजी भी बैठ गए । महात्माजी प्रेसीडेन्सी अदालत के सामने उतर गए और अन्दर जाते हुए पंडितजी से बोले, "अब तुम जा सकते हो ।"

अगले रोज अखबारों में महात्माजी की गवाही छपी । महात्माजी की गवाही पंडितजी को पसन्द नहीं आई और आप दुःखित होकर फौरन महात्माजी के पास पहुंचे। बोले, "जिन लोगों ने आपकी आज्ञानुसार इतने कष्ट झेले उनके बचाव के लिए आप गवाही भी नहीं दे सके ! यह बड़े दुःख की बात है ।" महात्माजी ने कहा, "मैं सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता । चौ०रामभजदत्त को मैं जानता हूं, लेकिन अहिंसा और हिंसा के संबंध में उनके क्या विचार हैं, यह मुझे क्या मालूम? और इन दिनों इन्होंने क्या किया है, यह भी मुझे पता नहीं ।"पंडितजी को इस उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने तत्काल सत्याग्रही का तमगा, जो कि कुछ दिन पहले बड़े शास्त्रार्थ के बाद पंडितजी को दिया गया था, उठा कर महात्माजी से कहा, "यह लीजिए अपना बैज । मैं आगे कुछ नहीं कर सकूंगा ।" उसके साथ ही एक त्यागपत्र लिखा, जिसमें इस सारी घटना का उल्लेख
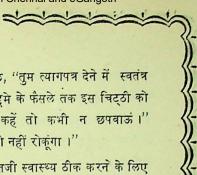
किया गया था। महात्माजी ने चिट्ठी पढ़ी और बोले, "तुम त्यागपत्र देने में स्वतंत्र हो, किन्तु एक सलाह मैं देता हूं और वह यह कि मुकद्दमे के फैसले तक इस चिट्ठी को अखबारों में न छपवाना।" पंडितजी ने कहा, "आप कहें तो कभी न छपवाऊं।" महात्माजी ने कहा, "मुकद्दमे के फैसले के बाद मैं तुमको नहीं रोकूंगा।"

जब नेताओं के मुकद्दमों का फैसला हुआ तब पंडितजी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सोलन गए हुए थे। वहीं से महात्माजी को पत्र लिखकर भेज दिया कि मैं चिट्ठी छपवा रहा हूं और उसे साप्ताहिक 'अभ्युदय' को भेज दिया गया है। वहां वह छप भी गई।

पंडितजी पंजाब हत्याकांड से बहुत दुःखी थे। आपने देखा कि अपने हरियाणे में बड़ी भारी दहशत फैली हुई है। कई जगह के लोगों पर मुकद्दमे भी चले। उनमें स्व० सर छोटूराम भी थे। पंडितजी ने हरियाणे को जागृत करने का निश्चय किया और इसलिए यह चाहा कि बड़े-बड़े नेताओं का दौरा करवाया जाय। उन्होंने लोकमान्य तिलक, महात्माजी और स्वामी श्रद्धानन्दजी से प्रार्थना की, परन्तु वे दौरा करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब जोश में आकर पंडितजी ने कहा; "जबतक हरियाणे को न उठा दूंगा तबतक मैं यह चाहूंगा कि आप लोग हमारे लिए बाहर का कोई भी कार्यक्रम न रक्खें।"

पंडितजी ने फौरन हरियाणे का दौरा शुरू कर दिया। सबसे पहले पंडितजी भिवानी आये और धोबियों की कटली में व्याख्यान दिया। उस सभा के प्रधान श्री ठा० उग्रसेनजी बने। उस जलसे का प्रबन्ध पंडितजी को स्वयं करना पड़ा। भिवानी के रईस श्री रामचन्द्रजी वैद्य ने पूर्ण सहयोग दिया। उसी दिन कांग्रेस कमेटी भिवानी कायम की गई।

दौरे के समाचार बड़े दिलचस्प हैं। ठहरने को कोई जगह नहीं देता था और न कोई व्याख्यान का प्रबन्ध करता था। यही हालत प्रायः सब शहरों की थी। नमूने के तौर पर हिसार का हाल सुन लीजिए। नागोरी गेटे के अन्दर धर्मशाला में पंडितजी ठहर गए और वहां चोरी-चोरी बाबू जुगलकिशोरजी वकील (मंगालीवाले) और श्री दत्त शर्मा (भिवानी के) उन्हें रोटी खिलाते थे। एक दिन पंडितजी बार-रूम में जा बैठे। सोचा था कि वकील सहायता करेंगे, लेकिन बहुत देर तक कोई भी वकील कुछ नहीं बोला तो पंडितजी ने हँसते हुए कहा, "भाई, मुझसे कुछ तो पूछा होता। हो सकता है कि मैं किसी केस में मुअक्किल ही निकलूं।" तब चौ० लाजपतराय वकील (सिसायवाले) और चौ० बंशगोपाल वकील बोले कि हमें मालूम है कि आप कैसे मुअक्किल हैं। चौ० लाजपतराय ने वकीलों से कहा, "कोई आदमी बाहर से आता है, उसके विचार तो हमें सुन लेने चाहिए, चाहे हमें वे पसन्द भी न हों।" बात-बात में तय पाया कि आज रात को कटला रामलीला में व्याख्यान का प्रबन्ध कर दिया जाय। उन दिनों पंडित
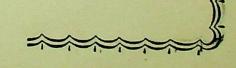
जवाहरलाल भार्गव कांग्रेस कमेटी हिसार के सभापति थे। उनको अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया। रात को जलसा हुआ और भीड़ खासी थी। पंडितजी के व्याख्यान को लोगों ने बहुत पसन्द किया और जब पंडित जवाहरलालजी आपको धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए तो श्रोताओं ने कहा कि अभी नहीं, व्याख्यान कल फिर सुनकर धन्यवाद दीजिये।

अगले दिन फिर जलसा हुआ और उस रोज श्री कृष्णदेव भार्गव सभापति बने। पंडितजी ने वर्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डाला और कहा, "हमें विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए। देश की आजादी का कार्य उत्साह से करना चाहिए और अमृतसर कांग्रेस में अधिक-से-अधिक संख्या में पहुंचना चाहिए।

: १३ :

पंडितजी और बेगार

दौरे में जब पंडितजी सिरसा पहुंचे तो वहां आपके व्याख्यान का प्रबन्ध करने में लोगों को संकोच था। पंडितजी बातचीत के लिए मोहला खान्दान की दुकान पर बैठे थे, इतने में देखा कि बीसियों आदमी सड़क पर भागे हुए जा रहे हैं। पंडितजी फौरन बाहर आए और पूछा, "क्या मामला है ?" पता चला कि सब पल्लेदार हैं। इनको बेगार में पकड़ कर डिप्टी साहब के बंगले पर ले जाया जायगा। पकड़नेवाला चपरासी था, जिसका नाम गूगन था। पंडितजीने उससे पूछा कि तुम इनके पीछे क्यों दौड़ रहे हो ? और इनको कहां ले जाओगे ? उसने कहा कि डिप्टी साहब के घोड़े का दाना दलना है। पंडितजी ने पूछा कि उजरत मिलेगी ? गूगन जोश में आकर बोला, "कैसी उजरत ? ये सब बेगार में काम करेंगे। तुम बीच में मत बोलो।" पंडितजी ने बड़ी गम्भीरता से कहा, "जाओ, ये आदमी तुम्हारे साथ नहीं जायंगे। अगर तुम्हें किसी को बेगार में पकड़ना ही है तो मुझको पकड़ लो।" इस अरसे में उन आदमियों के सिवाय

सैकड़ों आदमी एकत्र हो गए। लाचार गूगन यह कहता हुआ अकेला वापस चला गया कि तुमको इसका मजा चखना होगा। पंडितजी ने वहीं पर घोषणा कर दी कि चलो सनातनधर्म स्कूल में। वहां मैं व्याख्यान दूंगा। पंडितजी के साथ-साथ सैकड़ों आदमी सभा भवन में जा पहुंचे। पुलिस के सिवाय वहां का नायब तहसीलदार भी आया। पंडितजी का भाषण बड़ा जोशीला हुआ।

इन दिनों सिरसा के लाला राधाकृष्ण एस० डी० ओ० थे। उस दिन से दाना दलवाना बन्द हो गया और पंडितजी ने निश्चय किया कि हरियाणा से सब प्रकार की बेगार बन्द कर देंगे।

सन् १९२० के मार्च में पंडितजी भिवानी आ बसे, क्योंकि गांव में काम करने में बड़ी रुकावटें थीं। वहां तो गांव के नम्बरदार ही हाकिम बने हुए थे। पंडितजी के सामने दिल्ली, रोहतक और भिवानी थी। इन तीनों में से एक को चुनने की बात थी। आखिर भिवानी बसने का ही फैसला हुआ। घण्टाघर में पंडितजी अपने बच्चों के साथ रहने लगे, क्योंकि पुलिस के डर से मकान का मिलना मुश्किल था।

उन्हीं दिनों ला० लाजपतराय हिसार आए। पंडितजी ने सुना कि भिवानी के कई लोग लालाजी को भिवानी लाने के लिए हिसार गए, किन्तु लालाजी ने आने से इन्कार कर दिया। पंडितजी ने लोगों से कहा, "लालाजी को मैं ले आऊंगा। आप लोग जलसे का प्रबन्ध करें। पंडितजी हिसार गए और लालाजी से मिले। लालाजी से पंडितजी की यह पहली मुलाकात थी। लालाजी ने यह मालूम होते ही कि उन्हें श्री नेकीरामजी शर्मा बुलाने के लिए आए हैं, फौरन भिवानी आने की स्वीकृति दे दी। लालाजी भिवानी आए उनका जलूस निकाला गया और बड़े भारी जलसे में उनका प्रभावशाली व्याख्यान हुआ।

पहले दिन रोहतक से कुछ सज्जन आए थे। उन्होंने लालाजी को रोहतक ले जाने का अनुरोध किया। हिसार में उनको जवाब मिल चुका था। पंडितजी ने कहा कि लालाजी तुम्हारे यहां भी आ जायंगे। लालाजी से जब आपने अनुरोध किया तो उन्होंने रोहतक जाना स्वीकार कर लिया; पर इस शर्त पर कि पंडितजी को भी उनके साथ जाना होगा। पंडितजी ने कहा, "आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर मुझे डर है कि जहां मेरे बच्चे ठहरे हुए हैं, वह मकान एक राजभक्त का है, इसलिए हो सकता है कि वह बच्चों को निकल जाने के लिए विवश करे।" पंडितजी रोहतक चले गए। रोहतक में लालाजी के दो व्याख्यान हुए और पंडितजी को भी बोलना पड़ा।

लालाजी व्याख्यान के बाद इलाहाबाद चले गए और पंडितजी अगले दिन दोपहर को भिवानी वापस आ गए। आते ही सुना कि लाला ताराचन्दजी ने बच्चों को निकलने

का हुक्म दे दिया। इतने में लाला ताराचन्दजी सरदार बलवन्तसिंह मजिस्ट्रेट के साथ घण्टाघर आए और बड़े कठोर शब्दों में पंडितजी से कहा, "फौरन घण्टाघर खाली कर दो!" शुरू में तो पंडितजी ने नरम शब्दों में कहा कि लालाजी, मकान मिलते ही आपका घण्टाघर छोड़ दूंगा। दो-चार दिन और रहने दीजिए। लेकिन जब देखा कि लालाजी अकड़ते ही जा रहे हैं तो पंडितजी ने गरज कर कहा, "यह धर्मशाला है। आपकी मिल्कियत नहीं। जाइए, जो चाहें कीजिए। मैं मकान नहीं छोड़ूंगा।" लालाजी मजिस्ट्रेट के साथ बाहर चले गए और चौकीदार से कह गए कि इनको निकाल देना। चौकीदार आया तो पंडितजी ने उसे भी वही जवाब दे दिया। पंडितजी मकान की तलाश में थे। लाला नूनकरणदास शोरेवाले ने कुछ दिन के लिए अपना मकान देना स्वीकार कर लिया और पंडितजी उसमें चले गए।

पंडितजी के पुत्र श्री मोहनकृष्ण का जनेऊ उसी मकान में हुआ और उसी शाम को कटला नन्दराम में सभा हुई, जिसमें पंडितजी ने बेगार के विरुद्ध आन्दोलन करने की घोषणा की और अपना सारा कार्यक्रम बताया। यह दौरा जिला हिसार रोहतक गुड़गांवा में हुआ। सभा से कई दिन पहले पंजाब के गवर्नर को पंडितजी ने वह कार्यक्रम दे दिया और यह भी लिख दिया कि "इस दौरे में मैं सिवाय बेगार बन्द कराने के और कोई बात नहीं कहूँगा। सरकारी कर्मचारी इस आन्दोलन को पसन्द नहीं करते, इसलिए हो सकता है कि मेरे व्याख्यानों की गलत रिपोर्ट करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे व्याख्यानों की सही रिपोर्ट के लिए आप चाहें तो किसी आदमी को लगा सकते हैं।"

जिस दिन पहली सभा हुई थी, उस दिन हिसार से पुलिस कप्तान भिवानी आए थे। उन्होंने अपने चापलूसों द्वारा बड़ी कोशिश की कि पंडितजी उनसे मिल लें। अंततः पंडितजी ने उनके बुलाने पर मिलना स्वीकार किया। डाकबंगले में उनसे मिले और कैसी बेगार ली जाती है, इसका पूरा हाल पुलिस कप्तान को सुनाया। जाहिरा तो पुलिस कप्तान ने पंडितजी के काम की तारीफ की, पर मन में क्या था, यह भगवान जाने।

पंडितजी दौरे में अकेले थे। सवारी और ठहरने की दिक्कत तो थी ही। चूंकि अमीरों के सिवा गरीबों को बेगार का बड़ा दुःख था, इसलिए पंडितजी जहां कहीं गए, वहीं गरीबों का सहयोग अधिक मिला। तांगेवाले, गाड़ीवाले, मजदूरपेशा लोगोंने पूरा-पूरा साथ दिया। दौरे में पंडितजी झज्झर पहुँचे तो पंडित दीनदयालजी शर्मा के घर ठहरे। उस रोज रोहतक के डिप्टी कमिश्नर वहां आने वाले थे। पंडितजी ने जाते ही बाजार में जलसा किया। हजारों गरीब, जिनमें मुसलमान भी थे, जलसे में आए। पंडितजी ने कह दिया, "आज कोई भी डाकबंगले न जाए और न मुफ्त में रसद पहुँचाए।" फलस्वरूप कोई भी आदमी डाकबंगले नहीं पहुँचा। जलसा हो ही रहा था कि वहां का तहसीलदार आया

और दूकानदारों और तांगेवालों को धमकाकर बोला कि बंगले पर सामान लेकर चलो। इस पर पंडितजी ने हंसते हुए कहा कि तहसीलदार साहब, यहां आज से बेगार देना बन्द है। अगर आपको डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत ख्याल हो तो आप बाजार से सामान खरीद लीजिए। तहसीलदार वापस चले गए और कोई बेगारी बंगले पर नहीं पहुँचा। इसी तरह एक उदाहरण रोहतक का है। वहां कमिश्नर अम्बाला आनेवाले थे। पंडितजी ने एक दिन पहले शाम को व्याख्यान में कहा कि बेगार बन्द कराने का कल से अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। पंडितजी ने बहुत गम्भीर शब्दों में लोगों से अपील की कि कल कोई भी आदमी रसद लेकर या बेगार के लिए वहां न जाय। लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और सचमुच एक भी आदमी बंगले पर नहीं पहुँचा। पंडितजी यह सब देखने के लिए वहीं ठहरे हुए थे। सुना कि लाला बिहारीलालजी ने कुछ दूकानदारों से कहा कि सामान मैं अपने पैसों से दिला देता हूँ। तुम बंगले पर पहुँचा कर सिर्फ तौल देना। लोगों ने इन्कार कर दिया। सुना गया कि लाला बिहारीलाल डिप्टी कमिश्नर से मिले और कहा कि आज तो कोई आदमी आता नहीं। हुक्म हो तो मैं खाने-पीने का सामान अपनी गाड़ी में ले आऊँ। डिप्टी कमिश्नर बिगड़कर बोले कि मैं सामान दिल्ली से मंगवाना पसन्द करता हूँ। बिना बेगार के यहां से सामान नहीं लूंगा और डी० सी० साहब ने ऐसा किया भी।

लोगों ने आकर पंडितजी को बताया कि पंखा खींचने के लिए जब वहां कोई नहीं पहुंचा तो नम्बरदारों, सिपाहियों और चपरासियों ने पंखा खींचा।

दौरे में जब आप सोनीपत पहुंचे तो वे लोग तो स्टेशन पर मौजूद नहीं थे, जिनको पहले सूचना दी थी। किन्तु पुलिस के खुफिया विभाग के आदमी मौजूद थे। उस समय वर्षा हो रही थी। शाम का वक्त था। पंडितजी इस चिंता में थे कि मैं कहां और किसके पास जाऊँ। तब खुफिया पुलिस वालों ने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं। हम आपको लाला रत्नलाल और काशीराम से मिला देंगे। पंडितजी तांगे में चल दिए। बाजार में दोनों सज्जन मौजूद थे और उन्होंने एक गैर आबाद मकान में पंडितजी को ठहरा दिया। उन्होंने बताया कि वहां व्याख्यान कराने में कितनी आपत्तियां हैं। वर्षा हो रही थी। दोनों सज्जन चुपके-चुपके रोटी दे गए। पंडितजी अकेले उस मकान में रहे। उस रात को तेज वर्षा हुई और सारा मकान टपकने लगा। पंडितजी ने जैसे-तैसे रात बिताई।

बाजार की धर्मशाला में सभा करनी चाहिए, यह शाम को ही तय हो गया था। पंडितजी मकान से निकलकर बाजार में आए और एक दूकान पर पड़ी हुई दरी की तरफ श्री रत्नलाल ने ध्यान दिलाया। पंडितजी ने दरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी थी, इसलिए उठा नहीं सके। तब दरी का पल्ला पकड़ा और खींचते हुए धर्मशाला में जा

पहुंचे । इस अद्भुत् तमाशे को देखकर लोग भी साथ हो लिए । धर्मशाला में वहां के थानेदार सिपाहियों और जेलदारों के सहित पहले से ही मौजूद थे । पंडितजी ने एक दुअन्नी सड़क बुहारनेवाले भंगी को देकर कहा कि ये गुठलियां धर्मशाला में पड़ी हैं, तुम झाड़ू लगा दो। भंगी पुलिसकोदेखकर हैरानथा। तब थानेदारने कहा कि झाड़ू लगा दोभाई। झाड़ू लगने पर पंडितजी ने दरी बिछानी शुरू की और हंसकर पुलिसवालों से कहा कि जनाब, आप भी तो बैठेंगे । जरा बिछाने में मदद कीजिए । पुलिसवालों की मदद से दरी बिछाई गई । इसके बाद पंडितजी ने बड़ी ऊंची आवाज में व्याख्यान देना शुरू किया और बाहर खड़े हुए लोगोंसे कहा, "भाइयो, हो सकता है कि तुम पुलिस के डर से मेरे व्याख्यान में नहीं आते हो । लेकिन यह तो देखो कि जिनसे तुम डरते हो वे व्याख्यान में सबसे पहले बैठे हैं ।" इस पर बाहर के आदमी अन्दर आ गए । पंडितजी ने उनको बेगार न देने की कसमें दिलवाईं । पंडितजी व्याख्यान के बाद फौरन ही तांगे में चल पड़े और सोनीपत रोहतक की सड़क पर रोहना गांव में गए । चौ० रतिरामजी को व्याख्यान का प्रबन्ध करना था । पंडितजी चौपाल में पहुंचे तो देखा कि थोड़े से आदमी तो चौपाल में बैठे हैं और कुछ चौपाल के बाहर खड़े हैं । मटिन्डू गांव से भी बहुत से लोग व्याख्यान सुनने के लिए आए थे । पंडितजी पलंग पर बैठे दूध पी रहे थे कि इतने में वहां का जेलदार चौ० राजाराम गुस्से में भरा हुआ आया और बोला, "बदीराम कहां है ? सब लोग चकित और भयभीत हो गये । जब पंडितजी ने देखा कि कोई भी आदमी उनको जवाब नहीं दे रहा है तो खुद ही उनसे कहा, "जिनकी तलाश में आप आए हैं चौधरी साहब, वह मैं हूं ।" जेलदार साहब लपके और अपनी लाठी फर्श के स्तम्भ पर दे मारी और कहा कि फौरन यहां से चल दो । पंडितजी ने हंसते हुए कहा, "जेलदार साहब ! मैं तो साझे की जगह पर बैठा हूँ । यह मकान किसी का नहीं है ।" इस पर क्रोध से लाल-पीले होकर जेलदार ने कहा, "तेरे जैसे बदमाशों के लिए यह जगह नहीं है ।" पंडितजी बोले, "चौधरी-साहब ! आपने मुझे आज देखा है और मैंने भी आपको आज ही देखा है । बिना जाने-पहचाने आपने मुझे बदमाश कैसे समझ लिया ?"

चौधरी साहब ने कहा कि डी०सी० साहब कहते हैं । पंडितजी ने देखा कि एक तरफ के आदमी जेलदार की बातों को पसन्द न करके क्रोधित हो रहे हैं । मटिन्डू गांव से आए हुए लोग यह कहकर चौपाल से जाने लगे कि इतने बड़े आदमी का अपमान करना बहुत बुरी बात है और हम यहां नहीं बैठते । इस पर चौधरी रतिराम ने खड़े होकर कहा, "जेलदारजी का यह व्यवहार हमको पसन्द नहीं है । चौपाल में मेरा भी हिस्सा है ।" यह कहकर वे लोग जेलदार की तरफ लपके । पंडितजी ने सोचा कि अब यहां गड़बड़ होने वाली है । इसे रोकना चाहिए । उन्होंने जेलदार का हाथ पकड़ लिया और लोगों से यह

कहते हुए कि शांत रहो, जेलदार को चौपाल से नीचे ले गए और उनके घर तक पहुंचा दिया। लोगों का यह आग्रह था कि पंडितजी व्याख्यान दें; लेकिन इस मामले में दलबन्दी देखकर पंडितजी ने यही मुनासिब समझा कि चौपाल में व्याख्यान न दिया जाय और उठकर चल पड़े। चौ० रतिराम और उनके साथी आग्रह करते थे कि यहीं व्याख्यान होना चाहिए, लेकिन पंडितजी नहीं माने और सड़क पर आ गए। वहां काफी भीड़ हो गई। भीड़ को सम्बोधित करके पंडितजी ने कहा कि आपलोग पहले यह कसम खाइए कि चौधरी राजाराम जेलदार को अब कुछ नहीं कहेंगे। चूंकि लोग क्रोध में थे, उन्होंने कहा कि अब आप जाइए। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। पंडितजी ने कहा, "तब तो आपलोग हमारे आन्दोलन को विफल बना देंगे।" इस पर सब लोग शांत हो गए और पंडितजी की बात मान ली। लोगों ने पंडितजी से वायदा करा लिया कि एक बार वह फिर यहां आवेंगे।

पंडितजी तांगे पर सांपला की तरफ चल पड़े। रास्ते में कई तांगों पर सवार थानेदार और सिपाहियों को देखा, जो रोहना जा रहे थे। थानेदार ने पंडितजी से पूछा कि आप आ गए। हमने तो सुना है कि रोहना में झगड़ा हो गया। पंडितजी ने हँसते हुए कहा कि हां, कई एक आदमी मर भी गए। थानेदार तांगे पर से उतर कर पंडितजी के पास आया और कहा कि सच बताइए। मामला क्या है? पंडितजी ने कहा, "आपको तो सब पता होना चाहिए, क्योंकि स्कीम तो आपने हीं बनाई होगी। पहले आप यह तो बताओ कि आपको यह रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे मिली?" थानेदार ने खिसियाकर कहा, "आप हमको बतलाइए कि हम रोहना जायें या वापस?" पंडितजी ने कह दिया कि वहां कुछ नहीं हुआ। तब पुलिस वाले वापस चले गए।

गुड़गांवा के दौरे में पंडितजी होडल भी गए थे। उनके साथ रिवाड़ी के लाला भगवान दास आदि कई व्यक्ति थे और रोहतक के पंडित श्रीरामजी शर्मा* भी थे। दोपहर की गाड़ी से पार्टी होडल पहुंची। स्टेशन से होडल कसबे तक पैदल ही गए। रास्ते में एक बाग पड़ता था। कुछ देर वहां बैठना चाहते थे तो बाग के एक आदमी ने कहा कि मेरे बाग से निकल जाओ। पार्टी आगे चल पड़ी। कसबे की हालत का पूरा अध्ययन किए बिना ही अन्दर जाना उचित न समझकर पंडितजी अपनी पार्टी के साथियों सहित एक तालाब की छतरी में जा बैठे। सुना कि वहां का थानेदार पुलिस सहित शहरवालों को डरा रहा है। पंडितजी ने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान गुड़गांवा को तार दिया, जिसे थानेदार ने रोक दिया। शाम हो गई थी।

---

* आजकल पंजाब के मन्त्री।

रोटी का प्रबन्ध कुछ भी नहीं था। साथके आदमियोंने सलाह दी कि यहां से वापस चलना चाहिए । पंडितजी ने कहा कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि व्याख्यान दिए बिना यहां से वापस नहीं जाऊंगा । अंधेरा हो चला था । पंडितजी ने अपने साथियों से कहा, "जो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता वह बाजार में जाकर रोटी खा आवे और बारी-बारी से पहरा दें।" इतने में कई ढेले वहां आकर पड़े । पंडितजी ने गरज कर कहा कि ऐसे ओछे हथियारों से हम डरनेवाले नहीं हैं । इतने में एक आदमी आता नजर आया । उसको टोका तो उसने कहा कि मैं रोटी लेकर आया हूं और कहने लगा कि आज शहर में कई आदमी रोटी नहीं खायंगे । पंडितजी ने कहा कि चोरी से लाई हुई रोटियां हम नहीं खायंगे । उस आदमी के बहुत अनुरोध करने पर रोटियां ले ली गईं ।

निश्चय हुआ था कि पंडितजी सो लें और अपना पहरा बाद में रक्खें । पंडितजी ने पहले तो यह बात नहीं मानी और कहा कि और सब सो जाएं और वह अकेले पहरा दें, किन्तु साथियों का अनुरोध मानना पड़ा। पंडितजी सोए हुए थे कि फिर ढेले आए । वह उठे और देखा कि सब साथी सो रहे हैं । पंडितजी ने उनको उठाया और ऊंची आवाज में कहा कि खबरदार, जो किसी ने ढेले मारे । सारी रात सोते-जागते बीती । सुबह सुना कि कुछ अफसर गुड़गांवा से आनेवाले हैं । पंडितजी के दो-तीन साथी यह कहकर पलवल चले कि हम वहां से अपने आदमी लाते हैं । सुबह नौ बजे पंडितजी अपने साथियों सहित नारे लगाते हुए कसबे की तरफ चल पड़े । चलने से पहले साथियों से कहा कि जिसको अपने मरने का डर हो वह साथ न चले । लेकिन चलते वक्त सब साथ हो लिए । रास्ता थाने के सामने से था । वहां शस्त्रधारी पुलिस और लाठी लिए हुए कितने जेलदार, नम्बरदार और सफेदपोश खड़े थे । पंडितजी ने अपने साथियों से पहले ही कहा दिया था कि उनके सिवा और कोई न बोले । पंडितजी कसबे में जा पहुंचे । वहां देखा कि कुछ दुकानें बन्द हैं और जो खुली थीं, उनको भी पुलिसवाले बन्द करा रहे थे । पंडितजी पार्टी के साथ बाजार में जा पहुंचे । वहां तेज आवाज से कहा कि अगर कांग्रेसी कहीं हड़ताल करा दें तो वे बागी कहलायें और यहां थानेदार हड़ताल कर रहा है, इसे क्या कहा जायगा, यह मुझे मालूम नहीं ।" और दूर खड़े हुए दुकानदारों को सम्बोधन करते हुए पंडितजी ने कहा कि जब तुम्हारे पुलिस के अफसर मेरा व्याख्यान सुनने के लिए आए हुए हैं तो आप लोगों को डर छोड़ देना चाहिए । लोग आ गए । थानेदार तो नाराज था ही । उसने वहां के जेलदार को कहा कि सभा मत होने दो और लाठियों से काम लो । इस पर जेलदार ने कहा, "दारोगाजी, पहले आप लाठी चला दें । फिर मैं चलाऊंगा । इसके क्या माने कि आप तो भले-के-भले बने रहें और मैं यह पाप करूं ।" इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । सभा हो गई और सबने बेगार न देने की प्रतिज्ञा की ।

दोपहर की गाड़ी से पंडितजी को दिल्ली वापस आना था। स्टेशन के रास्ते में पलवल से आए हुए सज्जन मिले। उनको पंडितजी ने सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि वापस चलो। जब पंडितजी अपने साथियों सहित स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, थानेदार ने स्टेशनमास्टर से कहा कि इनको वेटिंग रूम से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये बागी हैं। इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो ये मुसाफिर हैं और मुसाफिरों की सेवा के लिए हमलोग नौकर हैं। थानेदार ने कहा कि थर्ड क्लास में जानेवाले फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में कैसे बैठे हैं? स्टेशनमास्टर ने कहा, "टिकट लेने से पहले मैं यह कैसे जान लूं कि कौन कहां बैठेगा।" यह बात पंडितजी के पास पहुंच चुकी थी। तब पंडितजी ने एक टिकट फर्स्ट क्लास का और बाकी थर्ड क्लास के खरीद लिए। गाड़ी आई और सबलोग सवार हो गए। स्टेशनमास्टर आया और थानेदार को दिखाते हुए कहा कि लो, देख लो, यह तो फर्स्ट क्लास के मुसाफिर हैं। अगर आपके कहने से मैं इनको वेटिंग रूम से निकाल देता तो मैं मर गया होता। जब गाड़ी चलने लगी तो पंडितजी ने हंसते हुए थानेदार से कहा कि आप शर्मिन्दा न होइए। आइए, हाथ मिलाइए।

दौरा लगभग डेढ़ मास में पूरा हुआ। सब जगह बेगार देने से लोगों ने इन्कार कर दिया। तब सरकार ने प्रत्येक तहसील में सवारी के लिए कुछ ऊंट रक्खे और हुक्म दिया कि अफसर ऊंटों पर दौरा करें और सामान के पैसे नकद दे दिया करें। इस प्रकार आन्दोलन की सफलता को देखकर इलाके के लोग पंडितजी का आदर करने लगे। बेगार का बोझ अमीरों पर और शहरियों पर भी था। देहात के कितने गरीबों, खासकर चमारों पर तो भारी मुसीबत थी। बेगार बन्द होने से उनको बहुत खुशी हुई। उस खुशी में कई जगह उस दिन को, जिस दिन कि उनके गांव में पंडितजी गए थे, त्योहार की तरह मनाने लगे। इसमें पहले-पहल नारनौन्द तहसील हांसी के चमारों ने उदाहरण उपस्थित किया।

बेगार बन्द कराने के बाद पंडितजी ने भिवानी में एक राजनैतिक सम्मेलन करने की घोषणा की और उसके लिए तैयारी करने लगे। महात्माजी को लिखा कि अब तो आपको भिवानी आ जाना चाहिए। स्वीकृति आ गई। सम्मेलन की तैयारी हो रही थी कि पहली अगस्त को बम्बई में लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया। पंडितजी को इससे बहुत दुःख हुआ। शोक-सभा में ही पंडितजी ने घोषणा की कि लोकमान्य तिलक की स्मृति में यहां एक भवन बनवाया जायगा, जो आगे चलकर बना दिया गया। वह भवन 'तिलक भवन' के नाम से प्रसिद्ध है।

बेगार विरोधी आन्दोलन की सफलता सुनकर कोटगढ़ (शिमला) से स्टोक्स पंडितजी के पास भिवानी आए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाके में बड़ी बेगार है। मैं उससे दुःखी हूं। कृपा करके बतलाइए कि यह कैसे बन्द हो? सरकारी अफसरों से तो

कह चुका, किन्तु मेरी बात कोई सुनता नहीं। आपने क्या किया था ? पंडितजी ने स्टोक्स से कहा कि मैंने तो पीड़ितों को इकट्ठा किया था। मेरी राय में सफलता का रहस्य एक ही है और वह यह कि जनता को साथ लिया जाय। अफसरों को कहने-सुनने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह मैंने यह किया है, उसी तरह आप भी लोगों से कहिए कि बेगार न दें। स्टोक्स ने वापस जाकर इसी शस्त्र से काम लिया।

पंजाब के गवर्नर सर मेकलगन हिसार आनेवाले थे। उससे पहले अम्बाला डिवीजन के कमिश्नर दीवान टेकचन्दजी भिवानी आए और पंडितजी से मिले। बातचीत में सफलता के लिए पंडितजी को बधाई दी और कहा कि लाट साहब आपके काम से बड़े खुश हैं। आपको चाहिए कि आप उनसे हिसार में मिल लें और उनको धन्यवाद दें। पंडितजी ने कहा, "मैं अफसर से मिलने का शौकीन नहीं हूं। जिस शख्स ने मेरी चिट्ठी तक का जवाब नहीं दिया उससे मिलने को मेरा जी नहीं चाहता।" दीवान साहब ने फिर कहा कि आपको जरूर मिल लेना चाहिए तो पंडितजी बोले, "मेरे पास उनकी चिट्ठी आ जायगी तो मैं उनसे मिल आऊंगा।" दीवान साहब ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वह उन्हीं की तरफ से निमंत्रण है। पंडितजी ने कहा कि मुझे लिखित निमन्त्रण चाहिए। कमिश्नर साहब हिसार चले गए और वहां से उन्होंने विशेष दूत के द्वारा निमन्त्रण भेज दिया। पंडितजी पत्र पाकर हिसार गए। यह खबर कि गवर्नर साहब ने मिलने के लिए पंडितजी को बुलाया है, हिसार में फैल गई। हिसार वालों ने ला० श्यामलाल एडवोकेट और बाबू जुगलकिशोर वकील के नेतृत्व में पंडितजी के स्वागत का प्रवन्ध किया। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो हजारों की भीड़ थी। पंडितजी गवर्नर साहब से मिले। गवर्नर ने बेगार बन्द कराने की तारीफ की। पंडितजी ने धन्यवाद दिया। तब गवर्नर ने कहा कि आपने अपने व्याख्यानों में रिश्वत का भी जिक्र किया है। अब इस काम को हाथ में ले लें। मैं एक कमेटी बनाने वाला हूं, जिसके चेयरमैन आप बन जायं। चौ० छोटूराम भी उसमें शामिल होंगे। पंडितजी ने कहा कि सत्याग्रह आन्दोलन देश में होने वाला है। इसलिए सत्याग्रही के नाते हम किसी भी सरकारी कमेटी में भाग नहीं ले सकते। पंडितजी ने बड़े विश्वास के साथ यह भी सुना दिया कि पहली जनवरी को तो देश स्वतंत्र हो ही जायगा। तबतक आपलोग जितना अच्छा काम कर सकें कीजिए। इस पर गवर्नर साहब मुस्करा उठे।

इस वात के ठीक चौथे महीने बाद जब पंडितजी कैद होकर लाहौर सेंट्रल जेल की तंग कोठरी में पड़े थे, पंडितजी ने गवर्नर के मुस्कराने का अर्थ समझा। पंडितजी को शुरू में जेल में बहुत तकलीफें दी गईं। एक रात को, जब कि वह फटे कम्बलों में लिपटे हुए सरदी से कांप रहे थे, एक क्षण के लिए यह ख्याल आया कि "तू क्यों कैद

हुआ ।" इस विचार के साथ ही उनको श्री लोकमान्य तिलक के कारावास का ख्याल आया और अपने आपको धिक्कारते हुए वह यह कह उठे कि लोकमान्य तिलक का शिष्य होकर जेल से घबराता है। तेरी तो प्रतिज्ञा है कि देश को स्वतन्त्र कराके छोड़ना। इसके बाद पंडितजी को कईबार जेल जाना पड़ा। लेकिन ऐसा ओछा विचार एक क्षणके लिए भी उनके मन में नहीं उठा।

: १४ :

भिवानी में कांग्रेस का अधिवेशन

उन्हीं दिनों कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, जिसमें महात्माजी के असहयोग आन्दोलन पर विचार होना था। पंडितजी उसमें गए। आखिर २० अक्तूबर १९२१ को भिवानी में बड़ी भारी कान्फ्रेंस हुई। उसके सभापति अम्बाले के वयोवृद्ध लाला मुरलीधरजी बनाए गए। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे श्रीकृष्ण देसाई। कान्फ्रेंस के अवसर पर लगभग एक लाख की भीड़ थी। हरियाणा और राजस्थान के देहातों से बहुत लोग आए। शहरवालों ने सबकी खातिर की। ठहरने और भोजन कराने का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया था और शहर में भारी उत्साह था।

महात्माजी लाहौर से भिवानी पहुंचे थे। उनके साथ अलीबन्धु—मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकतअली, लाला दुनीचन्द और प्रोफेसर रुचिराम साहनी थे। दिल्ली से आसफअली और कितने ही सज्जन आए थे।

कुछ लोगों की तरफ से, जिनके नेता रोहतक के चौ० लालचन्द और छोटूराम थे, यह कोशिश की गई कि कांफ्रेंस सफल न होने पाए। लोगों से इन्होंने कहा कि बिना टिकट लिए पंडाल में घुस जाओ। पंडितजी ने जब यह सुना तो महात्माजी की कार पर खड़े होकर ऊंची आवाज में लोगों से कहा, "महात्माजी का हुक्म है कि बगैर टिकट कोई अन्दर न जावे।" यह भी कहा कि "आज रात को खुले मैदान में महात्माजी का
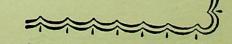
व्याख्यान होगा। उसे सब लोग सुन सकेंगे। अब आप लोग शांत रहें और सभा की कार्रवाई में विघ्न न डालें।"यह सुनकर भीड़ हट गई। सारी कार्रवाई बड़ी शान्ति से हुई और सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया। रात को मैदान में बड़ी भारी सभा हुई। चन्द्रमा के प्रकाश में दूर तक बैठा हुआ जन-समूह लहराते हुए समुद्र जैसा लगता था। महात्माजी के आने से पहले पंडितजी ने श्रोताओं से कहा, "आप शोर न करें और महात्माजी के आने पर उठें भी नहीं। महात्माजी को गड़बड़ पसन्द नहीं।" जब महात्माजी आए तो एक भी आदमी नहीं उठा। महात्माजी मंच पर चले गए और वहां से व्याख्यान दिया। लोगों ने खामोशी से सुना। कान्फ्रेंस बड़ी सफल हुई।

कान्फ्रेंस के पंडाल में बैठने का प्रबन्ध फर्श पर था। महात्माजी को यह प्रबन्ध बहुत पसन्द आया और उन्होंने अखबार में लिखा कि इस मामले में कांग्रेस को भिवानी की नकल करनी चाहिए। फलतः अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में महात्माजी ने कुर्सियों की बैठक छोड़ दी और तब से अबतक कांग्रेस-अधिवेशन में लोग फर्श पर ही बैठते हैं।

: १५ :

युवराज का आगमन और पंडितजी की गिरफ्तारी

नवम्बर सन् १९२१ में दिल्ली में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जलसा हुआ, जिसमें ब्रिटिश युवराज के स्वागत के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। युवराज नवम्बर में बम्बई आने वाले थे। लाला शंकरलालजी बैंकर बम्बई वालेने महात्माजी से कहाकि बम्बई में स्वागत बहिष्कार का बहुत प्रचार होना चाहिए। इसके लिए आप श्री नेकीराम शर्मा को बम्बई आने की आज्ञा दें। महात्माजी ने पंडितजी से कहा। पंडितजी मान गए और नवम्बर में बम्बई पहुंच गए। सात रोज भिन्न-भिन्न मुहल्लों में पांच-पांच, छः-छः सभाएें होती थीं। उनमें व्याख्यान होते थे। बोलते-बोलते और लोग तो थक गए, किन्तु श्रीमती सरोजिनी नायडू और पं० नेकीराम शर्मा आखिर तक व्याख्यान देते रहे। युवराज का आगमन हुआ। महात्माजी की आज्ञानुसार बम्बई से बाहर
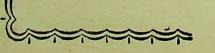
जलसा हुआ और वहां पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पीछे से बम्बई में दंगा हो गया। कारण यह था कि पारसी युवराज के स्वागत में शामिल हुए। इस पर जनता बिगड़ गई और उन पर और ईसाइयों तथा अंगरेजों पर पत्थर फेंके। ट्राम गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों को रोका। सड़कों की लालटेंनों को तोड़ डाला। कई जगह आग लगा दी। महात्माजी ने बम्बई पहुंचते ही शहर का दौरा किया, उत्तेजित भीड़ के कार्य की निन्दा की और लोगों से शान्त रहने को कहा। लेकिन भीड़ ने अपना काम न छोड़ा। तब महात्माजी ने अनशन व्रत करने का निश्चय कर लिया और श्रीमती सरोजिनी नायडू, पंडित नेकीरामजी शर्मा और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को शहर में घूमकर शान्ति कराने के लिए कहा। महात्माजी की आज्ञानुसार ये लोग मुहल्लों में जा-जाकर और घूमकर लोगों को शान्त रहने के लिए कहते थे, पर लोग किसी की सुनते नहीं थे। रात में रोशनी नहीं थी, क्योंकि बत्तियां तोड़ दी गई थीं। कर्फ्यू आर्डर हो गया और शहर में फौज गश्त करने लगी। पंडितजी दो बार बन्दूक के निशान से बचे। शहर के लोग उनको पहचानते थे। भिण्डीबाजार में जहां गोरी फौज का पहरा लगा हुआ था, जब शाम के वक्त पंडितजी पहुंचे तो देखा कि एक पारसी के मकान में आग लगाने का प्रयत्न किया जा रहा था, जिसमें सूरत से आए हुए पारसी मेहमान ठहरे हुए थे। पंडितजी ने डांटकर कहा कि खबरदार, जो आग लगाई। इस पर हंसती हुई भीड़ वापस हट गई और हटते हुए कहा कि आप निश्चिन्त रहें। हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पंडितजी को इनके वचन पर विश्वास नहीं था। वह भाग कर गोरी फौज के अफसर से मिले और कहा कि देखिए, वहां आग लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप लोग उनको रोकिए। अफसर ने गुस्से में आकर कहा कि हमको सलाह मत दीजिए। इतने में देखा कि आग लग गई। पंडितजी दौड़ कर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए दमकल बुलाने को सड़क पर खड़े खम्बे पर पहुंचे, जहां कि खतरे की इत्तला देने वाला बटन लगा रहता है।

पंडितजी ने बटन दबाया, मगर वह खराब किया जा चुका था। फिर वहां से भाग कर उस मकान में पहुंचे, जहां आंग लगाई गई थी। पुकारकर लोगों से कहा कि पीछे के रास्ते से नीचे उतर आओ। लोग उतरने लगे। पंडितजी ने देखा कि उस मकान के पीछे के मकान में भी चिनगारियां पड़ रही हैं और आग लग जायगी। पंडितजी उस मकान में घुस गए और ऊपर बैठे हुए लोगों से भागने के लिए कहा। वे लोग सामान उठाने लगे। पंडितजी ने डांटकर कहा कि पहले अपनी जान बचाओ। सामान के पीछे मत पड़ो। पंडितजी ने दो बच्चोंको अपनी गोदमें उठा लिया और उनके मां-बापों को आगे करके नीचे ले आए। तबतक अग्निदेव का प्रकोप बढ़ गया था और धुएं में कुछ भी दिखाई न देता था। पंडितजी ने देखा कि वे खुद संकट में पड़ गए हैं तो
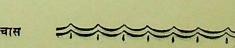
आपने ऊंची आवाज में कहा, "कोई बाहर है, जो बच्चे को बचाने में मदद करे ?" आवाज आई कि हां, बच्चों को लेकर इधर दौड़ आओ। पंडितजी बाहर निकले तो देखा कि उनकी मदद में डाक्टर सांठे खड़े हुए हैं। पंडितजी सड़क पर आए ही थे कि इतने में उस मकान का दरवाजा जल कर बैठ गया। इसी तरह और भी कई घटनाएं हुईं।

पंडितजी खेतवाड़ी में सेठ खेमराजजी के मकान में ठहरे हुए थे। वह पारसियों का मुहल्ला था। उस मकान में भी आग लगाने की तैयारी कर ली गई थी। पंडितजी ने तत्काल कहा कि मैं इस मकान में ठहरा हुआ हूं। खबरदार, आग न लगाना। दंगा कई दिन में शान्त हुआ। महात्माजी का अनशन चल रहा था। उनको बहुत समझाया कि आप व्रत तोड़ दें, किन्तु वे नहीं माने।

उन्हीं दिनों पंडितजी को खबर मिली कि लाहौर से उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट निकल चुका है। पंडितजी ने घर आने की ठान ली और शामको महात्माजी से कहा कि मैं घर जाकर ही गिरफ्तार होना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दी जाय। महात्माजी ने कहा कि कल तक तो लाला लाजपतरायजी आने वाले हैं। तबतक ठहर सको तो ठहरो। अगर आज ही जाने का विचार हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। पंडितजी ने कहा, "आज ही जाऊंगा।"

पंडितजी भिवानी पहुंचे और रात को गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में दिए हुए भाषण पर लाहौर का वारन्ट था। उन्हें लाहौर ले जाया गया और वहीं पर आठ महीने की सख्त कैद सुना दी गई। अदालत में और बाहर बड़ी भीड़ थी। लाला लाजपतराय, चौ० रामभजदत्त, ला० दुनीचन्द और पंडित के० सन्तानम आदि नेता भी वहां मौजूद थे। आप लाहौर सेन्ट्रल जेल में रखे गए और वहां पर चक्की पीसते थे। बड़ी गन्दी कोठरी में २३ घण्टे बन्द रहना पड़ता था। आधा घण्टा सुबह गेहूं लेने के लिए और आधा घण्टा शाम को आटा देने के लिए कोठरी खोली जाती थी। पानी पीने के लिए पुराना मटका दिया गया था, जो पंडितजी ने नहीं लिया। पहनने को बहुत पुराने फटे हुए कपड़े और ओढ़ने को वैसे ही दो कम्बल दिए गए, जिनमें सर्दी नहीं रुकती थी।

ग्यारह रोज इसी तरह गुजरे। तबतक लाला लाजपतराय, डा० गोपीचन्द भार्गव, पंडित के० सन्तानम और मलिक लालखां गिरफ्तार होकर जेल में आ गए। सरदार शर्दुलसिंह कवीश्वर, सरदार मंगलसिंह, मौलाना अताउल्लाशाह बुखारी और अख्तर अली आदि पहले ही कैद हो चुके थे, जो सैन्ट्रल जेल में एक वार्ड में रहते थे। उन सबको लालाजी के साथ हवालत में रखा गया। पंडितजी को भी वहीं ले गए। २५ दिसम्बर १९२१ को रात की गाड़ी से पंडित नेकीरामजी, सरदार मंगलसिंह, त्रिलोकचन्द कपूर, अख्तरअली और अताउल्लाशाह आदि ग्यारह कैदियों को मियावली जेल में ले गए।
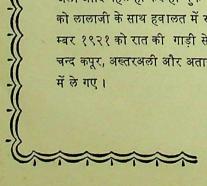
कैद करने वाले मजिस्ट्रेट ने पंडितजी को कोई स्पेशल क्लास नहीं दी। मामूली कैदी का-सा व्यवहार किया गया। लाला लाजपतरायजी के 'वन्देमातरम्' व 'ट्रिब्यून' समाचारपत्रों ने पंडितजी के साथ हुए बर्ताव की बड़ी निन्दा की थी। जब यह खबर बाहर पहुंची तो बम्बई के अखबारों ने सरकार की कड़ी आलोचना की। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब के गवर्नर ने पंडितजी को स्पेशल क्लास में रखने का हुक्म दे दिया। यह सब मियांवाली जाने के पहले हो चुका था।

मियांवाली में १८६ राजनैतिक कैदी थे। उनमें से डा० सत्यपाल, ला० गिरधारी-लाल, श्री रूपलाल पुरी आदि थोड़े से सज्जनों को स्पेशल क्लास मिली थी। दिल्ली से ला० देशबन्धु गुप्त, ला० शंकरलाल, श्री शिवनारायणजी हक्सर आदि दिल्ली से ही क्लास लेकर आये हुए थे।

सबको 'ए' क्लास मिलनी चाहिए, यह अधिकारियों को कहा गया। उन्होंने ऐसा ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो उसका परिणाम यह हुआ कि विरोध-स्वरूप सबने 'ए' क्लास छोड़कर 'सी' क्लास में रहना स्वीकार किया। यह सिलसिला कुछ दिन चला। धीरे-धीरे कुछ लोगों ने 'ए' क्लास फिर ले ली। लेकिन पंडितजी ने 'सी' में ही रहना पसन्द किया। आपको मियांवाली जेल में ही बवासीर का रोग हो गया और पूरी सजा काट कर आठ महीने के बाद रिहा कर दिये गए।

सन् १९२२ के दिसम्बर में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। उसमें यह तजवीज पेश की गई कि कौंसिल-बहिष्कार का कार्यक्रम निकाल देना चाहिए। श्री देशबन्धु दास बहिष्कार को ठीक समझते थे। पंडित नेकीरामजी ने कौंसिल-बहिष्कार का पक्ष लिया। अन्य युक्तियों के साथ उनकी एक युक्ति यह भी थी कि महात्माजी के जेल से वापस आनेतक हमें कौंसिलों में नहीं जाना चाहिए।

आखिर बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव के विरोधियों ने वहीं एक पार्टी बनाने का निश्चय किया, जो आगे चलकर 'स्वराज्य पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध हुई। गया-कांग्रेस में एक प्रस्ताव यह भी था कि कांग्रेस का अधिवेशन गर्मियों में हुआ करे, परन्तु पंडितजी ने इसके विरोध में भाषण दिया और यह प्रस्ताव पास न हो सका।

देश में सुस्ती छा गई थी और महात्माजी के सामने जो जोश था वह भी ठंडा पड़ गया था। जब महात्माजी बाहर आए तो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। तब धीरे-धीरे राजनैतिक चर्चा देश में फिर चली। 'स्वराज-पार्टी' बन चुकी थी। उसने कौंसिलों में जाने के लिए चुनाव लड़ा और प्रान्तीय कौंसिलों के सिवा केन्द्रीय असेम्बली में भी गिनती की जगह पार्टी को मिल गई।

: १६ :

किसान-आन्दोलन
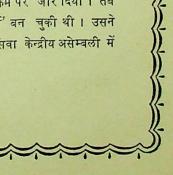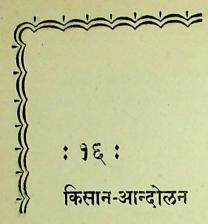
पञ्जाब में उत्तरप्रदेश की तरह बड़े-बड़े जमींदार तो नहीं हैं, लेकिन कई जिलों में छोटे-छोटे जागीरदार हैं। वे अपनी जमीन पट्टे पर किसानों को देते हैं और बदले में उससे बटाई या नकद लगान लेते हैं। हरियाणे में ऐसी जमींदारी हिसार जिले में अधिक है। स्किनर खानदान की सबसे ज्यादा जमीन है। तहसील हांस में १५ गांव उन्हीं की मिल्कियत में हैं। वे किसानों से बहुत लगान लेते थे और नजराना, बेगार आदि कई प्रकार की चीजें किसानों पर लागू थीं। किसानों ने अपने दुःख की कथा पंडितजी से कही तो उन्होंने उनके कष्ट कम कराने का आश्वासन दिया।

९ जनवरी १९२९ को पंडितजी स्किनर स्टेट में पहुंचे। वहां पर गांवों से किसान आए थे। पंडितजी ने उनकी जबानी सारा हाल सुना और उसी समय 'किसान-सभा' की स्थापना की, जिसके प्रधान स्वयं पंडितजी बने और मंत्री चौ० लाज़पतरायजी। १२ जनवरी को बड़सी गांव में सभा का होना निश्चित हुआ। उसमें सभी गांवों के किसान प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। जलसे में मालगुजार के कर्मचारी मौजूद थे। जब पंडितजी ने देखा कि किसान उनके सामने दिल खोलकर अपने दुःख की गाथा नहीं कह रहे हैं तो आपने किसानों से कहा कि डर छोड़ दो और अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारे कष्टों का अंत आ गया है और मैं देखूंगा कि यह कर्मचारी और स्वयं मालगुजार तुम्हारा क्या बिगाड़ करते हैं। पंडितजीने सारी परिस्थिति का अध्ययन किया। बड़सी के जलसे में अलखपुरा से कुछ अधिक किसान आए थे।

तीसरा जलसा दो सप्ताह में गढ़ी गांव में करना निश्चित हुआ। पंडितजी ने एक ही मजमून की दो चिट्ठियां दोनों जागीरदारों को भेज दीं और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि गढ़ी के जलसे तक किसानों की मांग को पूरा करें, नहीं तो गरीब किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वैध और उचित उपाय काम में लायंगे। लेकिन मालगुजारों ने पत्र प्राप्ति की सूचना भी नहीं दी और सुनने में आया कि वे लोग किसानों के संगठन को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कोशिश की कि गढ़ी में जलसा ही न होने पावे। पंडितजी ने पंजाब सरकार को यह लिख दिया था कि इस आन्दोलन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं। सरकार को चाहिए कि अपने अफसरों को तटस्थ रहने की आज्ञा दे।

गढ़ी में जलसा हुआ, जिसमें १५ गांवों के किसान तो भारी संख्या में मौजूद थे ही। उनके सिवा फरीदकोट के ९ गांवों के तथा हांसी के जागीरदारों के गांवों के बहुत से किसान आये। जलसा बड़ा शानदार और शान्त था। ठीक १२ बजे दोपहर को जलसा शुरू होना था। उसी समय पर हांसी के रईस चौ० शेरसिंह पंडितजी के पास आए और कहा कि आप मेरे साथ हांसी चलें। वहां स्किनर साहबसे बात करा दूंगा। पंडितजी ने हांसी जाने से इन्कार कर दिया। पंडितजी ने अपने भाषण में सारी स्थिति पर प्रकाश डाला और लोगों से कहा कि यदि आप लोग इन मांगों को न्यायसंगत समझते हैं तो किसानों की सहायता करें। पंडितजी ने दूसरे गांव से आए हुए लोगों से प्रतिज्ञा करवाई कि वे लोग किसानों से छीनी हुई जमीन में काश्त नहीं करेंगे। जलसे में मालगुजारों के कर्मचारी मौजूद थे और सरकार की तरफ से अफसर माल और डी० एस० पी० मौजूद थे। उस जलसे से किसानों का डर जाता रहा और वे प्रत्येक प्रकार की कुर्बानी करने को तैयार हो गए। पंडितजीने किसानों से प्रतिज्ञा करवाई कि वह हर हालत में शान्त रहेंगे। हो सकता है कि जागीरदार उनको और कष्ट दें, मारें-पीटें भी। किसानों को काफी कष्ट दिये गए, फिर भी वे शान्त रहे। उसके बाद जगह-जगह कई जलसे हुए और किसान-संगठन मजबूत होता गया। स्वंयसेवकों की एक पलटन-सी बन गई। उनको साथ लेकर पंडितजी सारे क्षेत्र में दौरा किया करते थे और ऐसा प्रबन्ध हो गया था कि कुछ ही घण्टे के नोटिस में बड़ा जलसा हो जाता था।

जून के महीने में देहरादून से एक वकील स्किनर साहब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर हिसार के पास आया। डी० सी०. ने उनसे बात करने के लिए पंडितजी को बुलाया। पंडितजी वहां गए और उनकी बातें सुनीं, लेकिन सब बातें निस्सार थीं। पंडितजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसके बाद कई बार कभी कोई तो कभी कोई बात करने के लिए आते रहे, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला।

पंडितजी ने जब यह देखा कि गांवों के पटवारी, जो कि पंजाब सरकार के नौकर थे, जागीरदारों की मदद कर रहे हैं तो उन्होंने सरकार को साफ लिख दिया कि वह उनको रोके। यदि ऐसा न हुआ तो समझा जायगा कि खुद सरकार भी किसानों को कुचलने के लिए जागीरदार-पार्टी में शामिल है। उसका फल यह हुआ कि गढ़ी का पटवारी वहां से बदल दिया गया। उस पटवारी के पास बिना दामों के ली हुई एक घोड़ी थी, जो वास्तव में एक किसान की थी। वह किसान को वापस दिला दी और ७००) की कपास जो रिश्वत में किसानों से उसे लेनी थी, वह नहीं दी गई। इस बीच तीन डिप्टी-कमिश्नर बदले। प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर फैसले की बात करता रहा। अम्बाला के कमिश्नर भिवानी आए और पंडितजी से बातचीत की, लेकिन सब निष्फल। पंडितजी
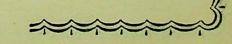
ने यह देखा कि अफसर जागीरदारों का ही साथ देते हैं, तो उनके बुलाने पर भी उन्हें टालने लगे। मियां अब्दुल अजीज डिप्टी कमिश्नर हिसार ने छिपे-छिपे किसानों को तोड़ने के लिए कोशिश की। जब पंडितजी को यह पता लगा तो आप अधिक सावधानी से काम करने लगें।

गवर्नर साहब आने वाले थे। डी० सी० ने पंडितजी को इत्तला दिये बिना चन्द किसानों को हिसार बुलाकर कहा कि आप लोग गवर्नर के आने पर कोई प्रदर्शन न करें। में तुम्हारी बात स्वयं कह दूंगा। और यह भी कहा कि इस मामले में श्री नेकीरामजी की सलाह मत लेना। किसान 'हां' करके चले आए और पंडितजी को सूचित कर दिया। इसपर पंडितजी ने यह प्रबन्ध किया कि ठीक उस समय पर जब कि गवर्नर साहब स्किनर स्टेट के गांव के पास से गुजरें, नियत स्थान पर एकदम किसान मोटर के सामने आजायं सभी किसान सभाका झंडा लिए हुए हों। अगर गवर्नर साहब किसानोंकी उपेक्षा करके जानाचाहें तो रास्ता दे दें। यदि वे बात करना पसन्द करें तो पांच-सात आदमी (जोपहले से चुन लिए गए थे) बड़ी शान्ति और धैर्य के साथ गवर्नर साहब को अपने कष्टों की कहानी सुना दें। यह सब प्रबन्ध चुपचाप हो गया। सरकारी कर्मचारी इस ख्याल में थे कि सड़क पर कोई नहीं होगा; लेकिन वहां कई सौ किसान मौजूद पाए।

जब झंडा उठाए किसानों को सड़क पर रास्ता रोके खड़े देखा तो गवर्नर साहब कार से बाहर आ गए। डिप्टी कमिश्नर की कार पीछे थी। वह भी उतर कर आ गए। गवर्नर ने डी० सी० से कहा कि तुम तो कुछ और ही कहते थे। गवर्नर साहब ने बड़ी शान्ति और ध्यानसे किसानों की बातें सुनीं और अंगरेजी में टाइप किए हुए उस कागज को किसानों से ले लिया, जिसमें उनकी उचित मांगें लिखी गई थीं। गवर्नर साहब के आश्वासन दिलाने पर किसानोंने मार्ग छोड़ दिया और गवर्नर साहब भिवानी चले गए।

आन्दोलन प्रतिदिन जोर पकड़ता जाता था। भारत भर के पत्रों में उसकी चर्चा थी। उन्हीं दिनों बारडोली में स्व० सरदार पटेल द्वारा सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। उसको महात्माजी का सहयोग प्राप्त था, लेकिन स्किनर स्टेट के आन्दोलन में बार-बार लिखने पर भी पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने कोई सहारा न दिया। हां, महात्माजी का आशीर्वाद पंडितजी को भी मिल चुका था। एक जलसे में महामना वीयमालजी भी पधारे थे। उनके आने से किसानों को बहुत बल मिला।

लाहौरमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था। सरकारको यह ख्यालहो गया कि यह आन्दोलन जागीरदारों तक सीमित न रहकर कहीं सारे पंजाब की चीज न बन जाय। लाहौर से बराबर हिसार के अधिकारियों पर जोर डाला जा रहा था कि किसी तरह मामले को खतम कराओ। वे प्रयत्न कर ही रहे थे। आखिर एस० एन० चन्द्रा डिप्टी

कमिश्नर हिसार ने पंडितजी से मिलकर तय किया कि २४ दिसम्बर १९२९ को डी०सी० की कोठी पर कर्नल स्टानली स्किनर के साथ किसानों के प्रतिनिधि बात करें। इसका प्रबन्ध हो गया। कई घण्टे बातचीत होती रही। पंडितजी बातचीत में शामिल न हों, यह कर्नल स्किनर चाहते थे। पंडितजी बाहर बगीचे में बैठे रहे और थोड़ी-थोड़ी देरके बाद किसान अन्दर क्या बातचीत हो रही है, इसकी खबर देते रहे। दोपहर तक कुछ नहीं हुआ। खाना खाने के बाद फिर बैठे। तब भी कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर शाम हो गई और डी० सी० बहुत तंग आ गए। बाहर निकलकर पंडितजी से कहा कि अब क्या करना चाहिए। तब चौ० घासीरामजी (उस समय के तहसीलदार भिवानी) ने कहा कि मैं समझता हूं कि कर्नलसाहब जबतक पंडितजी से बात नहीं करेंगे तबतक फैसला होना कठिन है। डी० सी० इससे सहमत हुए और अन्दर जाकर कर्नलसाहब से कहा कि पंडितजी को अन्दर बुला लेना चाहिए। आपसे उनकी सीधी बात हो जायगी, फैसला हो जायगा। कर्नल साहब ने कहा, "मैं पंडितजी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें जादू है। उनके सामने बैठनेवाला उनकी बात मान लेता है।" इस पर डी० सी० हँसे और कर्नल से कहा कि इस वहम को छोड़ दो। तब डी० सी० बाहर आकर पंडितजी को साथ ले गये। कर्नल साहब से मुलाकात कराई। पंडितजी हँसते हुए बोले, "कर्नल साहब, मैं आप पर जादू नहीं करूंगा। मैं सिर्फ किसानों के दुःख दूर करने के लिए आपसे कहूंगा और मुझे आशा है कि आप उनकी तकलीफों को दूर करेंगे।"

इसके बाद पंडितजी ने समझौते की जो शर्तें रखीं, जो इस प्रकार हैं—

(१) किसानों से बेगार न ली जाय।

(२) रिश्वत और नजराना कतई बन्द।

(३) अल्लाबक्स और शामलाल कर्नलके कर्मचारी बड़सी के इलाकेसे हटा दिये जायं।

(४) किसानों में जो लगान बाकी रह रहा है, वह वसूल हो जाय।

(५) नहरी जमीन का लगान ५) पक्का बीघा और बारानी जमीन का लगान १।) पक्का बीघा।

(६) बेदखलियों के केस जो मुजारों पर अब चल रहे हैं, वापस ले लिये जायं।

(७) आगे लगान बढ़ाते समय किसानों की राय ली जाय।

(८) दो-फसली लगान बन्द किये जायं।

(९) बेदखली तभी की जाय, जबकि किसान लगातार दो फसलों का लगान न दे सकें।

समझौता हो गया। इस समझौते पर कर्नल स्टानली स्किनर, पंडित नेकीराम शर्मा और त्रिवेणी सहायजी, मि० गफ्फार बेग, मि० नियामत अली और किसान-सभा के १६ किसानों के हस्ताक्षर थे।
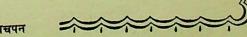
यह फैसला बड़सी इलाकेके गांवोंका हुआ, जो कर्नल स्टानली स्किनर की मिल्कियत के हैं। मि० राबर्टस् स्किनर के साथ नहीं, जो इलाका गढ़ी के मालिक थे। लेकिन किसानों ने बड़सी के इलाके का फैसला पसन्द किया।

किसान सभा का आन्दोलन अब बड़सी इलाके को छोड़कर दूसरे किसानों के गांवों में जोर पकड़ गया। सभा का फैसला यह था कि जबतक किसानों की मांगें पूरी न की जायं तबतक लगान देना रोक लिया जाय। बड़सी इलाके के फैसले के बाद वहां का लगान तो वसूल हो गया, लेकिन गढ़ी के इलाके में लगान देना रुका हुआ था। जब हांसी के और जागीरदारों ने किसानों को बटाई और लगान देने के लिए मजबूर किया तो किसानोंने इन्कार कर दिया। जागीरदारोंने अनाज उठाने से रोका। इसमें जागीरदारों ने पुलिस की मदद ली। जहां कहीं खलिहानों में अनाज पड़ा हुआ था, जागीरदार उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसे ढोने के लिए गाड़ियों या ऊंटों का प्रबन्ध नहीं हो सका।

१३ अप्रैल सन् १९३० की बात है। पंडितजी को भिवानी में यह खबर मिली कि हांसी की ढाणियों में किसानों को पीटा जा रहा है और उनके खलिहान उठाए जा रहे हैं। पंडितजी फौरन मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और एक डी० एस० पी० सिपाहियों के साथ वहां मौजूद है और किसान औरत-मर्द सामने कतार बांधे खड़े हुए हैं। पूछने पर पता चला कि कइयों के चोटें भी आई हैं। पंडितजी ने पहुंचते ही अफसरों से बातचीत की और कहा कि मैं अफसरों के इस रवैये को पसन्द नहीं करता। अफसरों ने कहा कि कई किसानों के विरुद्ध वारंट हैं। उन्हें गिरफ्तार करना है। पंडितजी ने उनके नाम पूछे और उन किसानों को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अफसरों ने जब यह कहा कि खलिहान हांसी पहुंचाने के लिए किसानों की बैलगाड़ियां दिला दो तो पंडितजी ने हंसकर कहा कि यह नहीं हो सकता।

किसानों को जेल ले जाया गया और मुकद्दमे के फैसले में महीने तक की सजाएं हुईं। मि० राबर्ट्स स्किनर के इलाके में भी गिरफ्तारियां और सजाएं हुईं। किसान खुशी-खुशी गिरफ्तार होते थे। जब राबर्ट्स स्किनर ने यह देखा कि मामला काबू से बाहर जा रहा है तो उन्होंने भी कम लगान लेना आरम्भ कर दिया।

इस बीच में फरीदकोट के जमींदारी गांव ढाणा के इलाके में चौ० गंगाराम को पंडित नेकीरामजी पर १०७ का दावा करने के लिए तैयार कर लिया। दावा हो गया और पंडितजी को उसी केस में २ मई सन् १९३० को भिवानी में, जबकि वह नमक-आन्दोलन के बारे में सत्याग्रहियों की एक मीटिंग में बैठे हुए थे, गिरफ्तार कर लिया।

अगले रोज ढाणा में बड़ी सभा करने का पंडितजी का निश्चय था। अफसर और जागीरदारउससे भयभीत थे। पंडितजी उसमें न जा सकें, इसलिए उनको एक दिन पहले
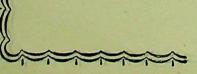
गिरफ्तार कर लिया। पंडितजी को स्पेशल लारी में चार बजे के करीब हिसार कचहरी में ले गए। वहां पंडित ठाकुरदासजी भार्गव, श्री बख्शी रामकृष्ण एडवोकेट तथा कई और वकील पंडितजी को जमानत पर रिहा कराने के लिए इकट्ठे हो गए। जमानत की रकम बड़ी थी। बाबू ज्योतिप्रसाद जी रईस हिसार जामिन हो गए। जब एक केस में जमानत मंजूर हो गई तो डी०एस०पी०ने एक और केस १०७ का कर दिया। जब उस पर भी जमानत हो गई तब उन्होंने नमक कानूनमें गिरफ्तारी बतलाई। तब पंडित-जी ने हंसते हुए कहा, "अब आये आप ठीक ठिकाने पर।" उस केस में जमानत देनी नहीं थी। पंडितजी को जेल भेज दिया और तीसरे दिन मुकद्दमे का फैसला हो गया। एक साल की कैद और २००) जुर्माने की सजा मिली। इनके साथ ही लगभग एक दर्जन इलाकों के किसानों के नाम से केस चलाए गए और स्पेशल मजिस्ट्रेट लगा कर यह कोशिश की गई कि मुकद्दमे का फैसला जल्दी हो जाय। स्कीम यह थी कि कम-से-कम बीस-पच्चीस साल की कैद पंडितजी को कर दी जाय ताकि वह किसी प्रकार का आंदो-लन न कर सकें। मुकद्दमे बाहर अदालत में नहीं, बल्कि जेल में ही किए जाते थे। पंडित ठाकुरदास भार्गव तथा श्री बख्शी रामकृष्ण आदि पंडितजी की पैरवी करते थे। सबका यही ख्याल था कि सजा लम्बी होगी, लेकिन पंडितजी ने कहा कि नमक कानून की सजा पूरी होने तक मुकद्दमे का फैसला नहीं हो सकेगा तो मुझे सजा नहीं दी जा सकेगी।

मुकद्दमे,जिरह और गवाहों की गैरहाजिरी आदिकेकारणोंसे लम्बे होते चले गए। इतने में गांधी-अर्विन-समझौते की बात चल पड़ी। मजिस्ट्रेट ने जल्दी करनेकी कोशिश बहुत की, लेकिन एक मुकद्दमेंके सिवा और कुछ नहींकर सके। और उसमें भी प्रमाणाभाव से पंडितजी को बरी करना पड़ा। गान्धी-अर्विन समझौते के होते ही पंडितजी ७ मार्च १९३१ को जेल से रिहा कर दिये गए और आपके विरुद्ध चलते हुए बाकी किसानों के मुकद्दमों में आपकी जमानत हो गई।

करांची कांग्रेस में जाने से पहले तारीख पर पंडितजी अदालत में हाजिर हुए तो मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस के अधिवेशन के दिनों में तारीख देनी चाही। पंडितजी ने कहा कि आप अधिवेशन के आगे या पीछे की तारीख दीजिए। अधिवेशन छोड़कर मैं नहीं आ सकूंगा और अधिवेशन में जरूर जाऊंगा। आप मुझे हाजिर न होने के अपराधमें वारंट निकालकर पकड़वा लीजिएगा या पहली जमानतों को रद्द करके जेल भिजवा दीजिएगा। पंडितजी ने मजिस्ट्रेट एफ.एम. खानसे यह भी कहा कि आप सरकार के रुख को पहचान नहीं रहे हैं। लाचार मजिस्ट्रेट को अधिवेशनके बाद १२ अप्रैल की तारीख देनी पड़ी। पंडितजी करांची गये और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। वापसी पर जब
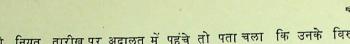
पंडितजी नियत तारीख पर अदालत में पहुंचे तो पता चला कि उनके विरुद्ध चलने वाले सभी मुकद्दमे वापस हो गए हैं। पंडितजी प्रसन्नचित्त अपने घर भिवानी आ गए।

: १७ :

हिन्दू महासभा और पंडितजी

सन् १९२० के दिसम्बर में कांग्रेस का वार्षिकोत्सव नागपुर में श्री विजय राघवाचार्य की प्रधानता में हुआ था, जिसमें कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। स्वर्गीय देशबन्धु चितरंजन दास, लाला लाजपतराय प्रस्ताव को पूरी तरह नहीं मानते थे। नागपुर में महात्माजी के कहने पर उन्होंने अपनी अनुमति दी थी। नागपुर-अधिवेशन के बाद देश में उस प्रस्ताव पर खूब चर्चा चली और असहयोग की तैयारी होने लगी। सांप्रदायिक संस्थाओं को बड़ी चिन्ता थी। उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। सन् १९२१ में हरिद्वार में हिन्दूमहासभा का अधिवेशन हुआ-व्याख्यान-वाचस्पति पंडित दीनदयालजी शर्मा उसके प्रधान थे। ला० सुखवीर सिंह हिन्दू महासभा के मंत्री थे। उन्होंने जोश में आकर यह प्रस्ताव पास करा लिया कि अगर ब्रिटिश सरकार जन्माष्टमी तक गोवध बन्द नहीं कर देगी तो वृन्दावन में हिन्दू महासभा का विशेष अधिवेशन करके हम एक ऐसा बम फेंकेंगे, जिससे सरकार का टिकना मुश्किल हो जायगा। जलसा हो गया और प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया। पंडितजी ने जब अख़बार में यह पढ़ा तो बहुत खुश हुए। लेकिन हिन्दू महासभावाले कुछ कर सकेंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जन्माष्टमी आई और वृन्दावन में हिन्दू महासभा का विशेष अधिवेशन हुआ। पंडितजी को हिन्दू जनता में अपने विचार फैलाने का सुनहरा मौका मिल गया और वह अपने साथियों को लेकर वृन्दावन जा पहुंचे।

साथियों में लाला शंकरलाल, श्री देशबन्धु गुप्त, पंडित श्रीराम शर्मा आदि बहुत से कांग्रेसी थे। अधिवेशन के प्रधान महामना मालवीय थे। स्वामी
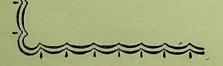
श्रद्धानन्द और पंडित दीनदयाल तथा उनके साथी भी शामिल थे। विषय-निर्द्धारिणी समिति में जब देखा कि ला० सुखवीर सिंह और उनके साथी टाल-मटोल करना चाहते हैं तो पंडित नेकीराम शर्मा ने एक प्रस्ताव रक्खा, जिसमें हिन्दू महासभा के प्रस्ताव की अवहेलना करने पर सरकार की निंदा की गई और जनता से अपील की गई कि गो-रक्षा कराने के लिए सरकार से पूर्ण असहयोग करें। विषय-समिति में हिन्दू महासभावालों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और यहां तक हुआ कि प्रधान पं० मदनमोहन मालवीय भी विरोध में बोले और यह धमकी दी कि या तो नेकीराम अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, नहीं तो मैं प्रधान नहीं रहूंगा। पंडितजी ने कहा कि पूज्य मालवीयजी, यदि मेरा सर भी मांगें तो मैं इन्कार नहीं करूंगा। लेकिन अधिवेशन के प्रधान को ऐसा नहीं कहना चाहिए। बड़ी सीधी-सी बात है कि प्रस्ताव पर मत ले लिया जाय। पास हो जाय तो इस पर अमल किया जाय, और गिर जाय तो बात समाप्त हो जाती है। आखिर भारी बहुमत से विषय-समिति में पंडितजी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

अगले दिन खुले अधिवेशन में पंडितजी ने उसे पेश किया। यहां भी विरोधियों ने विरोध किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। मत लेने से पूर्व पूज्य मालवीयजी भी बोले। अन्त में पंडितजी ने विरोधियों की बातों का उत्तर दिया। उस पर मत लिए गए तो बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव के पक्ष में वोट आए और इस पर जन्माष्टमी की आधी रात के समय जय-घोषके साथ प्रस्ताव पास हो गया। तब पंडितजी ने जनता को सूचना दी कि गोपाष्टमी के अवसर पर हिन्दू महासभा का फिर विशेष अधिवेशन दिल्ली में होगा, जिसमें प्रस्ताव के अनुकूल कार्यक्रम बनाया जायगा। प्रतिनिधियों ने इसकी अनुमति दे दी। ला० सुखवीर सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। पंडितजी ने कहा कि आप और आपके सब साथी भी इस्तीफा दे दें तो भी कोई हानि नहीं है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि यह प्रस्ताव हिन्दू महासभा ने स्वीकृत किया है।

दिल्ली पहुंच कर गोपाष्टमी पर अधिवेशन करने की योजना तैयार हो गई और प्रबन्धक कमेटी में कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी, हिन्दूमहासभाई सभी शामिल हुए। पटोंदी हाउस में गोपाष्टमी के दिन अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के प्रधान पंजाब-केसरी ला० लाजपतराय थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां साहब। अधिवेशन में महात्मा गांधी, देशबन्धु गुप्त, पंडित मोतीलाल नेहरू, डा. पट्टाभि सीतारामैया, डा. अन्सारी, श्री आसफअली आदि-आदि देश के प्रसिद्ध नेता शामिल हुए। सबके व्याख्यान हुए और प्रस्ताव पास हो गया।

गया-कांग्रेस अधिवेशन के समय कांग्रेस पन्डाल में हिन्दू महासभा वाले जलसा करना चाहते थे, किन्तु कांग्रेस स्वागत समिति ने पन्डाल देने से इन्कार कर दिया।

महामना मालवीय ने पंडितजी को अपने पास बुलाया और कहा, "पन्डाल नहीं मिलता और खिलाफत कान्फ़्रेस कांग्रेस पन्डाल में ही होगी। पंडितजी को स्वागत समिति की यह नीति पसन्द नहीं आई। वह फौरन बाबू राजेन्द्रप्रसाद के पास पहुंचे और कहा, "जब खिलाफत कान्फ़्रेस के लिए पन्डाल दिया गया तो हिन्दू महासभा को भी देना चाहिए।" श्री राजेन्द्रप्रसाद ने इस पर पन्डाल का उपयोग करने की आज्ञा दे दी। पूज्य मालवीयजी श्री नेकीराम शर्मा से कहने लगे कि तुम्हें हिन्दू महासभा में योग देना चाहिए। पंडितजी ने कहा, "महासभा में उन लोगों का बाहुल्य है जो सरकारपरस्त हैं। अगर आप हिन्दू महासभा को राष्ट्रीय विचार-धारा के अनुकूल करवा दें तो मैं और कितने ही लोग आ सकते हैं।" मालवीयजी ने वचन दिया कि ऐसा ही होगा। इस पर नेकीरामजी हिन्दू महासभा में योग देने लगे और वह प्रधान मंत्री बना दिये गए।

आगे चलकर पंजाब-केसरी ला० लाजपतरायजी, श्री जयरामदास दौलतराम, ला० देशबन्धु गुप्त आदि कितने ही कांग्रेसी हिन्दू महासभा के सदस्य बन गए। लेकिन यह देखकर कि हिन्दू महासभा की नीति पहले जैसी सरकार-परस्त ही है, पंडितजी को खेद हुआ। किन्तु इस आशा से कि शायद सुधार हो जाय, आप हिन्दू महासभा में काम करते रहे। हिन्दू महासभा ने मद्रास में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया। इससे पंडितजी को कुछ आशा बँधी, लेकिन देखा कि हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी के अधिकारी साइमन कमीशन को सहयोग देने के लिए सदस्य बन गए हैं तो पंडितजी को इनकी यह दोरंगी चाल पसन्द नहीं आई। आपने डा. मुन्जे (उस समय के प्रेसीडेन्ट) को पत्र लिखा और डा. मुन्जे ने उसका गोलमाल उत्तर दिया। पंडितजी ने फिर लिखा कि महासभा की प्रतिष्ठा इसी में है कि उसके अधिकारी साइमन-बहिष्कार में शामिल हों और यदि कोई न माने तो उसे महासभा से निकाल दिया जाय। यदि इन दोनों में से कोई भी बात न हो सके तो महासभा में मैं नहीं रह सकता। इस पत्र के साथ पंडितजी ने अपना त्यागपत्र भी भेज दिया और इस तरह हिन्दू महासभा से पीछा छुड़ाया। पंडितजी जबतक महासभा में रहे, यह प्रयत्न करते रहे कि महासभा देश की राजनीति में दखल न दे। उसके लिए तो कांग्रेस है ही। पंडितजी की राय में हिन्दू महासभा को केवल समाज-सुधार का काम करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति इसके विपरीत थी। हिन्दू महासभा न तो राजनीति से अलग हुई और न उसने सामाजिक सुधार की ओर ही कदम बढ़ाया।

पटना के अधिवेशन में पंडितजी ने विधवा-विवाह का प्रस्ताव रक्खा तो कितने ही लोगों ने इसका विरोध किया, जिनमें पूज्य मालवीयजी भी शामिल थे। अधिवेशन के प्रधान डा. मुन्जे और ला० लाजपतरायजी से पंडितजी ने कहा कि आप श्री मालवीय-

जी को समझाइये। पर उन दोनों ने कहा, "मालवीयजी हमारी बात नहीं मानेंगे।" पंडितजी पटना-अधिवेशन में गए। उससे पहले भिवानी में उनसे कुछ सनातनधर्मियों का झगड़ा हो गया। लोग लाठियां लेकर उनके घर पर चढ़ आए। एक लाठी पंडितजी के लगी और उनके दो भाइयों– पं० हरगोपाल जी, पं० रामचन्द्रजी के कई चोटें आईं। झगड़ा और भी बढ़ जाता, किन्तु हिसार के पं० ठाकुरदासजी भार्गव आदि वकीलों ने मामला दबा दिया। पंडितजी पटना पहुंचकर पूज्य मालवीयजी के पास गए। मालवीयजी ने भिवानी-काण्ड पर आपको बधाई दी और कहा, "समाज-सुधार के कामों में ऐसी कठिनाइयां आ ही जाती हैं। तुम साहस के साथ अपना काम करते चलो।" मालवीयजी के इन शब्दों से पंडितजी को बड़ा सहारा मिला, लेकिन उसी दिन विषय-समिति में जब मालवीयजी को विधवा-विवाह के प्रस्ताव का विरोध करते देखा तो आपके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पंडितजी अपने प्रस्ताव पर अड़े रहे। आखिर संशोधित प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव के जिस भाग में यह सुझाव बीच-बचाव करने वालों ने दिया था कि विधवाओं के जीवन को सुखी बनाने के लिए समुचित उपाय किये जायं, पंडितजी ने कोई और गति न देखकर समुचित उपाय, जिनमें विधवा-विवाह भी शामिल है, जोड़ देने के लिए कहा। कुछ बहस के बाद यह वाक्य जोड़ दिया गया और प्रस्ताव पास हो गया।

इसी तरह बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, बेजोड़-विवाह और शुद्धि के सम्बन्ध में भी पंडितजी ने हिन्दू महासभा की नीति अस्पष्ट देखी।

सन् १९२५ में कानपुर कांग्रेस के समय जब हिन्दू महासभा का अधिवेशन हुआ तो शुद्धि के सम्बन्ध में पंडितजी ने अपने भाषण में कहा कि जो चाहे हिन्दू हो जाय, हिन्दू धर्म के द्वार सबके लिए खुले हैं। तबसे हिन्दू महासभा ने इसी नीति को स्वीकार किया।

: १८ :
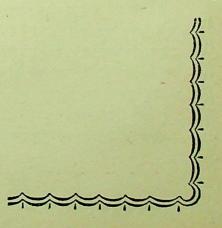
ब्रह्मदेश की यात्रा

सन् १९२७ में पंडितजी हिन्दू सभा के प्रधान बनकर बर्मा गये थे। अधिवेशन मांडले में हुआ था। पंडितजी रंगून में जहाज से उतरे तो बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए जमा थे। शहर में बड़ा शानदार जुलूस निकाला गया।

दिन छिप चुका था। जब जुलूस बाजार में एक मस्जिद के सामने से गुजरा तो पंडित-जी के घुटने पर जोर से एक पत्थर लगा। पत्थर गाड़ी में गिर पड़ा था। पंडितजी ने उसे उठा लिया। यद्यपि घुटने में काफी चोट आई थी, तथापि पंडितजी ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया जुलूस के साथ चलते हुए सी. आई. डी. के आदमी को पंडितजी ने इशारे से बुलाया और उसके कान में पत्थर लगने की बात बताई और कहा, "पत्थर कहां से आया है, इसका पता लगाओ।" जुलूस चलता गया। थोड़ी देर के बाद सी.आई.डी. ने आ कर कहा कि पत्थर मस्जिद से आया है और वहां पर तहकीकात के लिए आदमी चले जायंगे। पंडितजी ने कहा, "मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस बात पर झगड़ा न हो जाय।"

पंडितजी जुलूस की समाप्ति पर निवासस्थान पर पहुंचे। वहां मि० पोलक भी ठहरे हुए थे। जब भीड़ कुछ कम हुई तो वहां के एक प्रतिष्ठित मुसलमान रईस मियां लतीफी ने पंडितजी से कहा, "यहां पर हिन्दू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। हिन्दुस्तान की तरह आपस में कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है।" इस पर पंडितजी ने हँसकर कहा, "जी हां, आप ठीक फरमाते हैं। इसका सबूत यह लीजिए।" यह कहकर उनको पत्थर दे दिया और जो हुआ था वह बताया तो मियां लतीफी बहुत घबराए और मि० पोलक को बहुत दुःख हुआ। इतने में डी. एस. पी. वहां पहुंचे और पंडितजी से कहा कि हम तहकीकात करने जा रहे हैं। हमने अपराधियों का पता लगा लिया है। डी. एस. पी. ने यह भी कहा कि आपने जिस धैर्य से काम लिया है उसकी तारीफ गवर्नर साहब ने भी की है। अगर आप वहीं पर यह पत्थर लगने की बात कह देते तो अबतक शहर में फसाद हो जाता। पंडितजी ने कहा, "मैं तो तहकीकात नहीं चाहता और आपसे यह निवेदन करूंगा कि किसी को पकड़ें भी नहीं और मैं यह भी चाहता हूं कि अखबारों में भी इसकी

चर्चा न की जाय।" इसपर वहां बैठे हुए लोग पंडितजी की उदारता की प्रशंसा करने लगे। डी. एस. पी. ने यह भी कहा कि गवर्नर साहब का हुक्म है कि आपके साथ पुलिस की ड्यूटी रहे । आपको इस पर एतराज नहीं करना चाहिए ।

अगले दिन रंगून
दिया गया, लेकिन उ

अगले रोज पंडि
के प्रतिनिधियों और
वहां पर जिस मकान
पुलिस का पहरा भी
पुलिस का पहरा हटा
असमर्थता प्रकट की ।
जलसे में हिन्दुस्तानि

दूसरे दिन की स
स्वयंसेवक पहुंचे । पं
करने के लिए तैयार है
उसी क्षण पन्डाल में
नहीं बैठ सकते वे यदि
के लिए मैं स्वयंसेवकों
पुलिसवाले उनकी ग

सभा की समाप्ति
रामस्वरूप पंडितजी
जाइए । मैं अपना रिव
पूरी तैयारी हो गई है
करें । रामस्वरूप की
नित्य की तरह मोटर

जलसे के बाद पं
पंडितजी के पास कई
सम्मेलन हो रहा है । हजारों बौद्ध भिक्षु वहां इकट्ठे होंगे । हम और हमारे साथी यह चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हों । पंडितजी को यह बात पसन्द आ गई । लेकिन थोड़ी देर बाद डी. एस. पी. ने आकर कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए । वहां हिन्दु-स्तानियों और विशेषकर हिन्दुओं के विरोधी लोग आयंगे । हो सकता है कि वे झगड़ा कर

दिनांक	सदस्य संख्या	दिनांक	सदस्य संख्या

थे। अधिवेशन मांडले
उनके स्वागत के लिए

ने से गुजरा तो पंडित-
था। पंडितजी ने उसे
 इस बात को जाहिर
दमी को पंडितजी ने
र कहा, "पत्थर कहां
के बाद सी.आई.डी. ने
त के लिए आदमी चले
। सिर्फ इतना चाहता

। वहां मि० पोलक भी
मुसलमान रईस मियां
से रहते हैं। हिन्दुस्तान
डतजी ने हँसकर कहा,
यह कहकर उनको पत्थर
घबराए और मि० पोलक
 पंडितजी से कहा कि
ा लिया है। डी. एस. पी.
ने यह भी कहा कि आपने जिस धैर्य से काम लिया है उसकी तारीफ गवर्नर साहब ने भी की है। अगर आप वहीं पर यह पत्थर लगने की बात कह देते तो अबतक शहर में फसाद हो जाता। पंडितजी ने कहा, "मैं तो तहकीकात नहीं चाहता और आपसे यह निवेदन करूंगा कि किसी को पकड़ें भी नहीं और मैं यह भी चाहता हूं कि अखबारों में भी इसकी

चर्चा न की जाय।" इसपर वहां बैठे हुए लोग पंडितजी की उदारता की प्रशंसा करने लगे। डी. एस. पी. ने यह भी कहा कि गवर्नर साहब का हुक्म है कि आपके साथ पुलिस की ड्यूटी रहे। आपको इस पर एतराज नहीं करना चाहिए।

अगले दिन रंगून में नागरिकों की ओर से एक बड़ी सभा में पंडितजी को मान-पत्र दिया गया, लेकिन उसमें पिछले दिन की घटना का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

अगले रोज पंडितजी ट्रेन से मांडले के लिए रवाना हुए। उस ट्रेन में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों की भीड़ थी। मांडले में बड़ा भारी जुलूस निकला। वहां पर जिस मकान में पंडितजी ठहराए गये थे, उसके बाहर स्वयंसेवकों के अतिरिक्त पुलिस का पहरा भी लगा हुआ था। तब पंडितजी ने डी. एस. पी. से कहा, "कृपा करके पुलिस का पहरा हटा दीजिए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता।" इसपर डी.एस.पी. ने अपनी असमर्थता प्रकट की। लेकिन वह यह मान गए कि बिना वर्दी के आदमी मौजूद रहेंगे। जलसे में हिन्दुस्तानियों के अतिरिक्त बर्मी नागरिक और बौद्ध भिक्षुक भी आए थे।

दूसरे दिन की सभा में पन्डाल के एक कोने में शोर हुआ। शोर को रोकने के लिए स्वयंसेवक पहुंचे। पंडितजी ने देखा कि शोर और भी बढ़ गया है और कुछ आदमी झगड़ा करने के लिए तैयार हैं तब आपने कुर्सी पर बैठे ही बैठे बहुत जोर से कहा, "खा...मो...श।" उसी क्षण पन्डाल में सन्नाटा छा गया। तब पंडितजी ने कहा कि जो लोग खामोशी से नहीं बैठ सकते वे यदि पन्डाल से बाहर चले जायं, तो अच्छा हो, नहीं तो उन्हें बाहर करने के लिए मैं स्वयंसेवकों को हुक्म दूंगा। फलतः ७-८ आदमी फौरन बाहर चले गए और पुलिसवाले उनकी गतिविधि देखने के लिए उनके पीछे हो लिए।

सभा की समाप्ति पर जब पंडितजी सैर के लिए मोटर में बैठे तो मैमियों के पंडित-रामस्वरूप पंडितजी के पास घबराए हुए आकर कहने लगे कि आप पांच मिनट ठहर जाइए। मैं अपना रिवाल्वर ले आता हूं। मुझे खबर लगी है कि आप पर हमला करने की पूरी तैयारी हो गई है। पंडितजी ने धन्यवाद देते हुए मुस्करा कर कहा, "आप चिन्ता न करें। रामस्वरूप की जगह स्वयं राम मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ रहते हैं।" पंडितजी नित्य की तरह मोटर में घूम आए और कोई घटना नहीं हुई।

जलसे के बाद पंडितजी कई दिन बर्मा ठहरे और वहां के स्थानों को देखा-भाला। पंडितजी के पास कई बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने कहा कि बौद्धों का एक बड़ा भारी सम्मेलन हो रहा है। हजारों बौद्ध भिक्षु वहां इकट्ठे होंगे। हम और हमारे साथी यह चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हों। पंडितजी को यह बात पसन्द आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद डी. एस. पी. ने आकर कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वहां हिन्दुस्तानियों और विशेषकर हिन्दुओं के विरोधी लोग आयंगे। हो सकता है कि वे झगड़ा कर
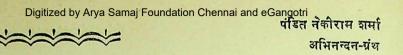
बैठें। गवर्नर साहब ने यह कहा है कि आप वहां न जायं तो अच्छा है। वहां के कई प्रतिष्ठित हिन्दुओं ने भी यही राय दी। लाचार पंडितजी वहां नहीं गये। बर्मा का यह दौरा बहुत सफल रहा। वहां के लोगों ने आग्रहपूर्वक पंडितजी से यह वायदा करा लिया था कि वे फिर बर्मा आयंगे; लेकिन यह वायदा अबतक वायदा ही बना हुआ है।

: १९ :

लुहारू-काण्ड

जब स्किनरी स्टेट से किसान-आन्दोलन चल रहा था, तब लुहारू से किसानों का एक शिष्ट-मंडल पंडितजी के पास दिल्ली आया। उसने लुहारू के किसानों के कष्टों को बता कर कहा कि पंडितजी लुहारू चलें। पंडितजी न कहा, "लुहारू नवाब का राज्य है, जिसके अपने कायदे-कानून हैं। वहां देर तक बैठने से काम होगा। अभी तो स्किनर के काम का फैसला नहीं हुआ। इसमें सफलता मिल जायेगी तो फिर सोचूंगा कि तुम्हारे बारे में क्या करना है। तबतक तुम नवाब से मिल कर अपनी दुःख-गाथा सुनाते रहो। लेकिन कोई आन्दोलन मत छेड़ना। यदि तैयारी के बिना कोई आन्दोलन करोगे तो नवाब तुमको दबा देगा।" इसके बाद किसान कुछ दिन खामोश रहे। लेकिन बहुत देर तक वे चुप न रह सके और सन् १९३५ में आन्दोलन शुरू कर दिया।

इससे पहले वे नवाब से मिलते रहे और पंजाब की रियासतों के रेजिडेंट से भी मिले। जगह-जगह इकट्ठे होकर अपनी मांग नवाब के पास भेजते रहे। लेकिन नवाब टस-से-मस न हुए और जोश बढ़ता गया। उसका परिणाम यह हुआ कि नवाब ने उनको दबाने के लिए दिल्ली से फौज बुला ली। इससे पहले रेजिरेंट की आमद पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए किसानों पर लाठियां बरसाई गई थीं। पंडितजी उन दिनों दिल्ली में थे। पता लगाकर किसान दिल्ली पहुंचे और उन्हें लुहारू की परिस्थिति बताई। तबतक गोलियां नहीं चलीं थीं। पंडितजी ने उनसे कहा, "मैंने तुमको रोका था, लेकिन तुमलोग जोश में आकर जल्दी कर बैठे। अबतक तो तुमको लाठियों से पीटा है और अब तुमने और जोश दिखलाया

तो नवाब तुमपर गोलियां बरसा देंगे। तुम जल्दी वापस जाओ और लोगों से कहो कि पंचायत और सभा करनी बन्द कर दें।" यह सुनकर किसान निराश हो वापस लौट गए। वे मुश्किल से लुहारू पहुंचे थे कि गोलियां चलनें लगीं। बाईस किसान मारे गए और छब्बीस घायल हुए। मृतकों की लाशें भिवानी अस्पताल में पहुंची तो पंडितजी को इसकी खबर दी गई। पंडितजी ने इस समाचार को अखबारों में छपवाया और फिर भिवानी पहुंचे। जो मर चुके थे, उनका दाह-संस्कार कराया गया और घायलों का इलाज।

पंडितजी ने भिवानी पहुंच कर सुना कि ठाकुरदास भार्गव और चौ० छोटूराम लुहारू गए हुए हैं। उन्होंने आकर सारा हाल बतलाया और किसानों की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके प्रधान चौधरी छोटूराम थे।

पंडितजी ने पूरा हाल समाचार-पत्रों में छपवाया और सरकार को जांच करने के लिए लिखा। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।

: २० :

भाखरा नहर-आन्दोलन

जिला हिसार में वर्षा की कमी और नहरों के अभाव से प्रायः दुर्भिक्ष पड़ते रहते हैं। यमुना की पश्चिमी नहर से जिले के थोड़े इलाके में पानी आता है। बाकी बहुत बड़ा इलाका बारानी है। बहुत-से गांवों में तो पीने के पानी का भी कष्ट है। इस कष्ट को दूर करने के लिए कई बार सरकार से प्रार्थना की गई, किन्तु सब निष्फल। सरकार की तरफ से भाखरा नहर लाने की बात तो कही गई, लेकिन वह बात पूरी करने के लिए चेष्टा नहीं की गई। कौंसिलों में सवालों के जवाब में बार-बार नहर लाने का आश्वासन दिलाया जाता रहा। बाकी पंजाब में नहरों के पानी से खेती करने का सरकार अच्छा प्रबन्ध करती रही। लेकिन हरियाणे के इलाके के साथ सरकार सौतेली मां जैसा व्यवहार करती रही।

पंडितजी इस व्यवहार से बहुत दुःखी थे। निश्चय किया गया कि नहर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके लिए हिसार में १९ मई १९३९ ई० को एक कान्फ़्रेन्स बुलाई गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इलाके के लोग उपस्थित हुए। उसमें पंडितजी ने अपने जोरदार भाषण में कहा, "पंजाब सरकार जान-बूझ कर यहां नहर का प्रबन्ध नहीं करती, क्योंकि उसे इस इलाके से फौज के लिए आदमी चाहिए। भूखों मरते फौज में जल्दी भर्ती हो सकते हैं। यहां नहर लाकर फौजी भर्ती को बन्द कैसे करा दे।"

उस कान्फ्रेंस में यह भी निश्चय हुआ कि सरकार को २९ फरवरी सन् १९४० तक का अवकाश दिया जाय कि यदि इस अवधिपर्यंत सरकार कुछ न करे तो फिर अपने कष्टों को निवारण कराने के लिए आन्दोलन किया जाय।

अवधि आई और सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अप्रैल में पंडितजी ने सारे हरियाणे प्रान्त का दौरा करने का निश्चय किया।

आपने किराए पर एक लारी ली। उसमें लाउड स्पीकर लगा लिया और रोहतक, हिसार और गुड़गांवा के जिलों में एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर तूफानी दौरा आरम्भ किया। एक-एक दिन में कई-कई सभाओं में व्याख्यान दिए और लोगों को आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सब प्रकार से तैयार होने को कहा।

मई और जून की सख्त गर्मी, रेतीले टीबों में से गुजरना, उसके साथ ही जोर की आंधी और फिर पानी का भी प्रबन्ध न होना, इन कठिनाइयों में आपने इस रेतीले प्रान्त का दौरा किया। उनके साथियों से मालूम हुआ है कि उन दिनों धुले हुए कपड़े तो दो घंटे में ही खराब हो जाते थे और उन्हें धोने का कोई प्रबन्ध था नहीं। इसलिए पंडितजी ने खाकी रंग की बर्दी सिलवा ली, ताकि वह शीघ्र मैली दिखाई न दे।

पंडितजी को इस दौरे में बवासीर जैसे भयानक रोग ने भी आ दबाया, परन्तु आपने किसी भी कष्ट की परवाह नहीं की और इन सब कष्टों का सहन करते हुए निश्चित प्रोग्राम को पूरा करके ही दम लिया।

उन दिनों सर सिकन्दर हयात खां पंजाब के बड़े वजीर थे। उनको पंडितजी का यह दौरा अच्छा नहीं लगा, परन्तु करते क्या ? उनके साथी स्व० सर छोटूराम भी भाखरा नहर को हरियाणे में लाने के लिए प्रयत्नशील थे; पर उनकी कोशिश भी बहुत देर तक सफल नहीं हो सकी।

पंडितजी और उनके साथियों का उन दिनों के कठिन तप का एक परिणाम तो यह निकला कि सुन्दर नहर (बरसाती) हरियाणे में लाई गई, जिससे इस इलाके को काफी लाभ हुआ। और दूसरे इस आन्दोलन से प्रभावित होकर और सर छोटूराम के प्रयत्नों से पंजाब सरकार ने भाखरा नहर की मंजूरी दे दी।
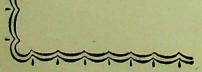
पंडितजी के उसी अथक प्रयत्न का फल आज हम देख रहे हैं। भाखरा नहर का काम बड़े जोरों से हो रहा है और आशा की जाती है कि चार-पांच साल में नहर का पानी हिसार में आ जायगा और यह प्रान्त लहलहा उठेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जो काम भाखरा नहर का इस समय हो रहा है, इसको स्वीकार कराने में हमारे इस नेता का पूरा हाथ है। हरियाणा-निवासी उनके इस महान उपकार को कभी न भूल सकेंगे।

: २१ :

व्यापार-मंडल और बिक्री-कर
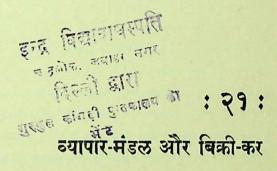
पञ्जाब में सर सिकन्दर की सरकार ने दुकानदारों पर बिक्री-कर लगाया था। व्यापारियों में उससे रोष फैला। विरोध करने के लिए व्यापार-मंडल बना। उसके प्रधान लाला बिहारीलाल चानणा बने। जब शिष्टमंडल की बात नहीं मानी और लिखा-पढ़ी की परवाह नहीं की तो व्यापार-मंडल ने बिक्री-कर के विरुद्ध सत्याग्रह करने की घोषणा की। फलस्वरूप स्थान-स्थान पर स्वयंसेवकों का संगठन किया गया और उनकी गिर-फ्तारियां शुरू हुईं। सारे पंजाब में इस आन्दोलन से भारी हलचल मच गई और कभी-कभी लड़ाई-झगड़े की आशंका भी होने लगी।

पंडितजी अपने मित्र पंडित हरिकृष्ण रईस लाहौर की पुत्री के विवाह पर लाहौर गए थे। उस विवाह में लाहौर के बड़े-बड़े रईस शामिल हुए थे। उनमें राजा नरेंद्रनाथ भी थे। राजा साहब ने पंडितजी से व्यापार-मंडल के आन्दोलन की चर्चा की और उनसे राय मांगी कि इस विषय में क्या करना चाहिए। राजा साहब ने यह भी कहा कि व्यापार मंडलवालों ने उनको राजा दयाकृष्ण कौल और दीवान बद्रीदास को फैसले के लिए पंच माना है। राजाजी चाहते थे कि पंडितजी भी इसके साथ शामिल हो जायं। पंडितजी ने राजा साहब से सारी परिस्थिति समझी और उनको अपनी राय दी। वहीं पर व्यापार-

मंडल के कई सदस्य भी उपस्थित थे। उनका यही आग्रह था कि पंडितजी बीच में पड़कर समझौता करा दें।
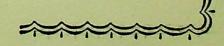
अगले दिन राजा साहब की कोठी पर पंचों के अतिरिक्त व्यापार-मंडल के भी कई प्रतिष्ठित सभासद इकट्ठे हुए। पंडितजी भी वहां बुलाए गए। सत्याग्रह के पक्ष और विपक्ष में बातें हुईं। उनसे सत्याग्रह के बल का अनुमान लगाकर पंडितजी ने कहा, "समझौते के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। देर होने से मुझे भय है कि कहीं सत्याग्रह स्वयं बन्द न हो जाय और उस दशा में न केवल व्यापार मंडल, अपितु अन्य संस्थाओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और सरकार का हौसला बढ़ेगा।" पंडितजी ने पंचों में शामिल होना तो स्वीकार नहीं किया, किन्तु बुलाने पर उन्होंने अपनी सम्मति देना मंजूर कर लिया। तबतक हजारों स्वयंसेवक कई स्थानों पर गिरफ्तार हो चुके थे। ला० बिहारीलाल चानणा ला० भगवानदास, श्री भगतराम चानणा आदि कार्यकारिणी के अधिकारी भी जेल में थे। पंडितजीने राजा साहबसे कहा कि इस विषयमें जेल में बैठे हुए नेताओं की सम्मति लेनी आवश्यक है। आप व्यापार-मंडल के दो-चार सदस्यों को जेल में मिलने की आज्ञा दिला दें। जब ये लोग उनकी सम्मति जानकर आ जायंगे तब आगे विचार किया जायगा। राजाजी की कोठी पर अभी यह पंचायत हो ही रही थी कि समाचार मिला कि मालरोड पर लाठी चार्ज हुआ है और गिरफ्तारी में कई लड़कियां और मियां इफखतारुद्दीन, ला० भीमसेन सच्चर, दीवान चमनलाल आदि कांग्रेसी भी थे। पीटनेवाले में राजा साहब के पोते भी शामिल थे। इस समाचार से व्यापार-मंडल के क्षेत्र में क्षोभ और भय का संचार हुआ। राजा साहब ने सर सिकन्दर हयात खां से कहा कि वह बातचीत करने के लिए व्यापार-मंडलवालों को जेल में मुलाकात करने की आज्ञा दे दें। पर प्रीमियर ने यह बात नहीं मानी।

सर सिकन्दर को पंडितजी के व्यापार-मंडलवालों से बातचीत करने का पता चला तो उन्होंने राजा साहब से कहा कि मैं पंडितजी को जेल में मुलाकात की आज्ञा दे सकता हूं। राजा साहब ने इसे मान लिया और इसकी खबर पंडितजी को देने के साथ-साथ अपने साथी पंचों तथा व्यापार-मंडलवालों को भी दे दी। इससे फिर कुछ आशा की लहर पैदा हुई।

पंडितजी भविष्य में कैसे काम करें, इस सम्बन्ध में राजा साहब से उनकी कोठी पर विचार कर ही रहे थे कि चीफ जौन के मालिक ने आकर कहा कि मेरी लड़कियां गिरफ्तार कर ली गई हैं। इससे सारे घर में हाहाकार मच गया है। कृपाकर उन्हें अभी छुड़वा दीजिए। राजा साहब ने फोन पर सर सिकन्दर को कहा और उनके हुक्म से संध्या से पहले ही लड़कियां छोड़ दी गईं। पंडितजी ने राजा साहब से कहा कि जब जिम्मेवार लोगों

का यह हाल है तो आन्दोलन सफल हो ही नहीं सकता। अगले दिन लाहौर से गिरफ्तारी के लिए बाहर से आनेवालों की संख्या कम हो गई और उनमें से बहुतों ने यह भी कहा कि शहरवाले आगे क्यों नहीं बढ़ते।

पंडितजी ने लाहौर सेंट्रल जेल में जाकर लाला बिहारीलाल चानणा आदि प्रमुख सज्जनों से बातचीत की, उनको सारा किस्सा सुनाया और उनकी इस विषय में सम्मति मांगी। पंडितजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "सत्याग्रह करने में जल्दबाजी से काम लिया गया है। अगर उसका परिणाम अब यह हो कि सत्याग्रह-आन्दोलन अपनी मौत मर जाय तो बहुत बुरा होगा। इससे अच्छा यह होगा कि सत्याग्रह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय। हमें सत्याग्रह के आचार्य महात्मा गांधी का अनुसरण करना चाहिए। वे सत्याग्रह करते थे और किसी अवसर पर उसे बन्द भी कर देते थे।" श्री बिहारीलाल ने कहा, "मैं तो जेल में बैठा हूं। व्यापार-मंडल के सदस्य बाहर हैं। वे जो निर्णय कर देंगे वह मुझे मान्य होगा।" यह काम कैसे किया जाय, इस पर भी दोनों में बातचीत हुई।

सेंट्रल जेल से निकल कर पंडितजी बोर्स्टल जेल में गए। वहां गिरफ्तार हुए कांग्रेसी नेता भी थे। उनको सारा हाल सुनाया। वहां श्री बिहारीलाल के छोटे भाई श्रीभगतराम चानणा ने बिहारीलाल के साथ हुई बातचीत जाननी चाही, लेकिन पंडितजी ने नहीं बताई, क्योंकि बिहारीलालजी को वे वचन दे चुके थे। बातचीत में पंडितजी ने यह भी कह दिया कि आप लोग (कांग्रेसी) आज शाम तक अपने घरों में चले जायंगे। इस पर इफ्खतारुद्दीन ने पूछा कि आप यह किस बुनियाद पर कह रहे हैं। पंडितजी ने कहा, "मुझे मालूम है कि आपकी रिहाई का हुक्म हो चुका है।" तब मियां साहब बिगड़ कर बोले कि आपने हमारी रिहाई की सिफारिश क्यों की ? पंडितजी ने कहा, "सिफारिश करनेवाला मैं नहीं, किन्तु राजा नरेंद्रनाथ हैं और यदि सारा भेद जानना चाहते हैं तो मैं बताए देता हूं कि आप, आपकी बेगम साहिबा और मौलाना आजाद की सिफारिश पर छोड़े जा रहे हैं। इस पर मियां साहब और भी बिगड़े। तब ला० भीमसेन सच्चर ने बीच-बचाव करते हुए कहा, "मियां साहब को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए।" देवराजजी सेठी ने भी यही कहा। उत्तर में मियां साहब ने कहा, "मैं इतने हिन्दुओं में अकेला मुसलमान हूं। इसीलिए आपलोग मुझे तंग करते हैं।" तब सच्चरसाहब से पंडितजी ने कह दिया कि मियां साहब की बेगम ने मौलाना आजाद के पास कलकत्ता फोन किया और आजाद साहब का फोन सर सिकन्दर के पास आया तब रिहाई का आर्डर हुआ।

इस घटनासे पहले की एक घटना का जिक्र करना आवश्यक है। कुछ लोगोंने डा० गोपीचन्द भार्गव को फैसला करने के लिए कहा था। उन्होंने सर सिकन्दर से बातचीत की। व्यापार-मंडलवालों की एक मांग यह थी कि २० हजार रुपए से क़म पर टैक्स न लगे।
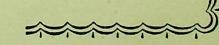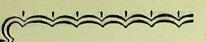
सरकारी हुक्म में ५ हजार तक टैक्स था। सर सिकन्दर ने ५ से १० हजार पर टैक्स लगाने की बात मान ली थी और डा० साहब से कहा था कि आपलोग सर छोटूराम से यह बात मनवा दें। डाक्टर साहब ने पंडितजी से कहा, "सर छोटूराम के पास जाकर ऐसा प्रबन्ध करा दीजिये जिससे सर सिकन्दर की बात को समर्थन मिले। पंडितजी सर छोटूराम से मिले।

सर छोटूराम ने ५ से १० हजार की बात सुनकर दुःख और आश्चर्य के साथ कहा कि हमारे प्रीमियर ने यह सब कैसे कर दिया। मुझसे पूछा तक नहीं। चौधरी साहब ने पंडितजी के सामने ही सर सिकन्दर से टेलीफोन पर कहा कि आपने ५ से १० हजार कर दिए, इसे मैं ठीक नहीं समझता। खैर जो कर दिया सो कर दिया। कृपाकर अब कोई नया संशोधन न कीजिएगा। चौधरी साहब ने पंडितजी से कहा, "यह व्यापारी कितने नादान हैं। यदि २० हजार से कम पर टैक्स न लगाने की बात मान ली जाय तो टैक्स का सारा बोझ प्रायः हिन्दुओं पर पड़ेगा और मुसलमान बच जायंगे। १० हजार कर देने पर भी बहुत-से दुकानदार मुसलमान बच जायंगे। ५ हजार पर टैक्स लगाने से मुसलमानों की संख्या भी काफी आ जाती है।" सर सिकन्दर ने जल्दी से ५ से १० कर दिए, उसका रहस्य यही हो सकता है। पंडितजी उनके उत्तर से बहुत खुश हुए और डा० साहब को सारी बात कह सुनाई। पंडितजी ने यह भी कहा कि मैं हैरान हूं कि हिन्दुओं का एक दल चौधरी छोटूराम को अहिन्दू कैसे कहता है?

व्यापार-मंडल की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उसमें डा० गोपीचन्द और पंडित-जी को विशेष निमंत्रण से बुलाया गया था। कई घन्टों के वाद-विवाद के पश्चात् सत्याग्रह स्थगित कर देने का प्रस्ताव पास हुआ। व्यापार-मंडलवाले प्रस्ताव में कैदियों की रिहाई की मांग रखना चाहते थे, लेकिन पंडितजी को यह बात पसन्द नहीं आई और उन्होंने कहा, "इस मांग को रखने से प्रस्ताव का महत्व घट जाता है।" इस पर व्यापार-मंडलवालों ने कहा कि फिर आप हमें वचन दीजिए कि सब कैदी छोड़ दिए जायंगे। पंडितजी ने कहा, "मैं कोई ऐसा वायदा नहीं करता। आप यही समझ कर प्रस्ताव पास कीजिए कि सब कैदी जेल में ही रहेंगे। आप उनकी रिहाई के लिए बेताब न होइए। यह ठीक है कि सत्या-ग्रह बन्द होने के बाद सरकार उनको जेल में क्यों रक्खेगी। लेकिन आप शर्त न रक्खें।" यह प्रस्ताव रात को १ बजे के बाद पास हुआ।

अगले दिन प्रातःकाल अखबारों में समाचार पढ़कर लोगों ने कैदियों की रिहाई के लिए प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। पंडितजी ९ बजे के करीब राजा साहब की कोठी पर गए। वहां से उनको साथ लेकर सर सिकन्दर से मिले और उनसे सत्याग्रहियों की रिहाई का आर्डर दिलवाया। दोपहर को पंडितजी सेंट्रल जेल गए। वहां देखा कि हजारों आदमी
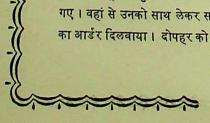
जेल से बाहर खड़े हुए रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंडितजी ने जेल के दफ्तर में जाकर देखा कि वहां लाहौर के डी. सी. और एस. पी. बैठे हुए हैं और यह विचार कर रहे हैं कि मालरोड पर जुलूस न निकले। इस पर वे थोड़े-थोड़े आदमियों को जेल से रिहा करना चाहते थे। जेल-अधिकारियों ने जब यह बात पंडितजी से कही तो उनको पसन्द नहीं आई। पंडितजी सुपरिंटेन्डेन्ट के कमरे में जा बैठे। जब डी. सी. और एस. पी. को पता लगा कि पंडितजी वहां आए हुए हैं तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और अपनी योजना बताई। पंडितजी ने कहा, "इस तरह तो आप तीन दिन में जेल खाली करा सकते हैं। मेरी राय में आप उनको एकदम छोड़ दें और जुलूस-बन्दी का जिक्र भी न करें। मेरा विचार है कि वे लोग जेल से निकलते ही घर पहुंचने की जल्दी करेंगे और जुलूस नहीं निकलेगा।" अफसरों को यह बात पसन्द आ गई। उन्होंने कहा कि आपको देर तक यहां रहना पड़ेगा। पंडितजी ने जेल-अधिकारियों से कहा कि अन्दर वार्ड में ही रिहाई पर दस्तखत करवा लेने चाहिए। पंडितजी अधिकारियों सहित जेल में गए। वार्ड में घुसते ही पंडितजी ने देखा कि सत्याग्रही रिहाई की खुशी में मस्त हैं। रिहाई शुरू हुई।

श्री बिहारीलाल चानणा के पैर में कुछ तकलीफ थी। उन्होंने पंडितजी से कहा कि वह पैदल नहीं चल सकेंगे। उनको पहुंचाने के लिए एम्बुलेन्स कार का प्रबन्ध करा दें। पंडितजी ने डी. सी. से कहकर कार मंगाई, जो श्री बिहारीलाल को टेन्ट से सवार कराकर व्यापार-मंडल के दफ्तर तक ले गई।

सेंट्रल जेल में ७०० के लगभग सत्याग्रही थे, जो कई दिन में इकट्ठे हुए थे और जो कुछ ही घंटों में जेल से बाहर कर दिये गए। रिहाई के बाद पंडितजी ऋषिभवन चले गए। वहां जाकर सुना कि जब श्री बिहारीलाल व्यापार-मंडल के दफ्तर में पहुंचे तो उनको विरोधियों ने बुरा-भला कहा और बड़ी मुश्किल से वह वहां से ठहरने की जगह जा सके।

व्यापार-मंडल का एक दल, जो श्री बिहारीलाल के विरुद्ध था, इस कार्रवाई से संतुष्ट न था। उन्होंने सभाओं में बोलना और समाचार-पत्रों में लिखना आरम्भ किया। उन भाषणों और लेखों में डा० गोपीचन्द भार्गव और पंडितजी पर आक्षेप किये गए। तरह-तरह की बे-बुनियाद बातें कहीं जाने लगीं। आलोचना के लिए ही आलोचना करनेवालों की बात तो पंडितजी समझते थे, लेकिन जब चानणा-पक्ष के कई सज्जनों ने भी ऊट-पटांग बातें कहनी शुरू कीं, तब पंडितजी को दुःख हुआ और श्री बिहारीलाल से कहा कि आपको अब सच्ची बात प्रकट कर देनी चाहिए। लेकिन चानणा असमंजस में पड़े थे। यदि वह सच्ची बात कह दें तो उनके विरोधियों को एक हथियार मिल जाता और गलत कहें तो उन्हें पंडितजी के द्वारा भेद खुल जाने का डर था। इसलिए वे खामोश रहे।

विरोधियोंने सारे मामले की तहकीकात करनेके लिए एक जांचकमेटी बनाई। उसके मंत्री ने पंडितजी को गवाही देने को लिखा। उत्तर में पंडितजी ने लिखा कि वे गवाही देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवाही लेनेसे पहले कमेटी श्री चानणा और उनके साथियों से पूछे कि क्या हम पंडितजी की गवाही लें। पंडितजी को इसका उत्तर नहीं मिला और जांच कमेटी ने क्या किया, यह भी उन्हें मालूम नहीं हुआ। पंडितजी ने कुछ दिनों के बाद एक वक्तव्य समाचार-पत्रों में दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जो कुछ हुआ है, वह व्यापार-मंडल के नेताओं की सम्मति से हुआ है। इन नेताओं में जेल में बैठे हुए नेता प्रधान थे।

इस उत्तर से मामले पर काफी रोशनी पड़ी और फिर किसी की आक्षेप करनेकी हिम्मत न हुई।

: २२ :

समाज-सुधार

पण्डितजी सनातनधर्मी हैं, किन्तु रूढ़िवादी सनातनधर्मी नहीं। वह शुरू-शुरू में कभी-कभी सनातन-धर्म-सभाओं के जलसे में भी जाते रहे, लेकिन उनके व्याख्यानों में सुधार की बातें रहती थीं। इसलिए रुढ़िवादियों ने उनको आर्यसमाजी कहना शुरू कर दिया। पंडितजी सनातन-धर्म को आदर्श मानते हैं। लेकिन समय-समय पर धर्म के नाम पर आई हुई कुरीतियों को वह सनातन-धर्म से अलग करना चाहते हैं। पंडितजी ने इस विषयपर व्याख्यान दिए और लेख भी लिखे और उनका परिणाम भी निकला। पंडित-जी ने इस विषय पर अपने विचार सोचकर और देर में प्रकट किए। विरोध तो होता ही था, किन्तु पंडितजी ने विरोध की परवा न करते हुए अपने विचारों का प्रचार जारी रक्खा। पंडितजी ने पुराणों के संशोधन की बात कही। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बेजोड़ विवाह का विरोध किया। विधवा-विवाह को ठीक बताया। साधु- संन्यासियों के बढ़ते हुए पथ पर रोक लगाने को कहा। अस्पृश्यता को बुरा समझा और चारों वर्णों को

गुण-कर्मानुसार मानते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिन्दुओं में प्रचलित सैकड़ों जात-बिरादरियां नहीं रहनी चाहिए ।

पंडितजी की इन विचारों की चर्चा सनातन-धर्म-जगत में तेजी से फैली । पंडितजी पंजाब सनातन-धर्म प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे । सन् १९२४ में सभा का अधिवेशन रावलपिंडी में होनेवाला था । पंडितजी ने पंजाब के समाचार-पत्रों में लेख लिखे, जिनमें सभा के अधिवेशन में विचार के लिए सुझाव दिए थे । लेखों की काफी आलोचना और प्रत्यालोचना हुई । जब पंडितजी रावलपिन्डी पहुंचे तो सभा के अधिकारियों में से वे लोग, जो पंडितजी के विचारों को अच्छा नहीं समझते थे, बेरुखी से पेश आये । अधिवेशन के प्रधान पूज्य मालवीयजी थे । व्याख्यानवाचस्पति पंडित दीनदयालु शर्मा, महा-महोपध्याय श्री गिरधर शर्मा शास्त्री, भारत धर्म महामंडल के स्वामी दयानन्द और शारदा-पीठ के स्वामी जगद्गुरु भारती कृष्णतीर्थ शंकराचार्य, गोस्वामी श्री गणेशदत्त भी थे । विषय-समिति में पंडितजी ने जब अपने विचार प्रस्ताव के रूप में रखने चाहे तो विरोधियों ने बहुत शोर मचाया । पंडितजी ने प्रधानजी से निवेदन किया, "सभा के नियमानुसार मुझे प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार है । फिर यह प्रतिनिधियों पर है कि वे उसे स्वीकार करें या अस्वीकार ।" किन्तु मालवीयजी ने दृढ़ता से काम नहीं लिया और वह चाहते थे कि प्रस्ताव पर विचार करना स्थगित रहे । जब कमेटी में बाल-विवाह विरोध की बात चली तो पंडितजी यह सुनकर हैरान रह गए कि वहां पर बाल शब्द का अर्थ, शीघ्रबोध के श्लोक के अनुसार लगाया जाता है । प्रधानजी से अनुमति लेकर पंडितजी इसपर बोले । उन्होंने कहा, "स्मृतियों को छोड़कर काशीनाथ के श्लोक को प्रमाण मानना गलत है ।" इसपर दोनों स्वामी बिगड़ कर बोले, "यह प्रमाण पाराशर स्मृति का है और कलियुग में पाराशर स्मृति ही मुख्य मानी जाती है ।" इसपर जरा आवेश में आकर पंडितजी ने दोनों स्वामियों से पूछा, "क्या सचमुच और स्मृतियों की अपेक्षा आजकल आपलोग पाराशर को ही प्रधानता देते हैं ।" उन्होंने कहा, "हां ।" इस पर पंडित-जी ने कहा, "फिर तो आपलोगों को ये भगवा वस्त्र उतार देने चाहिए, क्योंकि पाराशर-जी ने कलियुग में संन्यास लेने का विरोध किया है ।" इस पर सभा में खलबली मच गई और विरोधी लोग जोर-जोर से चिल्लाने लगे । पंडितजी के पेश किए हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । तब पंडितजी ने प्रधानजी को लिख कर दिया कि मैं अपने प्रस्ताव को खुले अधिवेशन में उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं । विरोधियों ने जोर से कहा कि यह नहीं हो सकता । लेकिन मालवीयजी ने यह कहकर आज्ञा दे दी कि पंडितजी की मांग सभा के नियमानुसार है । खुले अधिवेशन में पंडितजी ने अपना प्रस्ताव पेश किया । एक-एक बात को खोलकर समझाया और कहा, "मैं यह जानता हूं कि इस समय आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं यह भविष्यवाणी कर देना चाहता हूं कि आज से १०

वर्षके अन्दर आप सबको यही चीज पसन्द होगी। लेकिन तब मैं आपसे और आगे बढ़ा हुआ होऊंगा।" जलसा हो गया और फिर पंडितजी को प्रतिनिधि-सभा में नहीं लिया गया।

आगे चलकर धीरे-धीरे प्रतिनिधि-सभा सुधार की ओर बढ़ने लगी और सन् १९३४ में उसके प्रोग्राम में सन् १९२४ में कही हुई प्रायः सभी बातें शामिल कर ली गईं और आज तो उसका कदम बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है।

एक बार जब कि पंडितजी कलकत्ता गए हुए थे, मारवाड़ी समाज में विलायत-यात्रा को लेकर भारी संघर्ष चल रहा था। बात यह थी कि खेतान-परिवार के श्री कालीप्रसाद खेतान विलायत होकर आए तो उन मारवाड़ियों ने, जो अपने आपको कट्टर सनातन धर्मी कहते थे, कहा, "इनको और इनके साथ सामाजिक व्यवहार रखनेवाले को बिरादरी से अलग कर दिया जाय।" इसकी काफी चर्चा चली और कट्टरपंथियों ने उनके साथ खान-पान का व्यवहार बन्द कर दिया।

एक विवाह में श्री कालीप्रसाद के भाई श्री देवीप्रसाद खेतान भोजन में शामिल हुए थे। जिनके पुत्र का विवाह था वह कट्टर लोगों में शामिल माने जाते थे। इस पर खेतान-विरोधी दल में तूफान उठ खड़ा हुआ और शोर मचा कि श्री मुन्नालाल चमड़िये को, जिनके लड़के का विवाह था, विलायत प्रत्यागत कालीप्रसाद खेतान के भाई श्री देवीप्रसाद को भोजन कराने के अपराध में बिरादरीसे खारिज कर दिया जाय। समाचार-पत्रों और व्याख्यानों में इस पर काफी शोर मचा। विरोधियों ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए पंडितजी से सहायता मांगी तो पंडितजी ने कहा कि मैं आप लोगों की सम्मति को गलत समझता हूं। मैं तो देवीप्रसाद तो क्या, स्वयं कालीप्रसाद खेतान को भी दोषी नहीं मानता। फिर पंडितजी ने इस विषय पर 'भारतमित्र' समाचार में लेख भी लिखे और उनका असर भी हुआ।

कलकत्ते में ही विधवा-विवाह का स्पष्ट शब्दों में पंडितजी ने समर्थन किया। हुआ यह था कि श्री नागरमल ल्हीला को एक विधवा के साथ विवाह कराना था और उसका काफी विरोध हो रहा था और विरोधी बातों ही से नहीं, बल्कि लातों से भी विघ्न डालना चाहते थे। उन दिनों पंडितजी स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी के स्मारक-कोष में धन एकत्रित करने के लिए कलकत्ता गए हुए थे। आपके पास सुधारक आए और आपकी राय जाननी चाही। पंडितजी ने कहा, "विरोध की परवा मत करो। यह विवाह अवश्य होना चाहिए। मैं उसमें सम्मिलित होऊंगा।" इस पर समाज-सुधारकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। विरोधी दल में जब यह समाचार पहुंचा तो उसके कई मुखिया पंडितजी के पास आए और कहा कि यदि आप इस विवाह में शामिल होंगे तो श्रद्धानन्द-स्मारक कोष के
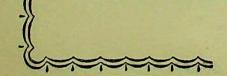
लिए चन्दा नहीं मिलेगा। पंडितजी ने कहा कि मुझे इसकी परवा नहीं है । मैं स्मारक-निधि से इस काम को अधिक महत्व देता हूं । इस विवाह के लिए स्व० छाजूराम चौधरी से उनका मकान मांग लिया था, लेकिन ठीक समय पर विरोधियों ने चौधरी साहब से जाकर कहा कि आप मकान न दीजिए। वहां झगड़ा होनेवाला है। इस पर चौधरी साहब असमंजस में पड़ गए । जब यह समाचार पंडितजी ने सुना तो तुरन्त चौधरी साहब के पास पहुंचे और कहा कि आप कमजोरी न दिखावें । यह विवाह आपके मकान में ही होना चाहिए। आप झगड़े की आशंका से घबराएं नहीं। आप मेरे साथ चलें और विवाह में शामिल हों । ऐसा ही हुआ ।

चौधरी साहब के मकान को भीड़ ने घेर रखा था। बड़ी मुश्किल से पंडितजी और चौधरी साहब मकान में जा सके । विवाह हो गया और विरोधियों का विरोध भी ठंडा पड़ गया ।

पंडितजी पर्दा-प्रथा को ठीक नहीं मानते । उन्होंने प्रत्येक अवसर पर इसका विरोध किया। वे चाहते थे कि उनकी स्त्री पर्दे को छोड़ दें, किन्तु वह बिल्कुल अपढ़ और पुराने विचारों की समर्थक थीं। कुछ फर्क तो पड़ा, किन्तु वह पर्दा छोड़ न सकीं । पंडितजी के एकमात्र पुत्र पंडित मोहनकृष्ण शर्मा का विवाह होना था । उसके लिए जगह-जगह से कन्या-पक्षवाले आने लगे तो पंडितजी ने सम्बन्ध स्वीकार करने के लिए ये शर्तें रक्खीं—

(१) पर्दा नहीं होगा,
(२) दहेज नहीं दिया जायगा,
(३) बरात में १५ से अधिक आदमी नहीं होंगे,
(४) बरात एक दिन से अधिक नहीं ठहरेगी ।

शर्तें सुनकर लोग वापस चले जाते थे । आखिर दादरी से पंडित लच्छीराम के पुत्र पंडित रामकुमार शर्मा पंडितजी से मिले और वादविवाद के बाद शर्तें स्वीकार कर लेने पर उनकी बहन राजदुलारी से सम्बन्ध पक्का हो गया । ३० जनवरी १९३२ को विवाह हुआ । विवाह के पहले १८ जनवरी को पंडितजी जेल चले गए थे । पंडितजी ने अपने पुत्र को यह आदेश दिया था कि वह शर्तों का पूर्णतया पालन करें और उन्होंने वैसा ही किया भी। विवाह में बर समेत ७ बराती थे। दादरी में पंडित रामकुमारकी बिरादरी और भिवानी में पंडितजी की बिरादरी नाराज थी। भिवानी से दादरीवालों पर दबाव डाला गया कि वह विधर्मी पंडितजी के पुत्र के साथ लड़की का विवाह न करें ।

दादरी में कन्या पक्षवालों को दृढ़ देखकर अन्त में वहां के विरोधियों ने केवल एक मांग रक्खी कि लड़की फेरों पर घूंघट निकाले रहे। इस पर पंडित रामकुमार कुछ ढीले पड़े । जब यह प्रस्ताव पंडित मोहनकृष्ण ने सुना तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में

कह दिया, "शर्तों में परिवर्त्तन करने का अधिकार केवल मेरे पिताजी को है। मैं तो शर्तों पर दृढ़ रहूंगा, चाहे विवाह हो या न हो।" विवाह हो गया और सब शर्तों का पूरा-पूरा पालन किया गया। जब विवाह के बाद वर और वधू भिवानी स्टेशन पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। शहर में जलूस निकाला गया। बड़ी भारी सभा में नगरवासियों की ओर से मान-पत्र भेंट किया गया। विरोधियों की कुछ नहीं चली। उन्होंने तब और उसके बाद कई अवसरों पर पंडितजी को बिरादरी से खारिज करने का एलान किया, परन्तु पंडितजी ने उनके प्रस्ताव की कभी परवा न की।

विवाह के सम्बन्ध में पंडितजी का एक नियम यह भी है कि जिस विवाह में वर की आयु १८ वर्ष से और कन्या की १५ वर्ष से कम हो, उसमें वह शामिल नहीं होते। उनके इस नियम से उनके कई मित्र अप्रसन्न भी होते थे, किन्तु पंडितजी ने हमेशा इस नियम का पालन किया है। पंडितजी ने एक विवाह-पद्धति लिखी है, जिसका सुधारक मारवाड़ियों में काफी प्रचार है। ऐसे सुधारकों के आग्रह से पंडितजी ने स्वयं कई जगह विवाह-संस्कार कराए। जब पंडितजी को विवाह संस्कार कराने के लिए बहुतों की इच्छा का पता चला तो उन्होंने एक नियम यह भी रक्खा कि वह उस विवाह में स्वयं संस्कार नहीं करायेंगे, जिसमें लड़की पर्दा करती हो।

पंडितजी के इस नियम का अच्छा परिणाम निकला। एक बार ऐसा अवसर भी आया कि लड़की घूंघट में फेरों पर आई तो पंडितजी ने फौरन उठ जाने को कहा। बात यों हुई: दिल्ली के रईस ला० श्रीराम (मिलवाले) के सुपुत्र श्री भरतराम का विवाह हिसार के रईस ला० ब्रजमोहनलाल की पुत्री सुशीला के साथ हुआ। ला० श्रीराम के आग्रह से पंडितजी ने विवाह-संस्कार कराने की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन जब सुशीला कुमारी फेरों पर घूंघट निकाल कर बैठी तो पंडितजी ने कहा, "यह क्या! मैं तो अब यहां नहीं रह सकूंगा। पंडितजी ने ला० ब्रजमोहनलाल से कहा कि अपनी लड़की से कहिए कि वह घूंघट उठा दे। इस पर उन्होंने कहा, "यदि वह पहले ही भीतर से घूंघट उठाकर आती तो ठीक था। अब घूंघट उठाने में संकोच होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि हमने ला० श्रीराम के कहने से घूंघट निकलवाया है। उस पर पंडितजी को बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ और उन्होंने ला० श्रीराम से पूछा कि क्या यह सब आपने करवाया है? लालाजी ने इन्कार कर दिया। तब पंडितजी ने लड़की से कहा, "बेटी सुशीला, तुम पढ़ी-लिखी होकर भी इस कुप्रथा को मानती हो? मेरे कहने से घूंघट उठा लो।" लड़की पर इसका प्रभाव पड़ा और उसने फौरन घूंघट उठा दिया।

मारवाड़ी-समाज में पर्दा-विरोध का आन्दोलन चला, जिसमें श्री भागीरथ कानोड़िया, श्री सीताराम सेक्सरिया, श्री बसन्तलाल मुरारका आदि ने प्रमुख भाग लिया।

स्व० जमनालालजी से पंडितजी की बड़ी मित्रता थी। जमनालालजी की पुत्री कमला का विवाह फतहपुर के श्री रामेश्वर नेवटिया के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद में हुआ था। संस्कार पंडितजी ने करवाया था। संस्कार के समय महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा अन्य गण्यमान्य नेता उपस्थित थे। पंडितजी की संस्कार कराने की रीति यह है कि वह वर और वधू से मन्त्रोच्चार कराते हैं और साथ ही उनकी व्याख्या करते जाते हैं। जब पंडितजी ने वस्त्रदान के एक मंत्र की व्याख्या की तो महात्माजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, "मेरे चरखे का जिक्र तो वेदों में भी आ गया।"

कन्यादान के समय जब श्री जमनालालजी की धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी बजाज मंडप में आईं तो वह घूंघट निकाले हुए थीं। पंडितजी ने श्री जमनालालजी से कहा कि पर्दा हटाने का इससे अच्छा अवसर और क्या होगा? आप अपनी धर्मपत्नी को घूंघट खोलने के लिए कहें। यह सब जानकी देवी सुन ही रही थीं, लेकिन वे अपने रिश्तेदारों के सामने घूंघट उठाने का साहस न कर सकीं।

पंडितजी की चार पुत्रियों के विवाह भी इसी नियमानुकूल हुए। बड़ी लड़की चन्द्रकला का विवाह पंडित ओमप्रकाश बी. ए., एलएल. बी. के साथ पटियाला राज्य में हुआ। इस विवाह में यह विशेषता थी कि विवाह-संस्कार दिन में हुआ और बिना परदे के हुआ। दुर्गा का विवाह राजगढ़ अलवर राज्य के पंडित भवानीसहाय, सोमकला का जोधपुर के पंडित लक्ष्मीप्रसाद मिश्र और शान्ति का जब्बलपुर के पंडित कृष्णचन्द्र शर्मा के साथ हुआ।

इनमें सोमकला के विवाह को छोड़कर बाकी तीनों विवाह पंडितजी के देख-रेख में हुए। सोमकला के विवाह के समय पंडितजी जेल में थे। कई मित्रों ने पंडितजी को परामर्श दिया कि वह पैरोल पर भिवानी चले जायं। पंडितजी ने दरखास्त तो दे दी, लेकिन वह जानते थे कि सरकार पैरोल पर नहीं छोड़ेगी। सुना है कि जेल-मंत्री श्री मनोहरलाल और मालमंत्री चौ० छोटूराम ने पंडितजी को पैरोल पर छोड़ने का प्रयत्न किया था, किन्तु पुलिस अधिकारियों के इन्कार करने पर वे दोनों भी कुछ न कर सके। सोमकला का विवाह सन् १९४३ में हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद पंडितजी की दूसरी पुत्री दुर्गा का राजगढ़ में देहान्त हो गया। पंडितजी को इससे बड़ा दुःख हुआ।

हरियाणा और शेखावाटी में काज[1] करने का बड़ा रिवाज है। सामर्थ्य न रहते हुए भी बहुतों को बिरादरी के दबाव से काज करना पड़ता है। इससे ऋण-ग्रस्त होकर कितने ही वंश कंगाल हो जाते हैं। पंडितजी इसके कट्टर विरोधी हैं। उनके प्रचार से कई जगह

१ मृत्यु के पश्चात् मरण-भोज।
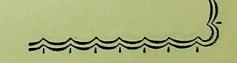
काज होते-होते रुक गए, शेखावाटी में तो काज के समय हेड़ा[1] होता है, जिसमें हजारों रुपये बांटे जाते हैं। यह रुपये का दुरुपयोग था। पंडितजी ने कई वर्ष तक इसको बन्द कराने के लिए शेखावाटी में प्रचार किया और सफलता भी हुई। अब हेड़ा-प्रथा प्रायः बन्द है।

वृद्ध-विवाह की हानियां समझाकर पंडितजी ने इसके विरुद्ध बहुत प्रचार किया। कई जगह पंचायतों द्वारा और कई जगह धरने की बात कहकर वृद्ध-विवाह बन्द कराए। इस प्रसंग में एक विवाह का उल्लेख पाठकों के मनोरंजन के लिए यहां करना अप्रासंगिक न होगा।

बम्बई की बात है। वहां मारवाड़ी देवड़ा वंश के कई सज्जन रहते हैं। सभी मालदार हैं। उनमें शिवदयाल देवड़ा की आयु उस समय ५० वर्ष से कुछ अधिक थी। उन्होंने खानदेश में रहनेवाले एक मारवाड़ी की लड़कीसे विवाह करने की ठानी। बम्बई के मारवाड़ी-समाज में इसकी चर्चा चली, लेकिन देवड़ा-परिवार के मालदार होने के कारण बहुतों का उनसे काम पड़ता था। इसलिए विरोध करने का साहस किसी को भी नहीं होता था। उन दिनों 'श्री बेंकटेश्वर समाचार' दैनिक पत्र निकलता था। उसमें पंडितजीने लगातार कई लेख लिखे। शीर्षक था **'बम्बई में बूढ़ा बीन्द।'** उन लेखों में पंडितकी ने मारवाड़ी भाषा में गाने लायक कविता भी लिखी। पंडितजी श्री देवड़ा से भी मिले, लेकिन शिवदयाल विवाह करने के लिए कटिबद्ध थे। आखिर जब यह सब कहना-सुनना बेकार हुआ तो पंडितजी और उनके साथी श्री जमनालाल बजाज, श्री रामेश्वरदास बिड़ला और श्री बेंकटेश्वर प्रेस के मालिक श्रीनिवास बजाज बड़े खिन्न हुए।

लड़की को किसी तरह और जगह छिपाने की बात भी पार न पड़ी। तब सोचा गया कि यदि कोई आदमी हाईकोर्ट में अर्जी दे कि इस लड़की के साथ मेरी सगाई हो चुकी है तो शायद हाईकोर्ट मुकद्दमे के निर्णय तक विवाह को रोक दे। संध्या की गोधूलि की लग्न में विवाह होना था और तीन बजे सगाईवाले आदमी को तैयार किया गया। मुहम्मद अली जिन्ना को पैरवी के लिए खड़ा किया गया। उनके द्वारा अर्जी चीफ जस्टिस को दिलवा दी गई। कोर्ट का सयम बीत चुका था। चीफ जस्टिस टेनिस खेलने के लिए क्लब में चले गए थे। मि० जिन्ना ने क्लब में ही अर्जी दे दी और वहीं विवाह रोकने की आज्ञा लिखवा ली। इस आज्ञा को लिए हुए पंडितजी और श्रीनिवास बजाज अपने सालिसिटर के साथ उस समय देवड़ा के मकान पर पहुंचे, जब कि वह विवाह की वेदी पर बैठे हुए थे और

१ तेरहवीं के बाद इकट्ठी हुई भीड़ को, जिसमें मनुष्यों के साथ पशु-पक्षी तथा चूहे, कीड़े-मकोड़े होते हैं, प्रति जीव एक-एक रुपया दिया जाता है, उसे 'हेड़ा' कहते हैं।
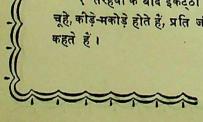
लड़की वहां आनेवाली थी। इनके पहुंचते ही वहां हलचल मच गई। श्री नन्दलाल देवड़ा (वर के भाई) ने अपने सालिसिटर को यह कह दिया कि विवाह-संस्कार हो चुका है। तब सालिसिटर ने इन लोगों से कहा कि अब क्या हो सकता है। जब विवाह ही हो चुका तो उसको रोकने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस पर पंडितजी ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि नन्दलाल झूठ बोलते हैं। फेरे अभी नहीं हुए। अन्दर चलकर देख लीजिए। पंडितजी के कहने का आधार एक मारवाड़ी गीत था, जो मंडप में लड़की के प्रवेश के पहले गाया जाता है। वह गीत उस समय गाया जा रहा था। देवड़ा के सालिसिटर ने गुस्से में आकर कहा, "देवड़ाजी, हाईकोर्ट का हुक्म है। अगर इसकी अवहेलना की गई तो भारी मुसीबत आ जायगी। सच बतलाओ कि मामला क्या है?" नन्दलाल देवड़ा ने खिसियाकर कहा कि फेरे तो हुए नहीं हैं। होनेवाले हैं। इसपर उनके सालिसिटर ने कहा कि अब फेरे नहीं हो सकते। इस आर्डर पर हस्ताक्षर करो। उस दिन विवाह रुक गया। पंडितजी और उनके साथी अब इस चिन्ता में थे कि यदि पांच दिन के बाद मुकद्दमे की सुनवाई हो तो यह विवाह रुक सकेगा, क्योंकि पांच दिन के बाद आषाढ़ शुक्ला एकादशी आ जायगी और फिर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक (देवशयनी काल में) विवाह नहीं होता। देवड़ाजी इस चाल को समझते थे। उन्होंने भारी प्रयत्न करके तीसरे दिन रविवार को ही चीफ जस्टिस के बंगले पर मुकद्दमा सुनने की आज्ञा ले ली। दोनों पक्ष वहां पहुंचे। दोनों पक्षों की बात सुनकर चीफ जस्टिस ने कहा, "वादी के साथ लड़की की सगाई की बात बनावटी है। इसलिए उसकी अर्जी खारिज की जाती है।" आर्डर सुनकर देवड़ाजी ने कहा कि मुझको श्री जमनालाल बजाज, श्री रामेश्वरदास बिड़ला, श्री सेठ खेमराज और पंडित नेकी-रामजी शर्मा पर मानहानि और हर्जाने का दावा करने की आज्ञा दी जाय।" इस पर जज ने कहा कि नहीं, मैं आज्ञा नहीं दूंगा। इनलोगों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ये समाज में सुधार चाहते हैं और यह अच्छी बात है।" प्रश्न करने पर लड़की ने अपने को बालिग बतलाया और कहा, "मैं शिवदयाल देवड़ा के साथ विवाह करने में खुश हूं।" आखिर विवाह हो गया।

: २३ :

पंडितजी और काश्मीर
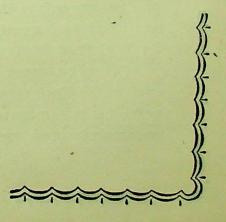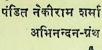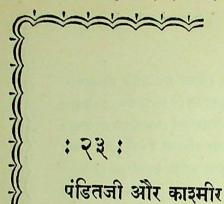
काश्मीर नरेश महाराजा प्रतापसिंह जब जीवित थे, पंडितजी एक बार व्याख्यान देने के लिए जम्मू गए। व्याख्यान के बाद लोगों ने दूसरा व्याख्यान देने का आग्रह किया। व्याख्यान की चर्चा महाराजा के सामनेभी उनके अधिकारियों ने की तो अगले दिन प्रातः महाराजा ने पंडितजी को राजमहल में बुलाया। पंडितजी की उनसे यह पहली मुलाकात थी। महाराज ने काश्मीर आने का निमन्त्रण दिया और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण शर्मा को सब प्रबन्ध करने का हुक्म दिया। यह सन् १९२३ की बात है।

जन्माष्टमी के उत्सव पर पंडितजी श्रीनगर गए। रावलपिन्डी में महाराज के स्वागत विभाग की ओर से मोटर तैयार थी। काश्मीर पहुंच कर पंडितजी महाराज के अतिथि बने। 'सनातन धर्म प्रताप सभा' के प्रबन्ध से पंडितजी के कई व्याख्यान हुए, जिनमें महाराज भी शामिल होते थे। सरकारी प्रबन्ध से पंडितजी ने कई दिन तक काश्मीर की सैर की।

पंडितजी ने काश्मीरियों की सभाओं में भी व्याख्यान दिए। उन्हें यह देखकर दुःख हुआ कि काश्मीरी पंडित पढ़े-लिखे होनेपर भी सिर्फ नौकर-पेशा हैं और किसी प्रकार का काम करना ठीक नहीं समझते। पंडितजी ने इस बात पर जोर दिया कि वे लोग दुकान-दारी, ठेकेदारी और तांगें-मोटर चलाने का व्यवसाय भी करें। इससे पहले वे लोग तांगा चलाने का काम ब्राह्मण-धर्म के विपरीत समझते थे। एक नवयुवक पंडितजी के व्याख्यान से प्रभावित होकर तांगा खरीदकर चलाने लगा तो उसको बिरादरी से खारिज कर दिया गया। अगले वर्ष १९२४ में जब पंडितजी फिर काश्मीर गए तो उसका किस्सा सुना। उसने आकर कहा कि जब मैं बिरादरी में शामिल था तो भूखों मरता था। आज बिरादरी से खारिज हूं तो चार रुपये रोज कमा लेता हूं। पंडितजी ने उसे शाबाशी दी। फिर तो और भी लोग काम करने लग गए।

सन् १९२४में एक व्याख्यानमें महाराज प्रतापसिंह ने पंडितजीसे पूछा कि भक्तकी क्या परिभाषा है ? पंडितजी 'शांडिल्य'सूत्र और 'नारदसूत्र' के अनुसार भक्त की व्याख्या कर दी। थोड़ी देर के बाद महाराज ने फिर वही प्रश्न पूछा तो पंडितजी को बुरा लगा और जोर से कहने लगे, "महाराज साहब, मैं एक चमार को, जो अपनी मेहनत से
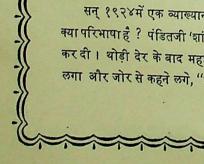
रोटी कमा कर खाता है और अपने ठाकुरजी को काठ के पट्टे पर स्नान करवा कर चरणामृत लेता है, उस बड़े आदमी से श्रेष्ठ मानता हूं जो ठाकुरजी को सोने के बर्तनों में स्नान कराकर और मनो फूल चढ़ा कर पूजा करता है और दूसरों का अहित चाहता है, सामर्थ्य रहते अहित करता भी है ।" इस उत्तर से सभा में सन्नाटा-सा छागया और महाराज फिर नहीं बोले ।

उसी रात पंडितजी को पता लगा कि महाराज के पास बैठने वाले खुशामद-पसन्दों ने पंडितजी के विरुद्ध महाराज के कान भरे हैं । महाराज खामोश होकर उनकी बात सुनते रहे । महाराज की चुप्पी पर उन लोगों को यह ख्याल हो गया कि वे अपने काम में सफल हो गए हैं । जब उनमें से एक ने महाराज से फिर वही बात कही तो महाराज ने जोर से कहा, "तुम लोग क्या कहते हो ? नेकीराम सच्चा ब्राह्मण है । उसने जो खरी बात थी वह कह दी ।" विरोधी चुप हो गए । लेकिन हर वक्त पास रहने वालों का कुछ तो प्रभाव होता ही है । महाराज फिर पंडितजी के किसी व्याख्यान में नहीं आए । बाद में पंडितजी कई बार काश्मीर गए, परन्तु स्वागत-विभाग की तरफ से कभी आपका स्वागत नहीं हुआ ।

पंडितजी के व्याख्यानों में रियासत के अधिकारियों के अतिरिक्त काश्मीर में सैर के लिए गए हुए बहुत से लोग भी होते थे । पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर शादीलाल भी ।

सन् १९२५ में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडितजी कानपुर गए । वहां जम्मू से आए हुए एक सज्जन उनसे मिले और अमर क्षत्रिय सभा, जम्मू के मंत्री का पत्र देकर कहा कि सबका विशेष आग्रह है, इसलिए आप उत्सव में जरूर आवें । पंडितजी ने कहा, "अब वहां पर महाराज हरीसिंह का राज्य है । उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई । कहीं ऐसा न हो कि मेरे जानेपर प्रतिबन्ध लगा दें । इसका निश्चय करने के बाद मुझे लिखो । तब मैं शायद आ सकूंगा ।"

कांग्रेस अधिवेशन के बाद पंडितजी भिवानी आ गए और जम्मू से एक सज्जन फिर भिवानी पहुंचे और कहा, "सभा ने सब बातें सोचकर ही आपको बुलाया है ।" यह जलसा महाराज हरीसिंह की राजगद्दी के उत्सव से कुछ पहले रक्खा गया था । पंडितजी जम्मू गए । उनकी शर्त थी कि मैं केवल एक ही व्याख्यान दूंगा ।

वहां ऐन मौके पर पंडितजी से कहा गया कि महाराज कल उत्सव में आयेंगे, इसलिए आपका व्याख्यान कल के लिए रक्खा गया है । पंडितजी ने कहा "यह गड़बड़ मुझे पसन्द नहीं । मैं व्याख्यान जनता के लिए देता हूं, न कि महाराज के लिए ।" आखिर सभा के मुख्याधिकारियों ने अगले रोज के लिए पंडितजी को राजी कर लिया और उनके आग्रह
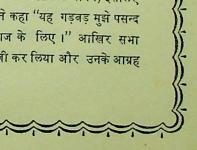
से वह उत्सव में जा बैठे । वहां पुंछ के राजा श्री जगतदेवसिंह भी व्याख्यान सुनने के लिए आए हुए थे । जब मंत्रीने यह घोषणा की कि पंडितजी का व्याख्यान कल होगा तब राजा साहब ने कहा, "मैं तो उनको ही सुनने के लिए आया था । यदि पंडितजी आज भी बोल दें तो अच्छा है ।" इस पर उस दिन भी पंडितजी थोड़ी देर बोले ।

अगले दिन नियत समय पर उत्सव हुआ और महाराजा हरीसिंह भी उसमें शामिल हुए । सभा की ओर से महाराज की सेवा में एक मानपत्र भेंट किया गया । मानपत्र अंगरेजी में छपा हुआ था । मानपत्र दिए जाने के बाद पंडितजी का व्याख्यान हुआ । पंडितजी आधा घन्टा बोले, लेकिन ऐसा बोले कि बार-बार तालियों के नाद से सभा-भवन गूंज उठता था । पंडितजी ने कहा, "मैं तो डोगरे क्षत्रियों की सभा में आया था और यह समझता था कि यहां पर सब काम राष्ट्रभाषा हिन्दी में अथवा डोगरी जबान में होगा, परन्तु मैं हैरान हूं कि मानपत्र अंगरेजी में छपा हुआ पढ़ा गया और देख रहा हूं कि महाराजा साहब का उत्तर भी अंगरेजी में टाइप किया हुआ पढ़ा जायगा । यदि हम ऐसे अवसरों पर भी मातृभाषा का आदर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ।" पंडितजी ने यह भी कहा कि मैं यह ख्याल करता था कि क्षत्रियों की सभा में क्षत्रिय सोने के आभूषणों की बजाय तलवारों से सुसज्जित बैठे होंगे ।"

महाराज को सम्बोधन करते हुए पंडितजी ने कहा कि आपके राज्य में आपके कर्मचारी गरीबों से बेगार लेते हैं । आपके राज्य में यह चीज शोभा नहीं देती। पंडितजीने आगे करुणा भरे शब्दों में कहा, "जहां एक भी सच्चा क्षत्रिय हो वहां लोगों को निर्भय हो जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि यहां क्षत्रियों के घर जन्मी हुई कन्याएं भी निर्भय नहीं हैं। मैं अपने में सच्चा ब्राह्मणत्व नहीं पाता, जिससे मैं महाराज को आदेश देता । किन्तु एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होने के नाते मैं जोरदार शब्दों में प्रार्थना तो कर सकता हूं । मेरी प्रार्थना यह है कि महाराज अपने आदेश से बेगार और कन्यावध को बन्द करवा दें ।"

जनता से पंडितजी ने कहा,"आप अपने आपको राजभक्त मानते हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि आपकी सच्ची राजभक्ति तब मानेंगे जबकि आप उनकी प्रजाकी सेवा करेंगे। मैंने ऐसा कोई बाप नहीं देखा जो अपने बेटों को सताने वाले को पसन्द करे । पहले महाराज नित्यप्रति सोने से पहले शास्त्र सुनते थे और उस दिन के किए हुए कार्य की भलाई-बुराई जांचते थे । सच्चे राजा का जीवन तपस्वी की तरह होना चाहिए, न कि विलासिता-पूर्ण ।"

पंडितजी के बैठ जाने पर महाराजा साहब खड़े हुए और उन्होंनेकहा, "पंडितजी और प्यारे भाइयो, मुझे अंगरेजी का शौक नहीं है । मेरे पास अंगरेजी में छपा हुआ मानपत्र पहुंचा ।
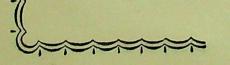
मैंने उसे अंगरेज सेक्रेटरी को यह कह कर दे दिया कि इसका जवाब तैयार कर लो। यह सच है कि मैं अंगरेजी में ही उत्तर पढ़ता, किन्तु अब मैं हिन्दी में बोलूंगा। पंडितजी ने कहा है कि वे मुझसे प्रार्थना करते हैं, किन्तु मैं कहता हूं कि उन्हें आदेश देने का भी अधिकार है। मैं आज से यह हुकुम देता हूं कि न तो कन्यावध होगा और न बेगार ही ली जायगी। जेवर और तलवार की बाबत भी पंडितजी का आदेश ठीक है। उसका पालन किया जायगा।"

महाराज के उत्तर से सभा में आनन्द की लहर दौड़ गई। पंडितजी सभा समाप्त होने पर अपने निवास-स्थान पर आगए और वहां कितने ही राज्याधिकारी और जनता के लोग आपको बधाई देने आए।

कुछ समाचारपत्रों के संवाददाताओं ने व्याख्यान की रिपोर्ट पंडितजी से ठीक करवाई और सब इस विचार में थे कि आज के व्याख्यान ने भारी क्रान्ति कर दी। पंडितजी ने हँसते हुए कहा, "मैं तो आप लोगों की तरह बहुत आशा नहीं करता। महाराज के पास हर समय रहने वाले लोग आज के असर को मिटाने का प्रयत्न करेंगे।"

अगले दिन पंडितजी ने चलने से पहले यह सुन लिया कि उनके अधिकारियों ने महाराज को यह कह कर डराया कि राजनैतिक नेता की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका तात्कालिक फल यह हुआ कि पिछली रात को ही संवाददाताओं को बुलाकर कह दिया गया कि अखबारों में व्याख्यान न छपे। लेकिन महाराज ने बेगार और कन्यावध के विरुद्ध आज्ञा देना पसन्द किया, साथ ही यह हुक्म भी दिया कि आज से राजदरबारों में शामिल होनेवाले तलवार बांधकर बैठेंगे। उसके बाद से ऐसा ही होने भी लगा।

इसके पश्चात् पंडितजी कई बार काश्मीर गए तो 'सनातनधर्म प्रताप सभा' के प्रबन्ध से व्याख्यान होते रहे। लेकिन उनके व्याख्यानों में न कभी महाराज आए और न पंडितजी ही उनसे मिलने गए।

१९३८ में जब पंडितजी श्रीनगर में ऋषिभवन में ठहरे हुए थे तो एक दिन सन्ध्या समय एक सज्जन शेख मुहम्मद अब्दुला का पत्र लेकर पंडितजी के पास आये। पत्र में शेख साहब ने लिखा था, "मुझे आज ही मालूम हुआ है कि आप आए हैं। आज हमने जलसा रक्खा है, जिसमें डा० मुहम्मद आलम का व्याख्यान होगा। कृपाकर आप भी जलसे में पधार कर अपने विचार सुनावें।" पंडितजी ने उस सज्जन से कह दिया, "ठीक है। मैं समय पर आजाऊंगा।"

पत्र-वाहक के चले जाने पर पंडितजी के पास बैठे हुए कई सज्जनों ने कहा कि आप को जलसे में नहीं जाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला हिन्दुओं का विरोधी है। आपके जाने से उसका बल बढ़ जायगा। यहां के हिन्दुओं में बुद्धि-भेद हो जायगा। लेकिन पंडितजी

ने उनकी बात नहीं मानी और सभा में चले गए। जलसे के अध्यक्ष पंडित जियालाल किलम काश्मीर हाई कोर्ट के वर्तमान जज थे। जब पंडितजी पहुंचे तो उस समय डा० आलम का व्याख्यान हो रहा था। पंडितजी के प्लेटफार्म पर जाते ही डा० आलम ने कह दिया कि अब पंडितजी बोलेंगे। सभापति ने भी यही घोषणा कर दी।

पंडितजी तबतक शेखसाहब को नहीं पहचानते थे। आपका व्याख्यान शुरू हुआ। आपने कहा, "सन् १९३१–३२ में जो आन्दोलन काश्मीरियों में चला था और जिसके संचालक शेख मुहम्मद अब्दुल्ला थे, वह साम्प्रदायिक था और उससे जाति-विद्वेष की अग्नि को हवा मिली थी। मेरे विचार में वह शेख अब्दुल्ला बदल चुका होगा और आज मैं उनको समय की गतिके अनुकूल शुद्ध राजनैतिक नेताके रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको सलाह दूंगा कि वे काश्मीरियों के हित के लिए आन्दोलन करते समय काश्मीरी बनें, न कि मुसलमान। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से उनको लोक-तंत्र शासन कायम कराने में सफलता मिलेगी। भारत में मि० जिन्ना की लीग ने बड़ा जहर फैलाया है। मैं शेखसाहब से कहूंगा कि वे जिन्ना की लीग को कोहाले के पुल पर रोक दें।" पंडितजी ने सभा में उपस्थित हिन्दुओं से कहा, "राजनैतिक आन्दोलन में शेख साहब का साथ दो। मैं समझता हूं कि हिन्दुओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हिन्दू यहां अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के साथ कराची-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार यहां भी व्यवहार होगा।"

पंडितजी के व्याख्यान के बाद प्रधान ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को व्याख्यान देने के लिए कहा। पंडितजी ने देखा कि एक लम्बे से सज्जन, जो आपके पास ही बैठे थे, उठे, वही शेख अब्दुल्ला थे। शेखसाहब ने आरम्भ में ही कह दिया, "पंडितजी यकीन करें कि आज यहां सन् १९३२ का अब्दुल्ला नहीं है। मैं यह तस्लीम करता हूं कि उस आन्दोलन में मजहब के नाम पर मैंने मुसलमानों को उभारा था। और किसी तरह वे काबू में आते ही नहीं थे। आज आप देखेंगे कि हमारी कान्फ्रेन्स में हिन्दू और सिख शामिल हैं और अब अब्दुल्ला पोलिटिकल वर्कर (राजनैतिक कार्यकर्त्ता) है।" साथ ही शेख अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं जीते-जी जिन्ना की लीग को कोहाले से इधर न आने दूंगा।

सभा की समाप्ति पर पंडितजी से शेख अब्दुल्ला और उनके साथी, जिनमें पंडित जियालाल किलम भी शामिल थे, मिले। उनको पंडितजी ने सुझाव दिया कि पांच चुने हुए सज्जन कल कहीं इकठ्ठे हों और जनता की मांगों पर एक मेमोरेंडम महाराज को देने के लिए तैयार करें।

अगले रोज जियालाल किलम के मकान पर चुने हुए लोग इकठ्ठे हुए और एक
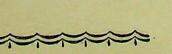
मेमोरेंडम[1] अंग्रेजी में तैयार कर लिया गया, जो नेशनल डिमांड (National Demand) शीर्षक से था। उसे महाराज के पास भेज दिया गया।

कहना न होगा कि महाराज ने मेमोरेंडम पर ध्यान नहीं दिया और दो-तीन दिन के बाद शेखअब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा लिया गया। नगर में जोश फैला और विरोध में बाजार बन्द कर दिए गए और काश्मीरी औरतों ने भी जलूस निकाले। कहीं-कहीं पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। पंडितजी खामोश नहीं बैठे और मीरामदल में पहुंचे और अपनी आंखों सबकुछ देखा। अगले रोज पंडितजी के पास कुछ सज्जन आये और कहने लगे कि आपको यहां से चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप भी फंस जायं! पंडितजी ने हँसते हुए कह दिया कि मैं अभी नहीं जाता और यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो कौन पहाड़ टूट पड़ेगा! उन्हें यह भी सुझाव दिया कि वह काश्मीर के प्रधान मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर से मिलें। पंडितजी ने कहा कि यदि वे बुलायंगे तो मिल लूंगा। लेकिन शर्त यह होगी कि मुझको शेख अब्दुल्ला से मिलने दिया जाय। यह प्रबन्ध नहीं हो सका।

उन दिनों काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर राजा दयाकिशन कौल श्रीनगर आये हुए थे। उन्होंने पंडितजी को बुलाकर कहा, "मेमोरेंडम मैंने देखा है। उसको तैयार कराकर सचमुच आपने काश्मीर की बड़ी सेवा की है। यदि मैं इस समय प्रधान मंत्री होता तो मेमोरेंडम पर पूरा विचार करता, परन्तु मुझे दुःख है कि आज के अधिकारी ऐसा नहीं करते।

दो-चार दिन के बाद पंडितजी अपने घर चले आये।

सन् १९४६ में पंडितजी स्वास्थ्य सुधार के लिए फिर काश्मीर गये और गुलमर्ग में दिल्ली के रईस स्वर्गीय सर शंकरलाल के अतिथि बन कर ठहरे। तब काश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था और शेख अब्दुल्ला पर मुकद्दमा चल रहा था।

जन्माष्टमी पर श्रीनगर में व्याख्यान देने के लिए लोगों ने पंडितजी से आग्रह किया था, परन्तु पंडितजी ने इन्कार कर दिया। जन्माष्टमी के बाद पंडितजी को इस बात के लिए राजी किया गया कि वे उस समय के प्रधान मन्त्री पं० रामचन्द्र काक से मिल लें। पंडितजी ने कहा कि यदि यह उनकी इच्छा है तो मैं मिलने में कोई हानि नहीं समझता।

शेख अब्दुल्ला के मुकद्दमे में पैरवी करने के लिए मि० आसफअली श्रीनगर आए हुए थे और खान अब्दुल गफ्फार खां भी स्वास्थ्य-सुधार के लिए आए हुए थे। पंडितजी

---

१ पूरा मेमोरेंडम लाहौर के 'ट्रिब्यून' में छपा था।
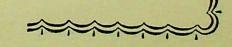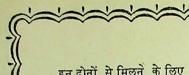
इन दोनों से मिलने के लिए श्रीनगर गए और उनसे बातचीत की। जब काक साहब को पता चला कि पंडितजी श्रीनगर आए हैं तो तुरन्त एक सज्जन को उन्हें बुलाने के लिए भेज दिया। पंडितजी उनके साथ चले गए और बड़ी देर तक बातें होती रहीं। बातचीत शुरू होने से पहले ही पंडितजी ने कह दिया था कि मेरी और आपकी बातें खुलकर और साफ-साफ होनी चाहिए। इसलिए यह सज्जन यहां रहें या नहीं, यह आप सोच लें। काक साहब ने कहा कि इनके बैठे रहने में कोई हानि नहीं।

काक साहब ने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर पंडितजी ने पहला वाक्य यह कहा, "पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता के आने पर प्रतिबन्ध लगाकर आपने भारी भूल की है। यदि आपकी जगह मैं प्रधानमंत्री होता तो रोल्सराय कार लेकर नेहरूजी का स्वागत कोहाले के पुल पर करता और उनको राज्य के अतिथि बनने के लिए कहता। लेकिन आपलोग इससे बिलकुल उलटे चलते हैं। आपको अब भी प्रतिबन्ध हटा देना चाहिए और शेख अब्दुल्ला पर चलते हुए मुकद्दमे को वापस ले लेना चाहिए। आपको शायद यह ख्याल नहीं आता कि श्री जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार के बड़े हाकिम होंगे।

काक साहब ने उत्तर में कहा, "मैंने ठीक किया है। यदि जवाहरलालजी को आने देता तो यहां बलवा होने का अन्देशा था।" पंडितजी बातचीत के बाद फिर गुलमर्ग चले गए। दो-चार दिन के बाद काक साहब का सन्देशा फिर आया कि एक बार मुझसे मिलिए। पंडितजी गए। काक साहब ने कहा कि मैं बम्बई जा रहा हूं। वहां महात्माजी से और सरदार पटेल से मिलकर आऊंगा। तब पंडितजी ने कहा कि आपके जाने से पहले नेहरूजी पर लगी रोक को हटा लेना चाहिए। इसका प्रभाव महात्माजी और सरदार पटेल पर बहुत अच्छा पड़ेगा। काक साहब ने कहा, "यह आकर कर सकता हूं। जाने से पहले नहीं।" पंडितजी ने कहा, "फिर इस काम की कोई विशेषता नहीं रहेगी।" पंडितजी ने श्री काक को समझाया, "काश्मीर में मुसलमानों की अधिकता है और उनकी दो संस्थाएं हैं। एक नेशनल कांफ्रेंस और दूसरी मुस्लिम लीग। आपको इन दोनों में से एक को साथ लेना होगा। यदि नेशनल कांफ्रेंस को साथ लेंगे तो शेख अब्दुल्ला का प्रभाव आपके साथ होगा। और यदि मुस्लिम-लीग को साथ लेंगे तो लीग का भारत में फैलाया जहर यहां भी फैल जायेगा।" इस पर काक साहब ने जरा सोचकर कहा कि मैं दोनों को ही नहीं मानता।" पंडितजी ने कहा कि ऐसा कहना तो आसान है, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकेगा?" पंडितजी ने मजाक-मजाक में यह भी कह दिया कि हो सकता है, कुछ दिनों के बाद शेख अब्दुल्ला और आपके स्थान का तबादला हो जाय। काक साहब ने जरा झेंप कर कहा, "अब्दुल्ला को इस मुकद्दमे में सजा हो जायगी। तब फिर आप देखेंगे कि अब्दुल्ला का

सारा प्रभाव यहां कैसे नष्ट होता है ।" यह सुनकर पंडितजी ने कहा, "जेल जाने से तो उनकी शक्ति और बढ़ जायगी ।"

उसी दिन पंडितजी जेल में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से मिले । वे छावनी में रक्खे गए थे और एक स्पेशल मजिस्ट्रेट उनका मुकदमा सुनते थे । पंडितजी फिर गुलमर्ग चले गए और पंडित रामचन्द्र काक बम्बई हो आये और पंडितजी को फिर बुला लिया । महात्माजी और सरदार पटेल से जो बातचीत हुई उसे कह सुनाया । पंडितजी ने उसे सुन लिया और उनको फिर वही पुरानी राय दी ।

शेख अब्दुल्ला को सजा हो गई और उस रोज पूरी हड़ताल न हो सकी ।

काक साहब ने इसको अपनी सफलता माना, लेकिन पंडितजी ने उनसे कहा, "हड़ताल तो पुलिस के डंडे से रुकी हुई है ।"

अक्तूबर में पंडितजी वापस दिल्ली के रास्ते भिवानी आ गए और दिल्ली में सरदार पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू से काश्मीर की स्थिति पर बातचीत की ।

: २४ :

जेलयात्रा

जैसा आप ऊपर पढ़ चुके हैं, पंडितजी सन् १९१८ में चीफ कमिश्नर दिल्ली की आज्ञाभंग के अपराध में मि० आसफअली के साथ पकड़े गए थे और पौने दो मास मुकद्दमा चलने के बाद आप बरी कर दिए गए थे ।

सन् १९३१ में लाहौर में दिए गए भाषण के सिलसिले में पंडितजी भिवानी में गिरफ्तार कर लिए गए थे । मुकद्दमा लाहौर में चला और उसमें आठ मास की सख्त कैद हुई । दफा १५३ की थी, लेकिन जब गवाही में मजिस्ट्रेट को शक हुआ तो पंडितजी

से पूछा कि आपके खिलाफ यह जुर्म है कि आपने अंगरेज-जाति के विरुद्ध घृणा फैलाई है। तब पंडितजी ने कहा, कि "यह बात गलत है। हमें कांग्रेस और महात्मा गान्धी का आदेश है कि जाति-विद्वेष की बातें न कहें। मैंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाई है और ऐसा करना मैं अपना न्यायोचित धर्म समझता हूँ।" मजिस्ट्रेट हैरान रह गए।

पंडितजी ने इस आठ मास की सजा को लाहौर सेन्ट्रल जेल और मियांवाली की जेल में काटा। जेल में पंडितजी को बवासीर का रोग होगया, जिसने आपको बड़ा कष्ट दिया।

सन् १९३० में पंडितजी किसान-आन्दोलन के सिलसिले में पकड़े गए और सजा हुई नमक कानून को तोड़ने के अपराध में। एक सत्याग्रही के नाते आपने न तो गवाही पर जिरह की और न सफाई पेश की। खामोश रहे। उस मुकद्दमे में एक साल की कैद और २००) रुपया जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने की सूरत में दो मास की और जेल।

सन् १९३२ में गोलमेज परिषद् के असफल हो जाने के बाद जब महात्मा गान्धी वापस लौटे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खां, गिरफ्तार कर लिए गए। महात्माजी ने लार्ड विलिंगटन (वायसराय) को बात करने के लिए तार दिया, परन्तु सरकार दमन पर उतारू हो चुकी थी। गवर्नर-जनरल ने मिलने से इन्कार कर दिया। लाचार देश में आन्दोलन चला और पंडितजी भिवानी में विदेशी कपड़े पर धरना दिलवाने के अपराध में १८ जनवरी १९३२ को गिरफ्तार कर लिए गए। उस मुकद्दमे में आपको तीन साल की कैद और ५० रुपया जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने पर एक महीने की और कैद।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि पंडितजी के एकमात्र पुत्र पंडित मोहन-कृष्ण शर्मा का विवाह २९ जनवरी को था। पंडितजी जेल में थे। पीछे विवाह हो गया। मजिस्ट्रेट ने भी यह कोशिश की कि यदि पंडितजी अपनी जमानत दे दें तो वह अपने पुत्र की शादी में शामिल हो सकते हैं, परन्तु आपने देश-सेवा को अपने एकमात्र पुत्र से भी बढ़ कर समझा और महात्मा गांधी के सिद्धान्त को एक सच्चे सत्याग्रही के नाते न तोड़ते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।

जब विवाहित वर-वधू भिवानी आये तो जनता ने भी उनका शानदार स्वागत किया और उस जोड़े का सारे शहर में गाजे-बाजे के साथ जलूस निकाला। २ फरवरी को विवाहित युगल आपकी पुत्री समेत आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हिसार जेल में पहुँचे और आशीर्वाद प्राप्त किया।

पंडितजी हिसार से मुलतान भेज दिए गए और उन्होंने पूरी कैद नई सेन्ट्रल जेल
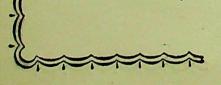
मुल्तान में काटी । अभी पंडितजी मुलतान जेल में ही थे कि उन्हें एक तार लाहौर का मिला, जिसमें उनसे लाहौर आने का आग्रह किया गया था । पंडितजी जेल से रिहा होकर जब लाहौर पहुँचे तो उनसे कहा गया कि हिसार में आपके विरुद्ध दफा १०८ के वारन्ट हैं । आप वहां जाते ही गिरफ्तार हो जायंगे । थोड़े दिन बाहर रहना चाहें और अपने पुत्र तथा सम्बन्धियों से मिलना चाहें तो हिसार न जायं । पंडितजी ने उनको इस सम्मति के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आपकी सलाह के अनुसार काम नहीं कर सकूंगा । मैं कल प्रातः ही भिवानी पहुंच जाऊंगा । पुलिस को पता होगा ही । वह मार्ग में या घर पहुँचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले, इसका मुझे भय नहीं है । मैं तो गिरफ्तार होना ही ठीक समझता हूँ ।

पंडितजी सवेरे भिवानी पहुंचे और भिवानी में भी गिरफ्तारी की खबर थी, परन्तु गिरफ्तारी के लिए आपके पास कोई नहीं आया । दोपहर बाद भिवानी के थानेदार आपके पास आए और कहने लगे कि पंडितजी आपके वारन्ट अभी हिसार में हैं । उनके आने पर कार्रवाई की जायगी ।

पंडितजी अपनी पुत्रवधू को देखने के लिए दादरी चले गए और वहां से लौटे तब भी आपके वारन्ट नहीं आए थे । अगले दिन पंडितजी ने सुना कि श्रीमती मोहिनीदेवी कांग्रेसी कार्यकत्री हिसार जेल में अनशन किए हुए हैं तो उनको देखने के लिए चले गए । जेलवालों से मोहिनीदेवी का झगड़ा था । पंडितजी ने उनका फैसला करवा दिया और उन्होंने अनशन तोड़ दिया ।

पंडितजी वारन्ट निकालने वाले मजिस्ट्रेट के घर जाकर उससे मिले । उसने देखते ही कहा, "अरे भाई, तुम्हारी गिरफ्तारी का तो मुझसे वारन्ट ले गए हैं । तुम यहां क्यों आए ?" पंडितजी ने हँसते हुए कहा, " मैं आपकी कोठी पर इसलिए आ गया हूं कि मुझे गिरफ्तार कराने पर आपको कुछ इनाम मिले ।"

रात की गाड़ी से पंडितजी घर भिवानी पहुंचे और अगले रोज भी वारन्ट का पता न था । तब पंडितजी महामना मालवीयजी से मिलने के लिए बनारस चले गए और तीन-चार दिन वहां रहे ।

महामना मालवीयजीने मोहवश पंडितजी को यह सलाह दी कि उन्हें कुछ दिन वहीं ठहरना चाहिए । लेकिन पंडितजी कब मानने वाले थे । वह भिवानी वापस आगए । अगले दिन प्रातः वारन्ट और सवारी लेकर पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया । मजिस्ट्रेट के सामने, जो डाक-बंगले में ठहरे हुए थे, पेश करके उन्हें हिसार जेल में भेज दिया गया ।

उस मुकद्दमे की तारीख लगभग तीन महीने तक पड़ती रही । उसका कारण यह
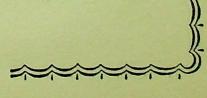
था कि भिवानी में विदेशी कपड़े पर धरना शुरू हो रहा था और कार्यकर्ताओं की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही थीं। पुलिस के पेटेन्ट गवाह भिवानी में ही रहते थे। उनको गवाही के लिए यदि हिसार बुला लिया जाय तो पीछे गवाह नहीं मिलते थे। पंडितजी बिना मुक-द्दमे के जेल में रहने से तंग आ चुके थे। एक तारीख पर अदालत में मजिस्ट्रेट से कहने लगे, "आप फैसला क्यों नहीं करते ?" मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस गवाह पेश नहीं करती। पंडितजी ने हँसकर कहा कि आपको उन गवाहों के खिलाफ वारन्ट काट देना चाहिए। इस पर मजिस्ट्रेट साहब नाराज होकर पुलिस इन्सपेक्टर से वोले, "भई, यह क्या मजाक बना रक्खा है ! महीनों से ये लोग जेल में पड़े सड़ रहे हैं। आप गवाह नहीं लाते। अबकी पेशी पर गवाह नहीं आयंगे तो मैं कोई और कार्रवाई सोचूंगा।" पंडितजी ने कहा, "मजि-स्ट्रेट साहब, गवाह तो पेटेन्ट हैं। उसकी भिवानी में भी जरूरत रहती है। वे यहां आ सकें, इसके लिए मेरी खुशामद कीजिए। मैं एक दिन के लिए धरना बन्द करवा दूंगा और उस दिन वे गवाही दे जायंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं ? दूसरा उपाय एक और भी है, वह यह कि आप हमारे मुकद्दमे की पेशी भिवानी में रख दें। वहीं गवाही हो जायगी।" मजि-स्ट्रेट और पुलिस को दूसरी बात पसन्द आई और भिवानी की तारीख नियत कर दी। नियत तारीख पर पंडितजी अपने उन साथियों सहित जिनपर मुकद्दमा था, दोपहर की गाड़ी से भिवानी लाये गये। इनमें मनमोहिनी देवी भी थीं। पेशियां हो गईं और फैसले के लिए हिसार की तारीख रख दी।

मुकद्दमे का फैसला यह हुआ कि यदि पंडितजी जमानत न दें तो एक साल की कैद। बाकी इनके साथी इस मामले में बरी हो गये।

इस बार भी पंडितजी मुलतान के नये सेंट्रल जेल में रखे गये। वहां दिल्ली और पंजाब से सौ के लगभग राजनैतिक कैदी थे।

फरवरी सन् १९३३ में जेल में रात के दो बजे पंडितजी की छाती में दर्द हुआ। दर्द के कारण वह नींद से जाग कर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि यह दर्द नया-सा है। उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल कर पास के कमरे में श्री ए. सी. बाली को पुकारा और दीवार का सहारा लेकर फौरन कमरे में लौट आये। पीछे-पीछे बालीजी भी आए। तबतक उनको हृदय की व्यथा और भी बढ़ गई थी।

बालीजी ने उस वार्ड के राजनैतिक कैदियों को जगा दिया और उन्होंने जेल के अधिकारियों को खबर दी कि डाक्टर को जल्दी भेजें। कुछ देर के बाद डाक्टर आये और पंडितजी को देखकर कहने लगे कि यह तो हृदय का रोग है। जेल सुपरिटेन्डेंट भी डाक्टर थे। उनको भी बुलाया गया और इंजेक्शन दिए जाने लगे। दर्द रह-रहकर उठता था। इस तरह सुबह के ६ बज गये। तब बहुत जोर का दर्द हुआ। श्री ए. सी. बाली पंडितजी

के पीछे सहारा दिये बैठे थे। मुफ्ती किफायत उल्ला, श्री हबीबुर्रहमान और अताउल्ला शाह बुखारी आदि सब-के-सब चिन्ता में बैठे थे। नाड़ी की गति बहुत मन्द देखकर डाक्टरों को भी घबराहट हुई। इतने में पंडितजी को जरा होश आया तो देखा कि बालीजी रो रहे हैं। पंडितजी हंसते हुए बोले, "मैं मरता नहीं हूं।" सुबह होने पर आपको जेल के अस्पताल में भेज दिया गया।
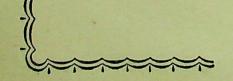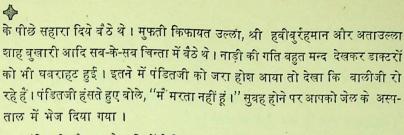
पंडितजी और उनके साथियों ने सिविल सर्जन को बुलाने के लिए बहुत आग्रह किया, परन्तु सुपरिंटेन्डेन्ट जेल नहीं माना। अस्पताल में इलाज होता रहा। रोग भी कुछ कम हुआ। लेकिन पंडितजी बहुत दुर्बल हो गये। जेल सुपरिंटेन्डेन्ट डाक्टर होने पर भी अच्छे चिकित्सक नहीं थे।

आराम न होते देखकर उनसे कहा गया कि पंडितजी के लिए लाहौर के पंडित ठाकुरदासजी मुलतानी लाहौर से दवा मंगाने की आज्ञा मिलनी चाहिए। दो-तीन दिन सोच-विचार के बाद सुपरिंटेन्डेन्ट साहब ने दवा मंगाने की आज्ञा दे दी। दवा आई और उससे कुछ आराम भी हुआ।

सुनने में आया कि जेल के अधिकारी रोग की भीषणता पंजाब सरकार को लिखते थे और सरकार को सलाह दे रहे थे कि पंडितजी को रिहा कर दिया जाय। परन्तु सरकार नहीं मानी और नित्यप्रति रोगी की दशा की रिपोर्ट लाहौर मंगाने लगी।

पंडितजी अस्पताल से जेलवार्ड में चले गये और नियत तारीख पर उन्हें छोड़ा गया। पंडितजी उस समय भी इतने दुर्बल और अशक्त थे कि उनके लिए एक दोस्त की कार आई थी और उसमें आप स्वयं नहीं बैठ सके।

रायविन्ड के रास्ते पंडितजी अगले दिन भिवानी पहुंच गये। उन्होंने जेल में ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं अपना निदान डाक्टर अन्सारी से करवाऊंगा और इलाज करवाऊंगा जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य स्वामी लच्छीराम से। जयपुर जाने के लिए आप दिल्ली गये और वहां स्व० लाला देशबन्धु गुप्त के साथ डाक्टर अन्सारी के पास पहुंचे। डाक्टर साहबने पंडितजी के रोग की अच्छी तरह जांच की और कहा, "आपका हृदय फैल गया है। यहीं रहो। इलाज करूंगा।" पंडितजी ने डाक्टर साहब को जवाब देते हुए कहा कि मैं इलाज तो स्वामी लच्छीराम से करवाऊंगा।" डाक्टर साहब ने कई बार आग्रह किया कि इलाज यहीं होना चाहिए, लेकिन पंडितजी को अपनी बात पर डटे हुए देखकर लाचार डाक्टर अन्सारी ने उन्हें जयपुर जाने की आज्ञा दे दी।

उसी रात चलकर पंडितजी अगली प्रातः जयपुर पहुंच गये। उनके साथ उनके पुत्र पंडित मोहनकृष्ण शर्मा और भिवानी के स्वामी श्री रघुनाथदास भी थे। स्वामी लच्छीरामजी ने पंडितजी को देखा। नाड़ी और हृदय की गति हाथ से ही देखकर कहने
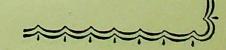
लगे कि हृदय फैल गया है। उनके निदान पर पंडितजी की श्रद्धा बढ़ गई। इलाज शुरू हुआ और इस तरह ३५ रोज पंडितजी स्वामी लच्छीरामजी के बाग में रहे। पंडितजी को भिवानी जाने की आज्ञा देने से पहले स्वामी लच्छीराम ने आपसे संध्या के समय आध घंटा टहलने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद उन्होंने फिर नाड़ी की गति देखी और प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम जा सकते हो।

पंडितजी सीधे दिल्ली पहुंचे और डाक्टर अन्सारी के पास गये। डाक्टर साहब ने आपकी पुनः जांच की और बड़े आश्चर्य के साथ कहा, "यह क्या! वह तो रोग ही नहीं रहा।" फिर पंडितजी ने उनसे सानुरोध कहा कि अब आप मेरा कहना मानिए और मेरे साथ जयपुर चलकर अपने हृदय रोग का इलाज कराइए। किन्तु डाक्टर साहब उनकी सलाह को अच्छा समझते हुए भी कार्यवश वहां न जा सके। जब कुछ दिन बाद डाक्टर साहब का इसी रोग के कारण स्वर्गवास हो गया तो पंडितजी को बड़ा दुःख हुआ।

१९४० में महात्माजी ने बम्बई में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी बुलाकर उससे वैयक्तिक सत्याग्रह करने की आज्ञा ले ली। पंडितजी भी वहां थे। प्रत्येक प्रान्त का कार्यक्रम बन गया था और कौन कब जेल जायगा, यह भी प्रान्तीय कमेटियों ने निश्चय कर लिया। पंजाब में पंडितजी का नम्बर आरम्भ में रक्खा गया था।

पंडितजी की पुत्री दुर्गादेवी का विवाह ३० नवम्बर सन् १९४० को होना निश्चित हुआ था। इसलिए गिरफ्तारी के लिए चार दिन की मोहलत मांगी। ३० नवम्बर को विवाह हो गया। पहली दिसम्बर को उनकी लड़की तो ससुराल चली गई और पंडितजी हिसार जिले के दौरे पर चल पड़े।

हांसी, हिसार और सिरसा में कार्यकर्त्ताओं से बातचीत करके और बड़े जलसे में व्याख्यान देकर पंडितजी ५ दिसम्बर को प्रातः की गाड़ी से भिवानी पहुंचे और उसी दिन १२ बजे जवाहरचौक में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हो गये।

अगले दिन भिवानी के डाकबंगले में पंडितजी को चांदनारायण ए० डी० एम० ने डेढ़ वर्ष की कैद सुना दी। इसके बाद पंडितजी को दो दिन हिसार जेल में रखकर लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वहां पंजाब के मुख्य-मुख्य राजनैतिक कैदी, जिनमें डा० गोपीचन्द भार्गव, ला० भीमसेन सच्चर, श्री रायजादा हंसराज, श्री कौमी गोपाल सिंह, सरदार प्रताप सिंह कैरो, मियां इफखतारुद्दीन और श्री देवराज सेठी आदि मौजूद थे। वहां पर साथियों के आग्रह से पंडितजी ने गीताप्रवचन शुरू किया, जो लगभग साढ़े पांच महीनों में पूरा हुआ। एक दिन रायजादा हंसराज ने बड़ी गंभीर मुद्रा में कहा, "मैं तो पंडितजी से गीता सुनकर आस्तिक बन गया हूं।"

पंडितजी पूरी कैद काटकर लाहौर जेल से रिहा हुए।

: २५ :

१९४२ के तूफान में
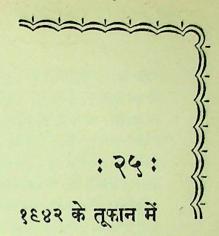
७-८ अगस्त सन् १९४२ को अ० भा० कांग्रेस कमेटी का जलसा बम्बई में हुआ। वहां जाने से पहले १ अगस्त को लोकमान्य तिलक दिवस पर दिल्ली के दीवान हाल में पंडितजी का व्याख्यान हुआ। सभा के अध्यक्ष श्री आसफअली थे। पंडितजी का वह व्याख्यान अभूतपूर्व था। मई में क्या होगा, यह सब भविष्यवाणी की तरह उस व्याख्यान में कह दिया था।

वहीं से और प्रतिनिधियों के साथ पंडितजी बम्बई चले गये और कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में बोले। ८ अगस्त की रात को जब प्रस्ताव पास हुआ उस समय १० बजे गये थे। महात्माजी ने अगले दिन प्रातः प्रत्येक प्रांत से थोड़े-से प्रतिनिधियों को अपने पास बिड़ला हाउस में बुलाया था। प्रस्ताव की व्याख्या में महात्माजी प्रस्ताव पास होने के बाद भी बोले। उस समय पंडितजी ने महात्माजी से कहा, "कृपा करके मजदूरों के कर्त्तव्य पर भी थोड़ी-सी रोशनी डाल दीजिए।" महात्माजी ने हँसते हुए कहा, "एक साथ बहुत खाओगे तो अजीर्ण हो जायगा।" पंडितजी चुप हो गये। उसी दिन यह अफवाह फैल गई थी कि रात को सब नेता गिरफ्तार कर लिये जायंगे। पंडितजी को भी यह खबर मिल चुकी थी। इसलिए वह चाहते थे कि महात्माजी को जो भी आदेश देना हो, उसी दिन दे दें।

रात बीती और बहुत सवेरे पंडितजी ने बिड़ला हाउस को फोन करके कुछ कहना चाहा, परन्तु देखा कि फोन बन्द है। पड़ोस की कोठी से फोन करना चाहा तो वहां का फोन भी बन्द। इतने में एक परिचित व्यक्ति ने आकर कहा कि सारे शहर में फोन बन्द हैं। महात्माजी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और वे सब थोड़ी देर में बोरीबन्दर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा कहीं बाहर भेजे जा रहे थे। पंडितजी धोबी तालाब पर श्री बनारसीदास वैद्य के मकान पर ठहरे हुए थे। वहां से स्टेशन जाना चाहा, किन्तु रास्ते में खड़ी हुई पुलिस रोकती थी। लाचार वापस आ गये। फिर

उन्होंने बिड़ला हाउस जाने की ठानी तो सुना कि रास्ते में बड़ी रुकावट है। लोग पीटे जा रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात् जगह-जगह पर गोलियां चलने की खबर आई। पंडितजी इन खबरों से अधीर हो गये। इच्छा हुई कि स्वयं अपने आप आंखों से घटना को देखें। पंडितजी कालबा देवी रोड पर गये। वहां देखा कि एक तरफ गलियों में छिपी हुई भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंक रही है और दूसरी तरफ से पुलिस भयंकर लाठी प्रहार कर रही है। थोड़ी देर में गोरी फौज आ गई। पंडितजी सड़क के बीच में चल रहे थे। दोनों ओर से मार का डर था। सोचने लगे कि अब क्या करूँ? अन्त में उन्होंने यही उचित समझा कि गोली वालों के समीप हो जाना चाहिए और ऐसा ही किया।

कालबादेवी रोड पर श्री बनारसीदास वैद्य की दुकान थी। पंडितजी वहां चले गये और छत पर से घटना देखते रहे। वह दिन निकल गया और दूसरे दिन गोरी फौज और गोरखा फौज की संख्या बढ़ा दी गई।

अ० भा० कांग्रेस कमेटी के कितने ही सदस्य अभी बम्बई में ही थे। उन सबको एकत्र करने का प्रयास किया गया और परिणाम-स्वरूप तीस-पैंतीस सदस्य चौपाटी के एक मकान में इकट्ठे हो गये। उनमें ला० देशबन्धु गुप्त, श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री चोइथ राम गिडवानी, श्री जुगलकिशोर खन्ना और पंडितजी आदि तथा दूसरे प्रान्तों के सभासद थे। श्रीमती अरुणा आसफअली और श्रीमती सुचेता कृपलानी ने इस सम्मेलन के लिए सबसे अधिक परिश्रम किया। सम्मेलन में विचारणीय विषय यह था कि प्रस्ताव पत्रों में छप नहीं सकता, डाक से भेजें तो लेटरबक्स जलाए जा रहे हैं। ऐसी हालत में करें तो क्या करें? यहां जो कुछ हुआ इसका समाचार लोगों को कैसे मिले? अन्त में यह तय हुआ कि प्रस्ताव के आधार पर एक कार्यक्रम टाइप कर करा सब जगह भेजने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी बहस के बाद कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार हो गई।

सम्मेलन में कुछ सदस्य ऐसे भी थे, जो हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से देना पसन्द करते थे। लेकिन पंडितजी ने उनका बड़ा विरोध किया और कहा, "मैं हिंसा को महात्माजी की तरह बुरी तो नहीं समझता, लेकिन मेरे विरोध का कारण यह है कि महात्माजी आपके कार्यक्रम को सुनेंगे तो उनको बहुत दुःख होगा।" इसपर सब सहमत हो गये।

कुछ सभासदों ने यहां तक कह डाला कि रेल-तार उड़वाने की बात महात्माजी कह गये हैं। इस पर पंडितजी ने उन्हें डांटा और कहा, "आप लोग अपनी बात महात्माजी के जिम्मे मत डालो।" इसी बात के स्पष्टीकरण के लिए श्री प्यारेलाल वहां बुलाये गये और उनसे जब यह सब पूछा तो उन्होंने इसको बिलकुल गलत बताया। कार्यक्रम की टाइप की हुई कापियां सब सभासदों को दे दी गईं और यह निश्चय किया गया कि जैसे बने वैसे इन्हें सारे देश में पहुंचा दिया जाय।
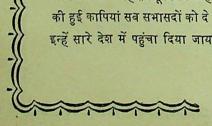
वहां कुछ सदस्यों का यह भी विचार हुआ कि छिपे-छिपे घूमकर प्रस्ताव की व्याख्या का प्रचार करना चाहिए। और अच्छा यह हो कि हम दूसरे प्रान्तों में भी जायं। पंडितजी को उत्तर प्रदेश में जाने को कहा गया। उत्तर प्रदेश वाले पंजाब में आने को तैयार थे। लेकिन पंडितजी को यह कार्यक्रम पसन्द नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस तरह कबतक काम चलेगा। छिपकर काम नहीं हो सकता। इस तरह से यदि दस-पांच दिन गिरफ्तारी से बच भी गये तो उससे क्या बनेगा। उन्होंने अपनी बाबत कहा कि मैं तो गिरफ्तार होना पसन्द करता हूं। कुछ सभासद जो छिपकर कार्य करना पसन्द करते थे, वे वहीं से गुप्त रूप होकर चल दिये। उनमें श्रीमती अरुणा आसफअली और श्री जुगलकिशोर खन्ना, ये दो दिल्ली के थे।

११ अगस्त की शाम को पंजाब मेल से पंडितजी भिवानी के लिए रवाना हो गये और १२ की शाम को आगरे में उतर गये। वहां आपकी दूसरी पुत्री दुर्गा थी। उससे मिल कर १३ को प्रातः की ट्रेन से मथुरा पहुंचे और वहां से शाम को पंजाब मेल से दिल्ली आये। दिल्ली से भिवानी की गाड़ी में बैठकर १४ को सवेरे भिवानी पहुंच गये। स्टेशन पर उनके पुत्र श्री मोहनकृष्ण शर्मा मौजूद थे। उन्होंने कहा, "पिताजी, यदि कांग्रेस के लिए कुछ कागज-पत्र आपके पास हों तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप जल्दी ही गिरफ्तार कर लिए जायंगे।" पंडितजी अपने पुत्र श्री मोहनकृष्ण के साथ घर आये और घर आते ही सब कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया। वे सब मिलने को आ गये। दिन निकल चुका था। पुलिस आ गई। पंडितजी गिरफ्तार कर लिए गए और हिसार भेज दिए गए।

पुलिस से पता चला कि लाहौर से समाचार आया था कि पंडितजी घर में छिपे बैठे हैं और घर में छिपे रहकर कार्यकर्ताओं को सूचित करते रहते हैं, परन्तु थाने की पुलिस यही लिखती थी कि वह अभी भिवानी नहीं आये हैं। पुलिस उनके गांव केलंगा भी पहुंची।

१५ अगस्त को सवेरे की गाड़ी से पंडितजी और उनके साथी शाहपुर भेज दिए गए। वहां पंजाब के सैकड़ों राजनैतिक कैदी इकट्ठे किये गए थे। पत्र-व्यवहार और मुलाकात बन्द थी। सभी राजनैतिक कैदी छोलदारियों में रहते थे और वहां चारपाइयां नहीं थीं।

शाहपुर का पानी खराब था। उससे बहुत-से राजनैतिक कैदी बीमार हो गये। आखिर दिसम्बर में कैम्प जेल तोड़ दिया और कैदियों को मुलतान, लाहौर, सियालकोट और अंबाला जेल में भेज दिया गया। पंडितजी अम्बाला आ गये और दो साल के बाद जुलाई सन् १९४४ में वे रिहा हुए।

जब वह अम्बाला जेल में थे तो अप्रेल में उन्हें मिआदी बुखार हो गया। जेल के डाक्टर ने उसे मलेरिया समझा और उसका इलाज शुरू कर दिया। जब वहां के सिविल-

सर्जन डा. अमोलक रामजी, जो जेल के मेडिकल आफीसर थे, दौरे से लौटे तो उन्होंने पंडितजी को देखा और रोग को समझकर उसका इलाज शुरू किया। इस बुखार से आप काफी कमजोर हो गये। बुखार से जब छुट्टी मिली तो पंडितजी ने अनुभव किया कि उनका दाहिना हाथ और दाहिना पांव कांपता है। उसके लिए इंजेक्शन दिए गए, परन्तु दिन-प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा।
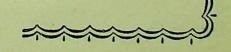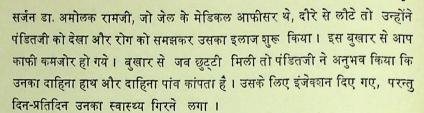
पंडितजी जब रिहा हुए तो रिहाई के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उनको एक हुक्मनामा दिया गया, जिसमें उन पर कई पाबन्दियां लगाई गई थीं। पंडितजी ने इसे बहुत बुरा समझा और जेलवालों से कहा कि मुझे सभी बातें पहले बता देते तो अच्छा था।

उन पाबन्दियों में एक पाबन्दी यह थी कि रिहाई के चौबीस घन्टे के अन्दर-अन्दर पंडितजी भिवानी पहुंच कर पुलिस को सूचना दे दें। पंडितजी ने कहा, "मैं इसीपर कानून भंग का सिलसिला शुरू करता हूं।" आप उसी शाम को पटियाला पहुंचे। वहां उनकी लड़की चन्द्रकला थी। वहां एक दिन रहकर वह अगले रोज हिसार के रास्ते भिवानी को चले। जब आप सुबह हिसार पहुंचे तो पुलिस कप्तान से मिले और कहा, "मैं ये पाबन्दियां नहीं मानूंगा। मैं पहली पाबन्दी तोड़ भी चुका हूं।"

दोपहर की गाड़ी से पंडितजी भिवानी पहुंच गये और उन्होंने अपनी पहुंच की सूचना पुलिस को नहीं दी।

दूसरी पाबन्दी यह थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पहले से आज्ञा लिए बिना पंडितजी म्युनिसिपल कमेटी की सीमा से बाहर न जायं, परन्तु अगली प्रातः वह सैर करते हुए कमेटी की सीमा से बाहर तक हो आए।

सप्ताह में एक बार पंडितजी को थाने में हाजिर होकर रिपोर्ट करने का हुक्म था, लेकिन आप थाने में नहीं गए और एक परचा थाने में भेज दिया, जिसमें लिखा था, "मैं बहुत खुश हूं।" इसकी रिपोर्ट पुलिसवालों ने ऊपर के अफसरों को की। आखिर कई दिन के बाद आज्ञा-भंग के अपराध में आप गिरफ्तार कर लिए गए।

जब आप हिसार पहुंचे तो अदालत का समय हो चुका था। इसलिए उन्होंने हिसार शहर के थाने की हवालात में रात गुजारी। अगले रोज ए. डी. एम. की अदालत में पेश कर दिए गए। वहां पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जमानत की दरखास्त दी, जिस पर मजिस्ट्रेट ने तीसरे दिन की तारीख देकर पंडितजी को जेल भेज दिया।

बख्शी रामकिशन एडवोकेट और चौ० सूरजमल पंडितजी की पैरवी करते थे।

उसी शाम पंजाब के वजीर सर छोटूराम हिसार आए। चौ० सूरजमल के घर उनका
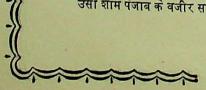
खाना था । खाने पर डी. सी. और ए. डी. एम. साहब भी मौजूद थे । वहां चौ० छोटूराम ने चौ० सूरजमल से भिवानी की सड़क का हाल पूछा और कहा कि मैं भिवानी में पंडित नेकीरामजी से मिलना चाहता हूं । इस पर चौ० सूरजमल ने उनसे कहा कि पंडितजी तो कल से यहां जेल में बन्द हैं । कारण पूछने पर चौ० सूरजमल ने सारा हाल बतला दिया । इस पर ए. डी. एम. साहब घबराए और चौ० छोटूराम से कहने लगे कि क्या मैं पंडितजी की जमानत ले लूं ? चौधरी साहब ने कहा कि यह मुझसे क्यों पूछते हो । यदि मैं मजिस्ट्रेट होता तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं करता ।

इस बात का परिणाम यह हुआ कि अगले दिन पंडित ठाकुरदास और चौ० सूरजमल से ए. डी. एम. साहब ने कहा कि पंडितजी की जमानत की दरखास्त आज और दे दो । मैं जमानत ले लूंगा । नई दरखास्त नहीं दी गई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पहली दरखास्त पर ही जमानत का हुक्म दे दिया ।

दो बजे के करीब चौ० छोटूराम की मोटर लेकर बख्शी रामकृष्ण और चौ० सूरजमल जेल के दफ्तर में पहुंचे और पंडितजी को साथ लेकर चौ० छोटूराम से मिलाया। पंडितजी चौधरी छोटूराम के साथ भिवानी पहुंच गए ।

मुकद्दमे की पेशियां पड़ीं, तबतक होमसेक्रेटरी ने आर्डर में यह तबदीली कर दी कि पंडितजी थाने में लिखकर सूचित कर दिया करें । आखिर मुकद्दमा भी योंही खत्म हो गया और सब पाबन्दियां उठा ली गईं ।

: २६ :
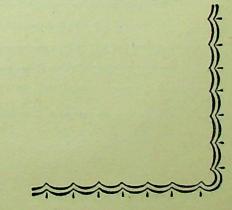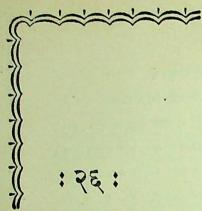
मौलाना के हस्तक्षेप का परिणाम

सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के जब सभी कैदी बाहर आ चुके थे, तब १९४५ के अगस्त में बम्बई में अ०भा० कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। पंडितजी उसमें शामिल हुये थे। अधिवेशन की समाप्ति पर डा० गोपीचन्द भार्गव और श्री वीरेंद्र ने पंडितजी को लाहौर चलने के लिए कहा। वहां प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों का निर्वाचन होना था। निर्वाचन का कार्य मौ० अबुल कलाम आजाद की देखरेख में होगा, यह बात पंडितजी को पसन्द न थी। इसलिए उन्होंने लाहौर जाने का विचार छोड़ दिया था, लेकिन उक्त दोनों सज्जनों तथा स्व० देशबन्धु गुप्त के यह विश्वास दिलाने पर कि मौलाना का वहां आना तो वे रोक नहीं सकते, किन्तु चुनाव में उनका दखल नहीं होगा, पंडितजी उनके साथ लाहौर चले गए। दो-तीन दिन के बाद मौलाना लाहौर पहुंचे। उनकी आज्ञा से पंजाब कांग्रेस के मुख्य-मुख्य सदस्य फलैटी होटल (जहां मौलाना ठहरे हुए थे) में एकत्र हुए। वहां मौलाना ने कहा, "मैं प्रधान, मंत्री तथा कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त करूँगा।" पंडितजी को यह बात पसन्द न थी। उन्होंने डा० भार्गव और श्री वीरेंद्रजी को बम्बई की बात याद दिलाई तो उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की। तब पंडितजी ने उनसे कहा, "यह तो मैं जानता ही था, लेकिन आप लोग मौलाना से अपनी बात कह भी नहीं रहे हैं। इसका मुझे बड़ा दुःख है।" फिर मौलाना से कहा कि कांग्रेस का चुनाव अन्य सभी प्रान्तों में भी होता है, उसमें आप पधारने का कष्ट नहीं करते। फिर पंजाब पर विशेष कृपा क्यों ? यह मैं नहीं समझ सका। आप कांग्रेस के प्रधान हैं और उस नाते हमें दर्शन दिये, यह अच्छी बात है; लेकिन आप कृपाकर चुनाव में दखल न दीजिए। पंजाबियों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना चुनाव करने दीजिये।" मौलाना को यह बात बुरी लगी और जरा बिगड़ कर बोले, "तो फिर मेरा यहां आना फजूल होगा। मुझे चले जाना चाहिए !"

मौलाना की इस धमकी से पंजाब के कांग्रेसी नेता डर गये और मौलानासे कहा,

"नहीं-नहीं, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए । हमें आपका निर्णय मान्य होगा ।" इस पर पंडितजी बैठक से उठकर बाहर चले आये ।

पीछे से मौलाना ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के नामों की सूची दे दी और उसी शाम को ब्रेडला हाल में हुई सभा में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अधिकारी तथा कार्यकारिणी के सदस्य मौलाना की उपस्थिति में चुन लिए गए । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान पद पर मौलाना दाऊद गजनवी को विठा दिया गया । जब कार्यकारिणी के सदस्यों की नामावली पढ़ी गई तो उसमें पंडितजी ने अपना नाम सुनकर कहा, "मेरा नाम निकाल दीजिए ।" पंडितजी कुछ कहना चाहते थे कि सरदार प्रताप सिंह और कौमी गोपाल सिंह आदि ने उनसे कहा कि कृपा कर अब कुछ न कहिए । पीछे सब ठीक हो जायगा । पंडितजी केवल मित्रानुरोध के कारण उस समय खामोश हो गये, लेकिन उनके विचार वैसे ही थे । वह दाऊद गजनवी को पक्का मौलवी मानते थे । और यह भी जानते थे कि वह कभी-न-कभी मुस्लिम लीग में शामिल हो जायंगे ।

चुनाव हो गया । पंडितजी अपने मित्रों पर अपना निश्चय प्रकट करके भिवानी चले गये । चलने से पहले उनके मित्रों ने उनसे यह वचन ले लिया था कि वह अभी कुछ देर इस्तीफा नहीं देंगे ।

पंडितजी एक-दो बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में गये और वहां दाऊद गजनवी के विचार और कार्य से उनके सम्वन्ध में उनका विचार और भी दृढ़ हो गया ।

उन दिनों लाहौर के हिन्दू और सिक्खों ने म्युनिसिपल कमेटी का बहिष्कार कर रक्खा था । ख्याल था कि इस विरोध का कुछ फल निकलेगा । कांग्रेस की कार्यकारिणी में इस पर विचार किया गया । उस मीटिंग में पंडितजी उपस्थित नहीं थे । एक प्रस्ताव पास करके बहिष्कार को गलत बतलाया और चुनाव लड़ने को कहा । पंडितजी इस निर्णय से बहुत असंतुष्ट हुए और उन्होंने फौरन कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया । अब वह कांग्रेस के केवल सक्रिय सदस्य हैं । पंडितजी उस समय जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के प्रधान, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे । पंडितजी ने अपने बयान में पद-त्याग के कारणों पर प्रकाश डाला था । आगे चलकर दाऊद गजनवी मुस्लिम लीग में शामिल हो गये तो लोगों ने पंडितजी की बात का महत्व समझा ।

उसके बाद कई उलट-फेर हुए, लेकिन पंडितजी कांग्रेस के ओहदों से अलग ही रहे । जयपुर के अधिवेशन को छोड़कर बाकी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए । जयपुर अधिवेशन से पहले पंडितजी ने एक वक्तव्य द्वारा यह कहा था, "अब कांग्रेस के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं रही । कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है । अब उसे
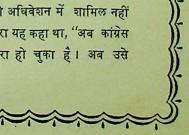
तोड़ दिया जाय तो अच्छा होगा, नहीं तो ब्रिटिश सरकार से लड़नेवाले कांग्रेसी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और इससे कांग्रेस बदनाम हो जायगी।" यह ठीक है कि कांग्रेस नहीं तोड़ी गई, लेकिन उसका प्रभाव काफी कम हो गया।

: २७ :

असेम्बलियों के चुनावों में पंडितजी का श्रम

कांग्रेस और उससे पहले स्वराज्य पार्टी ने जब कभी प्रान्तीय तथा केंद्रीय असेम्बलीके चुनाव लड़े तो पंडितजी ने दो बार को छोड़कर उनके उम्मीदवारों की पूरी सहायता की और जहां कहीं पंडितजी के भाषण होते थे, वहीं पर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत होती थी।

१९३६ में पंडितजी ने प्रांतीय निर्वाचनों में कांग्रेस का साथ दिया। पंजाब के अतिरिक्त सिंध प्रांत में भी चुनाव जीतने के लिए पंडितजी के बहुत से व्याख्यान हुये। एक दिन में कई जगह सभाओं में बोलना पड़ता था। पंजाब में भी आपके काफी सफल दौरे हुए, परन्तु सिंध की बात बिल्कुल अनोखी थी। सिंध में जहां कहीं आप पहुंच जाते, वहीं पर उम्मीदवारों की विजय पक्की हो जाती।

इस प्रभाव को देखकर वहां के उम्मीदवार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से यह शर्त्त करते कि उनको खड़ा करके पंडितजी को निर्वाचन क्षेत्र में बुलवाना होगा।

सिंध के दौरे का कार्यक्रम डा० चोइथराम गिडवानी और श्री जयरामदास दौलतराम तथा प्रो० घनश्याम आदि ने बनाया। दौरे में यह भी देखा गया कि व्याख्यान सुनने के लिए बहुत-से दूसरी जगह भी जा पहुंचते थे। सिंध में पंडितजी कई बार गये। वहां की एक घटना बड़ी रोचक है।

श्री आर. के. सिधवा (पारसी) प्रांतीय असेम्बली के लिए कराची शहर से खड़े हुए थे। उनके मुकाबले में वहां के एक बड़े रईस सिंधी महाशय खड़े थे, जो जीतने के लिए पानी की तरह रुपया बहा रहे थे। उसका प्रभाव यह हुआ कि श्री सिधवा के जीतने की कोई आशा न रही। कांग्रेस कार्यकर्त्ता ढीले पड़ गये और क्षेत्र में कार्य करना समय को नष्ट करना समझा जाता था। पंडितजी का कराची का कार्यक्रम चुनाव से एक दिन पहले रखा गया। आपने हैदराबाद में कराची के चुनाव की चर्चा सुनी। मुख्य-मुख्य कांग्रेसी नेताओं से यह सुनकर कि श्री सिधवा हार जायंगे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, "आपलोगों को चाहिए था कि मेरे व्याख्यान कराची में पहले करा देते।" उन्होंने कहा कि अब क्या हो सकता है। हमें भी इस बात का पता नहीं था कि प्रतिपक्षी का बल इतना है।

पंडितजी हैदराबाद शाम को पहुंचे थे और उस समय उनके पास बिस्तर और सामान नहीं था; क्योंकि रास्ते में मोटर खराब हो गई थी और वह दौड़ कर चलती ट्रेन में सवार हुये और उनका सामान मोटर में ही रह गया था। आप पसीना और धूप से व्याकुल थे और भागने से दम चढ़ा हुआ था। आप गार्ड के डिब्बे में बैठ गये। गार्ड ने गाड़ी रोक कर उन्हें दूसरे डिब्बे में बैठा दिया। उस समय आपके पास न तो टिकट था और न टिकट खरीदने के लिए पैसे। दूसरे दर्जे के डब्बे में काफी भीड़ थी। इसलिए आपको बैठने की जगह न मिली।

जब जरा सुस्ता कर पंडितजी ने यात्रियों से बैठने के लिए जगह मांगी तो उनमें से एक ने कहा, "यह सैकन्ड क्लास है। इसका टिकट तुम्हारे पास है क्या?" पंडितजी ने कहा, "नहीं, टिकट नहीं है। मेरा सामान तो पीछे मोटर में रह गया है और मोटर खराब हो गई। मैंने दौड़कर गाड़ी पकड़ी है, क्योंकि पांच बजे मैं हैदराबाद पहुंचना चाहता हूं। इस पर एक सज्जन के प्रश्न करने पर पंडितजी ने अपना नाम बताया। तब सारे यात्री खड़े हो गये और बोले कि हम लोग तो आपका व्याख्यान सुनने जा रहे हैं।

हैदराबाद स्टेशन पर श्री जयरामदास दौलतराम, श्री गिडवानी और प्रो० घनश्याम आदि बहुत-से कांग्रेसी उपस्थित थे। सभा का समय नज़दीक था और बदलने के लिए कपड़े थे नहीं। इसलिए पंडितजी हाथ-मुंह धोकर सभा में चले गए और वहां उनका व्याख्यान हुआ। रात को भोजन के समय चोइथराम गिडवानी और श्री जयरामदास ने कराची जाने से पहले दो जगहें व्याख्यान देने के लिए बढ़ा दीं। पंडितजी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो। कम-से-कम सवेरे के वक्त तो मुझे कराची पहुंचा दो, ताकि पूरा दिन कार्य करने के लिए मिल जाय। परन्तु उनका यह ख्याल पक्का था कि श्री सिधवा की हार निश्चित है। वहां समय देना व्यर्थ है। इसलिए रास्ते में दो उम्मीदवारों के लिए कुछ कह जायंगे तो अच्छा होगा। लाचार पंडितजी को उनके बनाए कार्यक्रम के अनुसार चलना पड़ा।

पंडितजी शामको कराची पहुंचे और वहां स्टेशन पर आपके स्वागत के लिए श्री सिधवा, स्वामी कृष्णानन्द, भिवानी के श्री रामचन्द्र वैद्य तथा अन्य पांच-सात सज्जन उपस्थित थे। पंडितजी ने पूछा तो उत्तर निराशाजनक मिला। पंडितजी ने उनसे कहा कि निराश मत हूजिए और व्याख्यान का प्रबन्ध कराइए तथा मुनादी का प्रबन्ध ऐसा कीजिए कि गली-गली में खबर पहुंच जाय।

ऐसा ही किया गया।

रामबाग में शाम को पंडितजी का व्याख्यान हुआ। उस दिन दूसरी जगह नुमाइशी मेला था। फिर भी पंडितजी का नाम सुनकर हजारों लोग सभा में पहुंचे। रास्ते की थकान होते हुए भी आपने एक घण्टे से अधिक बहुत ओजस्वी भाषण दिया। कहा, "यदि सिधवा हार जायंगे तो मैकडानल का कम्यूनल अवार्ड (साम्प्रदायिक निर्णय) सार्थक हो जायगा। क्या आपलोग श्री सिधवा को इसलिए वोट नहीं देंगे कि वह पारसी हैं और विपक्षी को इसलिए वोट देंगे कि वह सिंधी साहूकार हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, पर याद रखना कि देश पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। पंडितजी ने जब देखा कि लोग प्रभावित हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि आज कतल की रात है। मैं चाहता हूं कि आपलोग आज न सोयें और सारी रात घूम-घूम कर वोटरों को श्री सिधवा के लिए वोट देने को कहें।"

व्याख्यान की समाप्ति पर श्रोताओं ने तत्काल श्री सिधवा के लिए काम करना आरम्भ कर दिया।

अगले दिन पोलिंग पर श्री सिधवा का जोर था। पंडितजी कार द्वारा प्रायः सभी पोलिंगों पर पहुंचे। परिणाम यह हुआ कि जिसकी जमानत जब्ती की बात थी, वही श्री सिधवा हजारों से अधिक वोट लेकर जीत गए। सिन्धवाले और विशेषकर श्री सिधवा पंडितजी को हमेशा याद करते रहे।

पंडितजी ने चुनाव में दो बार कांग्रेस का साथ नहीं दिया। एक बार तो तब जब कि पंडित मोतीलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण सन् १९२६ में पं० मदनमोहन मालवीय और ला० लाजपतराय ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। इस चुनाव में पंडितजी ने कांग्रेस को स्पष्ट नीति घोषित करने के लिए बहुत कहा। चुनाव पर विचार करने के लिए रांची में कांग्रेस के कार्यकर्त्ता एकत्र हुए थे, उस सम्मेलन के प्रधान डा० अन्सारी थे और महात्मा गांधी रांची में ही थे, परन्तु वे सम्मेलन में नहीं आते थे। उस सम्मेलन में चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ और वह तय पाया कि पटना में अ. भा. कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होगा। उसमें इस निर्णय की स्वीकृति ले ली जाय। पंडितजी वहां मौजूद थे। डा० अन्सारी ने उनको प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा। आपने कहा, "मुझे तो यह तजवीज

पसन्द नहीं है। आपको चाहिए कि प्रस्ताव को पटना अधिवेशन तक स्थगित कर दें। इसमें सैद्धांतिक मतभेद है और पूज्य मालवीयजी यहां हैं नहीं। अच्छा होगा कि अंतिम निर्णय उनकी उपस्थिति में किया जाय। ऐसा करने से शायद मतभेद दूर हो जाय।

लेकिन पंडितजी की बात नहीं मानी गई।

कुछ दिन बाद ही पटना में अ. भा. कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। पंडितजी वहां भी पहुंचे। वहां महामना मालवीयजी भी आए हुए थे और उस बैठक में केंद्रीय असेम्बली के लिये चुनाव लड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उम्मीदवार छांटने के लिए डा० अन्सारी की ही अध्यक्षता में एक चुनाव बोर्ड बना। उसमें पूज्य मालवीयजी भी शामिल थे। जब आगे चलकर मालवीयजी बोर्ड में कुछ नहीं कर सके तो त्यागपत्र देकर बोर्ड से आ गए और अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की ठानी। यह चुनाव केंद्रीय असेम्बली का सन् १९२६ का था। मालवीयजी की पार्टी के भी कुछ उम्मीदवार जीते, परन्तु अधिकतर उम्मीदवार कांग्रेस के ही विजयी रहे।

चुनाव लड़ने के समय दोनों दल अलग-अलग थे, पर असेम्बली में जाकर एक-दूसरे के साथ रहे और जब लाहौर कांग्रेस में असेम्बली बहिष्कार की बात पास हुई तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही मालवीय-पार्टी भी असेम्बली से बाहर आ गई।

दूसरी बार तब जब कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड) के लिए स्वीकार या अस्वीकार का निरर्थक फैसला किया। कम्यूनल एवार्ड को लेकर श्री मालवीयजी ने अलग पार्टी बनाई तो आरम्भ में ही पंडितजी ने श्री मालवीयजी से निवेदन किया कि यद्यपि कांग्रेस की अस्पष्ट नीति से देश को हानि पहुंचेगी, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि चुनाव में आप कांग्रेस का मुकाबला करें। अच्छा यह होगा कि वह एक वक्तव्य देकर जिसमें कि सारी बात खोलकर कही जायं, चुनाव से पृथक् हो जायं।

लेकिन मालवीयजी नहीं माने। तब पंडितजी ने आपस का झगड़ा निबटाने के लिए यह तजवीज रक्खी कि यदि कांग्रेस पंजाब और बंगाल में आपके उम्मीदवारों को मौका दे तो अच्छा हो। इससे यह होगा कि केंद्रीय असेम्बली में जब कम्यूनल एवार्ड का मामला पेश होगा तो उसके नापसन्द करनेवालों की राय का स्पष्टीकरण हो जायगा। यह सब कैसे हो, इसके लिए आपने मालवीयजी को वर्धा जाने के लिए राजी किया। सोचा था कि वहां महात्मा गांधी से मिलकर इसका कोई रास्ता निकाल लिया जायगा। मालवीयजी वर्धा गये। साथ में पंडितजी भी गये। सब तरह की बातें हुईं, परन्तु समझौता नहीं हो सका। जब पंडितजी ने देखा कि वहां कोई मालवीयजी की बात सुनता ही नहीं, बल्कि उनकी और भी अवज्ञा की जाती है तो आपने चुनाव में मालवीयजी का साथ देना पसन्द किया।

पंडितजी ने महात्माजी और मालवीयजी के बीच बातचीत करने के लिए कई बार दौड़-धूप की, परन्तु कांग्रेस कार्य समिति में अधिक संख्या ऐसे नेताओं की थी जो मालवीयजी के साथ समझौता करना नहीं चाहते थे। चूंकि इस वर्ताव से पंडितजी बहुत खिन्न हुए और देखा कि महात्माजी भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो लाचार अन्त में मालवीयजी के साथ हो गये।

चुनाव हुआ और मालवीयजी की पार्टी को जैसा कि ख्याल था, वहुत थोड़ी सीटें मिलीं। एसेम्बली में जब कम्यूनल एवार्ड का मामला पेश हुआ तो कांग्रेसी सदस्य खामोश रहे और मालवीयजी की पार्टी ने उसका विरोध किया लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होने से दूसरे मेम्बरों के वोट से कम्यूनल एवार्ड मंजूर कर लिया गया।

कुछ समय बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश से आए तो कम्यूनल एवार्ड के विषय में कांग्रेस के प्रस्ताव को ठीक नहीं बताया और वर्किंग कमेटी के पहले प्रस्ताव को रद्द करा दिया। कार्य-समिति की बैठक दिल्ली में हुई और उसी संध्या को पंडितजी ने महात्माजी के चरणों में उपस्थित होकर उनसे कम्यूनल एवार्ड के मामले में कहा कि देखिए, मेरी राय ठीक निकली।

सन् १९४५ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और पंडितजी ने कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए काफी काम किया। उससे पहली बार पंजाब में कांग्रेसी मंत्रिमंडल में स्थान पा सके। जब १९४७ में देश का विभाजन हुआ तो पहले सन् १९४५ के चुनाव में चुने हुए सदस्य ही एसेम्बली के मेम्बर बने रहे और पहली बार पूर्वी पंजाब में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना।

१९५१ के चुनाव में पंडितजी कांग्रेस के समर्थक थे और काफी बीमार होते हुए भी कांग्रेसी उम्मीदवारों की विजय के लिए सभाओं में जाते रहे और बोलते रहे।

यहां यह कहना आवश्यक है कि पंडित नेकीरामजी शर्मा कभी किसी स्थान के लिए उम्मीदवार नहीं बने और सदा दूसरों को ही आगे बढ़ाते रहे। यदि वह चाहते तो प्रांतीय या केंद्रीय असेम्बली के सदस्य बन सकते थे, परन्तु उन्होंने अलग रहना ही अच्छा समझा और एक सच्चे देशभक्त की भावना से प्रेरित होकर सदा सेवा-कार्य में जुटे रहे और फल की कभी इच्छा नहीं की।

: २८ :

शरणार्थी और पंडितजी
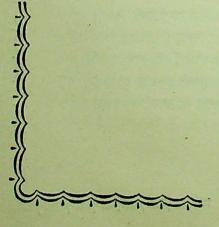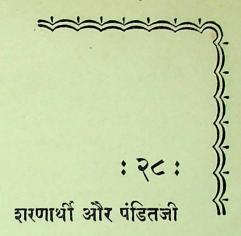
दुर्भाग्य से सन् १९४७ में देशका विभाजन हुआ और पंजाब में हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई हुई। उसमें हजारों आदमी मारे गए, लूटे गए और अपने घर को छोड़ने पर बाध्य हुए। पूर्वी पंजाब से मुसलमान और पश्चिमी पंजाब और सीमाप्रान्त से हिन्दू और सिक्ख भाग-भाग कर पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब में आने-जाने लगे।

भिवानी में भी नित्यप्रति आने वाले सीमाप्रान्त और पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जाती थी। उस समय भिवानी नगर के सभी धनी तथा सभी संस्थाओं के कार्यकर्त्ता आए हुए शरणार्थी भाइयों की सेवामें जुट गए। सबके लिए रहने को स्थान, खाने को अन्न आदि का प्रबन्ध निहायत ही उत्तम था। उस समय पंडितजी बीमार होते हुए भी काम में लगे रहे। उनका जोश और उत्साह अवर्णनीय था। उन्होंने उन दिनों रातदिन दौड़-धूप की और प्रायः दूसरे या तीसरे दिन सार्वजनिक सभा करके शरणार्थी भाइयों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए व्याख्यान दिए। अनेकों लुटे-पिटे भाइयों और दुःखी बहनों का उनके मकान पर आने-जाने का तांता-सा बँधा रहता था और वह उन सबकी बातोंको बड़े प्रेम और ध्यान से सुनते थे और उसी वेदना को सार्वजनिक जलसों में प्रकट करते थे। उनके व्याख्यानों और परिश्रम का यह फल निकला कि किसी भी शरणार्थी भाई ने अन्न, वस्त्र और स्थान आदि की कमी से दुःख नहीं पाया।

एक बार की बात है, जब सभी धर्मशालाएं और सभी सार्वजनिक स्थान शरणार्थी भाइयों से भर गए तो उनके रहने के लिए शहर के बाहर कालेज के सामने कालरे (आजकल करोड़ीमल पार्क) में तम्बू लगाये गए। वे दिन दिसम्बर और जनवरी के थे। रात को वर्षा हुई और सर्दी का जोर बढ़ा, तब अपने मकान में सोए हुए पंडितजी की नींद खुली और सरदी की उस भयंकरता तथा तम्बुओं में रहने वाले शरणार्थी भाइयों की हालत का विचार कर उनके जी में बेचैनी बढ़ गई और तुरन्त ही उन्होंने
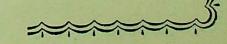
कपड़े पहने और रातके १२-१ बजे के लगभग अकेले ही कालरे में पहुंचे और उन सब पीड़ितों का निरीक्षण किया। अगले दिन कैम्प के अधिकारियों से प्रार्थना की कि इन सब पीड़ितों को मकानों में बसाया जाना चाहिए। उन्होंने जनता से भी इस बात की प्रार्थना की। इसका परिणाम यह निकला कि सभी शरणार्थी तम्बुओं से हटाकर मकानों में बसा दिए गए।

बार-बार आने-जाने से वैसे ही आपका शरीर काफी रुग्ण रहता था, इन तीन-चार महीनों में तो इतना काम किया कि आपका स्वास्थ्य और भी अधिक गिरने लगा और कम्परोग बढ़ता गया। बढ़ते-बढ़ते उसने यह दशा कर दी कि आज आप चलने-फिरने में भी अशक्त और असमर्थ हैं।
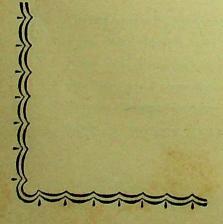
पं० नेकीराम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी
(सन् १९३४)

८ सितम्बर १९५२ को ६६ वीं वर्षगांठ के अवसर पर परिवार के बीच। पहली पंक्ति--(खड़े)--विमला कुमारी (पंडितजी की पोती), दूसरी पंक्ति (कुर्सियों पर) बांए से--कमला कुमारी (पंडितजीकी पोती), सोमकला (पंडितजी की पुत्री), पं० नेकीरामजी, पं० मोहनकृष्णजी (पंडितजी के सुपुत्र), राजदुलारी (धर्मपत्नी पंडित मोहनकृष्ण), तीसरी पंक्ति--रमेशचन्द्र (पंडितजी का पोता), रेखा (सोमकला की पुत्री), सन्तोषकुमारी (पंडितजीकी पोती), शरच्चन्द्र (सोमकला का पुत्र), पुष्पारानी (पंडितजी की छोटी और छठी पोती)
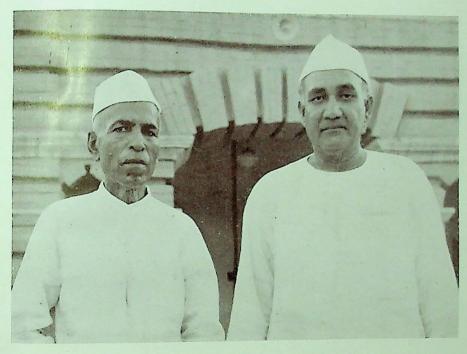
पं० नेकीरामजी शर्मा और ला० जगतनारायण (शिक्षामन्त्री, पंजाब)

३१ अगस्त १९५२ को शरणार्थी बस्ती, कृष्णनगर (भिवानी) का उद्घाटन

: २ :

अपनी कहानी
अपनी जबानी
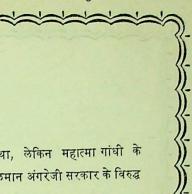
खिलाफत आन्दोलन में मैंने काफी भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी के उद्देश्य के अनुसार नहीं, बल्कि इसलिए कि भारत के मुसलमान अंगरेजी सरकार के विरुद्ध भड़कें।...

लोकमान्य तिलक ने खिलाफत की बाबत जाहिर में तो कुछ नहीं कहा। जब मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे अलग रहने के दो कारण हैं। एक तो यह कि मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन सफल नहीं होगा और दूसरा कारण मेरे चुप रहने का यह है कि यदि मैं विरोध करूं तो महात्मा गान्धी के चलाए आन्दोलन को ठेस पहुंचती है। मेरा काम नेता का नेतृत्व कायम रखने का है, न कि खोने का।

इसी सम्बन्ध में अली-भाइयों की सरगर्मी और उनकी इस यात्रा की ओर ध्यान दिलाया कि वे खिलाफत अन्दोलन में अवश्य सफल होंगे, तो श्री लोकमान्य ने मुस्कराते हुए कहा, "क्या सफलता मिलेगी वजू और नमाज से!"

× × × ×

महात्मा गान्धी ने अपने अखबार में रामभक्ति के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था। वह मुझे बहुत पसन्द आया। मैंने उसे अपने पत्र 'सन्देश' में उद्धृत किया और महात्माजी को लिखा कि आप ऐसे लेख अधिक लिखा करें। उत्तर में महात्माजी ने लिखा कि ऐसे लेख नित्य नहीं लिखे जा सकते। यह भक्ति का उद्रेक है, जो संयोगवश कभी होता है।

× × × ×

दिल्ली में श्री मुहम्मद अली के मकान पर जब महात्माजी ने २१ दिन व्रत रखा तो उन्हीं दिनों हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जिसके प्रधान स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू थे। मस्जिदों के सामने बाजे बजाने और गोवध को एक समान मानने की बात चली। मैंने डट कर उसका विरोध किया। तब मेरे संशोधन के विरोध में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बा० विश्वनाथप्रसाद गुप्त और पंडित सुन्दर-लाल ने बहुत जोरों से कहा कि हम हिन्दू नहीं हैं। मैंने जवाब दिया कि एकता के लिए जिस भावना को मौलाना मुहम्मद अली के लिए कसौटी रखता हूं वह यह है कि मौ० मुहम्मद अली मेरे घर आवें तो शौक से वहां पर निमाज पढ़ें, बांग दें और अगर मुझे

उनके घर ठहरने का अवसर मिले तो मैं पूजा कर सकूं और शंख बजा सकूं। यह सुनकर सब चुप हो गए। किसी को उत्तर देने का साहस नहीं हुआ।

खिलाफत अन्दोलन में महात्मा गान्धी को सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों से गोबध बन्द करने की अपील करें। महात्माजी ने कहा, "मैं लेन-देन का ऐसा सौदा नहीं करना चाहता।" मैंने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि आप बनिया होकर भी सौदे से डरते हैं। आप डरते रहिए, लेकिन दूसरा पक्ष बिना कुछ दिए आपसे मुफ्त सौदा करता है। मुझे यकीन है कि वह पठान बनिया काम निकलते ही पलट जायगा।"

महात्मा गान्धी ने एक बार चोटी और जनेऊ रखना अनावश्यक बताया था। उनके इस कथन से हिन्दुओं में काफी क्षोभ पैदा हुआ। तब मैंने एक पत्र में महात्माजी को लिखा, "आपको पता नहीं कि आपके इस लेख से लाखों को बुद्धि-भेद हो सकता है। लोगों का अधिक भाग नक्काल है। फिर आपकी नकल करने के लिए तो बहुत से तैयार हो जायंगे।" मैंने यह भी लिखा था, "आप यह क्यों मानते हैं कि कोई भी आपको जनेऊ देने के लिए योग्य नहीं है? क्या आप महामना मालवीयजी को इस योग्य नहीं मानते?" उत्तर में महात्माजी ने लिखा, "चोटी तो मैं रख रहा हूं और जनेऊ की बाबत मिलकर बात कर लेंगे।"

× × × ×

सन् १९१५ में महात्माजी अफ़्रीका से वापस आकर बम्बई के कांग्रेस-अधिवेशन में शामिल हुए। मैं उनके निवासस्थान पर जाकर उनसे मिला। अफ़्रीका के काम की प्रशंसा करते हुए मैंने महात्माजी से भारत में उनके कार्य के लिए प्रश्न किया तो महात्माजी ने कहा, "मेरा पहला काम अस्पृश्यता मिटाना होगा।" इस पर मैंने हँसकर कहा, "यह काम तो पहाड़ से टक्कर लेना है। मेरे विचार में आपके इस ख्याल का भारत में भारी विरोध होगा।" महात्माजी ने गम्भीरता के साथ कहा, "मैं यह जानता हूं, लेकिन मैं निराश होकर नहीं बैठूंगा।" मैं उस समय अस्पृश्यता को मानता था, परन्तु मेरे दिमाग में गान्धीजी की बात ने खलबली मचा दी थी कि मनुष्य को छू लेने से आदमी कैसे पापी बन जाता है। विचार बदला और परिणामस्वरूप मैं इस मत का हो गया कि किसी को छूना पाप नहीं, अपितु न छूना पाप है।

लेकिन हर किसी के हाथ का छुआ अन्न-जल ग्रहण न करने की बीमारी तो उस समय भी लगी हुई थी। सन् १९२१ में प्रथम बार मैं जेल गया तो कुछ तो जेल की व्यवस्था और कुछ साथियों से विचार-विमर्श के कारण मेरे विचार खान-पान के बारे में बदल गए। इस संबंध में मियांवाली जेल की एक घटना उल्लेखनीय है।
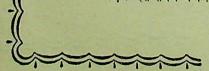
जेल के रसोईघर से पकी हुई रोटियां कैदियों को देने के लिए लाई गई। 'जमींदार' लाहौर के सम्पादक मियां अख्तरअली ने उनमें से एक रोटी हाथ से उठा ली। इस पर मैंने रोटियां लेने से इन्कार कर दिया। साथ के मुसलमान कैदियों ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने अख्तरअली को गलती के लिए मुझसे माफी मांगने पर जोर दिया और मुझसे कहा कि आप रसोईघर से और रोटियां मंगाकर खा लें। मैंने कहा, "नहीं, मुझे आज उपवास करना है।" उस दिन मैंने रोटी नहीं खाई और जाड़े की लम्बी रात में विचार करता रहा। प्रातः ईश्वर-स्मरण के समय मैंने मन में निश्चय किया कि रोटी छोड़ने में मेरी भूल थी, और अगले दिन से उस निर्णय पर चल पड़ा।

सन् १९१७ की बात है। मैं लोकमान्य तिलक के आदेश से बरार के दौरे पर गया। बरार में प्रचार करते-करते मैं अमरावती पहुंचा और श्री बी० जी० खापर्डे के मकान पर ठहरा। उन दिनों मैं खान-पान में गैर-ब्राह्मण के हाथ का खाने में परहेज करता था। श्री खापर्डे के परिवार-वालों ने मुझसे चाय, दूध और फल आदि लेने का अनुरोध किया। मेरे मुख से इन्कार निकल गया। १२ बज गए तो फिर श्री खापर्डे के पूछने पर मैंने कहा, "भई, मैं गौड़ ब्राह्मण के सिवाय किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकता।" उस समय श्री खापर्डे ने अमरावती में बहुत तलाश के बाद एक गन्दे वस्त्रों वाले अपढ़ से ब्राह्मण को भोजन बनाने के लिए बुलाया। श्रीमती खापर्डे ने उसके कपड़े साफ करवाए और फिर उसे स्नान करवाकर भोजन की सामग्री दी। उस ब्राह्मण ने मोटे-मोटे रोट बनाए और मैंने मन मार कर उन्हें खा लिया।

कुछ दिन तक यही कार्यक्रम चलता रहा। जब मेरे जाने का अंतिम दिन आया तो श्री खापर्डे के परिवार ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे साथ भोजन कर लें। उनका अनुरोध देखकर मैंने उनके साथ भोजन करना स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं आपलोगों की हाथ की बनाई पक्की रसोई ही (यह रसोई घी में बनाई जाती है) करूंगा। वे इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और अगले दिन चौका लगाकर और नहा-धोकर रसोई तैयार की। उन्होंने भोजन के लिए शहर के और भी प्रतिष्ठित सज्जनों को बुलाया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठे लोग बड़ी शुद्धता से भोजन बनाते हैं और उनके भोजन के अन्त में चावल अवश्य खाया जाता है। जब सभी भोजन कर रहे थे, उसी समय खापर्डे के परिवार की परोसनेवाली बहू ने मेरी थाली में चावल डाल दिए। मैंने उसी समय भोजन छोड़ दिया। सारे परिवार के लोग उससे बहुत रुष्ट हुए। तब मैंने उन सबसे कहा, "इसमें इन बहन का कोई दोष नहीं। दोष मेरा ही है, जो मैं इस व्यर्थ के झंझट में पड़ा हुआ हूं। यदि मैं फिर आया तो इसी बहन का झूठा भोजन करूंगा।"

महामना मालवीयजी के साथ सन् १९२६ में मैं पुनः अमरावती गया तो श्री खापर्डे के मकान पर ही ठहरा और अपनी प्रतिज्ञानुसार मैंने उसी बहन से दूध मंगाकर पिया।

× × × ×

हिसार जेल की घटना है। सन् १९३० में मैं भिवानी के कुछ साथियों के साथ, जिनमें धानक नाम का एक हरिजन भी था, हिसार जेल में गया। मैं अलग कोठरी में था और मेरे साथी अलग वार्ड में। एक दिन मैंने सुना कि उस हरिजन भाई ने काठ के घड़े से पानी पी लिया। वार्डवाले उसे बुरा-भला कह रहे थे। अगले दिन मैं वहां चला गया और बातचीत करता रहा। थोड़ी देर में मैंने उसी हरिजन से पानी मंगाया और पिया। इसे देखकर सब लोग चकित रह गये और वह छुआछूत का झगड़ा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया।

× × × ×

सन् १९२७ में मैं रोहतक में पंडित रामरिछपाल वकील के यहां ठहरा हुआ था। उस समय एक गांव के ब्राह्मण, जिनमें सूबेदार वंशीलाल भी थे, मेरे पास आए और कहा कि आप हमारी नाक रखिए और लड़की को समझा दीजिए कि वह जाट के साथ न रहे। जब मैंने उस लड़की के भागने का हाल पूछा तो सूबेदार ने कहा कि लड़की विधवा हो गई थी और इसके ससुर ने इसके साथ मुंह काला किया और जब इसको गर्भ रह गया तो इसे मारने का विचार किया। अन्त में लड़की घर से निकाल दी गई और जब इसे कहीं भी स्थान नहीं मिला तो उस जाट के साथ रहने लगी।

जब मैंने यह घटना सुनी तो मैंने एकदम क्रोध के साथ उनसे कहा कि इस मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं लड़की के विचारों से सहमत हूं। इस घटना से मैं विधवा-विवाह का समर्थक हो गया।

× × × ×

सन् १९१८ में जब दिल्ली में केस चलता था, पेशी के बाद मैं रोहतक के रास्ते अपने गांव में अगली तारीख तक के लिए चला जाया करता था। गाड़ी शाम को रोहतक पहुंचती थी। एक बार मैं इसी विचार में था कि कहां ठहरूँ। पहले मैं पंडित रामफूलसिंह वकील के पिता पंडित हरवंशलाल (सीनियर सबजज के रीडर) के यहां ठहरता था। मेरे ठहरने से उनको कोई हानि न पहुंचे, इस विचार से मैंने वहां जाना उचित न समझा। रास्ते में बाबू श्यामलाल वकील मिल गए और उनके विशेष आग्रह से मैं उनकी बैठक में ठहर गया। मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे ठहरने से हो सकता है कि अफसर नाराज हो जावें। लेकिन उस समय उन्होंने निर्भयता दिखाई।

अगली पेशी करके जब मैं उनकी कोठी पर पहुंचा तो मुंशी ने मुझसे कहा कि अब आप गांव जायंगे? मैंने मतलब समझ लिया। पूछने पर मुंशी ने बताया कि बाबूजी

को डी०सी० ने डाट दिया है। जब मैं वापस लौट रहा था तो बाबू श्यामलाल टेनिस का बल्ला हाथ में लिए हुए दरवाजे पर मिले और बगैर आंख मिलाए अन्दर चले गए।

मैं यहां से लौटकर स्टेशन के पास मंडी के बाहर कुएं पर जा बैठा। कुएं के पास बेरीवालों की धर्मशाला है। उसमें ठहरनेसे पहले ही मुझे रोक दिया गया था। मेरे पास सामान कुछ न था। गरमी की ऋतु थी। मैं रामप्रसाद हलवाई की दुकान पर गया। उससे पहले भी जब मुझे बाजार में खाना खाना होता था तो उसी दुकान से लेकर खाया करता था। पूरियां तैयार थीं। मैंने दो आने की मांगीं। रामप्रसाद मेरे पीछे खड़े हुए सिपाही को देखकर कहने लगा, "पूरियां नहीं हैं।" मैंने कहा, "ये रखी तो हैं।" उसने कहा, "ये आपके लिए नहीं हैं, किसी और के लिए हैं।" लाचार कुएं पर वापस आ गया और दुपट्टा सिरहाने रखकर कुएँ के चबूतरे पर सो गया।

प्रातःकाल होते ही जब मैं उठा तो बाबू श्यामलाल मकान से अपने दफ्तर जा रहे थे। सामना होते ही कहने लगे, "पंडितजी, रात को मुझे नींद नहीं आई।" उनकी इस बात पर मुझे दया भी आई और क्रोध भी। मैंने उनसे कहा, "नींद तो मुझे नहीं आनी चाहिए थी। ईंटों के खन्जे पर पड़ा रहा। आप निवाड़ के पलंग पर भी क्यों नहीं सो सके?" मैंने यह भी कहा कि इस इलाके के वकीलों की जब यह हालत है, तब साधारण लोगों का क्या हाल होगा। आगे चलकर बाबू श्यामलाल अच्छे कांग्रेसी बने और देश-सेवा की।

× × × ×

सन् १९१७ में कांग्रेस अधिवेशन के समय मैं कलकत्ते में श्री हरिचरण हलवासिया के मकान में उनका अतिथि बनकर ठहरा हुआ था। उस मकान का आधा हिस्सा राय-बहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया का था। जब लोकमान्य तिलक का जुलूस निकला तो मेरे कहने से तुल्लापट्टी में उनकी दुकान पर एक पुष्पमाला लोकमान्य को पहना दी गई। वह समाचार समाचार-पत्रों में छप गया। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मि० लाहिड़ी ने रायबहादुर को बुलाकर डाटा और कहा कि नेकीराम को अपने मकान में क्यों ठहराया है। हलवासियाजी ने वहां से आते ही श्री हरिचरण से कहा कि तुम पंडितजी को कहीं और जगह ठहरा दो, यहां मत रखो। उत्तर में श्री हरिचरण ने कहा कि यह नहीं हो सकता। मेरे पास ठहरे हैं और ठहरते रहेंगे। आपसे उनका क्या सम्बन्ध है? हरिचरण ने यह बात मुझसे कही तो मैंने कहा, "देख लो, दोस्तों के साथ रहने का तो यही मजा है।" यह बात प्रातः की है। जब रात-गए मैं बाहर से लौटा तो यह देखकर अवाक् रह गया कि जिस कमरे में मैं ठहरा था, उसके बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है।
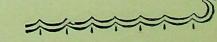
अगले दिन 'विश्वमित्र' में स्वराज्य की दीवार नाम से समाचार छपा। मैं उस घटना को याद करता हूं तो लोगों की करतूत पर हंसी आ जाती है।

× × × ×

सन् १९१८ में लोकमान्य तिलक की विलायत-यात्रा के अवसर पर उनके सम्मानार्थ किए गए समारोह में निमंत्रित होकर मैं अपने गांव से बम्बई जा रहा था। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो इटावा के पंडित हजारीलाल चौबे (उन दिनों मैं इन्हीं की दूकान पर ठहरा करता था) ने कहा कि इटावा में सनातन-धर्म सभा का उत्सव हो रहा है। आपको सब याद करते हैं। मैंने वचन दे दिया है। कृपाकर एक दिन इटावा में व्याख्यान देकर तब बम्बई जाइए। मैं मित्र के अनुरोध को टाल न सका और उनके साथ इटावा पहुंच गया। मने सारी परिस्थिति समझकर उनको राय दी कि सनातन-धर्म सभा के उत्सव में मेरा व्याख्यान मत कराइए। किसी और जगह प्रबन्ध कर दें तो अच्छा रहेगा। इस पर उन लोगों ने सभा का समय टाल कर सभास्थान में ही व्याख्यान का प्रबन्ध किया। पंडित श्यामबिहारीलाल भटेले से सभापति बनने के लिए बड़ा आग्रह किया, परन्तु मैंने उनको समझाया कि आप जमींदार हैं, आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं और सनातन धर्म स्कूल के कर्त्ता-धर्त्ता हैं। मुझे भय है कि मेरे चले जाने के बाद कहीं आपको अफसरों का कोप-भाजन न बनना पड़े। वह मान गए और एक कायस्थ सज्जन जोरावर सिंह (जो कई साल राज-नैतिक कैदी भी रह चुके थे) की प्रधानता में मेरा व्याख्यान हुआ। व्याख्यान में बड़ी भीड़ थी। लेकिन मैंने देखा कि सभा के उत्सव में आए हुए उपदेशक ऊपर के कमरे में छिपे बैठे रहे। व्याख्यान की समाप्ति पर जनता का यह आग्रह था कि मैं एक दिन और ठहरूं और मुझे ठहरना पड़ा।

अगले दिन रात्रि के समय उसी जगह फिर व्याख्यान हुआ और उस सभा के अध्यक्ष प्रतापनेर के राजा बने। उस दिन एक विशेषता यह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा में व्याख्यान सुनने के लिए आए थे। उनके लिए एक तरफ कुर्सी का प्रबन्ध कर दिया गया, जिस पर वह आराम से बैठे। नेहरूजी एक मुकद्दमे की पैरवी के लिए आए हुए थे। व्याख्यान हो चुका और रात की गाड़ी से मैं कानपुर के रास्ते बम्बई चला गया। पीछे क्या हुआ, इसका मुझको कई दिन बाद पता चला। हुआ यह कि अगले दिन प्रातः ही भटेलेजी को और राजा प्रतापनेर को वहां के अंगरेज डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया और व्याख्यान कराने के लिए डाटा। राजा साहब ने लिखित मुआफी मांगी और एक बयान इलाहाबाद के 'लीडर' पत्र में छपा दिया, जिसमें लिखा था कि वह सभापति नहीं थे। वह तो सनातन धर्म का व्याख्यान सुनने के लिए गए थे और लोगों ने उन्हें वक्ता के समीप ही पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। व्याख्यान बहुत सख्त था। राज-विद्रोह की बातें कही गई। यह मेरी कमजोरी है कि मैं संकोचवश सभा से उठकर जा नहीं सका। इस लेख

का जवाब 'लीडर' में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और उसमें सत्य घटनाएं लिखीं। उसे पढ़कर मैंने अनुमान लगाया कि राजा साहब के लेख में क्या कुछ होगा। कलकत्ते से दिल्ली आकर यह भी सुना कि भटेलेजी की मजिस्ट्रेटी गई और हथियारों का लाइसेंस जब्त कर लिया गया। डाट-डपट पड़ी सो अलग।

× × × ×

हिसार जिले की बात है। नारनोन्द के पास मिलखपुर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें अस्पृश्यता के दोष बताए गए थे। जब मेरा व्याख्यान हो रहा था तो एक आर्य-समाजी सज्जन चन्दनसिंह होत्री ने एक चमार के लड़के को मेरी गोद में बिठा दिया। मैंने यह रहस्य समझ लिया और कहा, "यह लड़का यदि सोच-समझकर हिन्दू धर्म को छोड़ दे तो मुझे इतना दुःख न होगा, जितना कि हिन्दुओं द्वारा किए हुए बुरे बर्ताव से कष्ट पाकर इसके मुसलमान या ईसाई बन जाने पर होगा।"

जलसे की समाप्ति पर मुझे एक ब्राह्मण के घर अपने दो-चार साथियों सहित भोजन करना था। वहां पहुंचा तो पिता-पुत्रों में कहा-सुनी हो रही थी। ब्राह्मण के दोनों लड़के कहते थे कि भोजन यहीं होगा और पिताजी कहते थे कि मैं चन्डाल को घर में नहीं घुसने दूंगा। मुझे देखकर लड़कों ने धीरज से कहा, "अब तो चुप हो जाओ।" लड़कों का समर्थन माताजी ने भी किया। इस पर पंडितजी महाराज लाल-पीले होते हुए घर से बाहर निकल रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, "पंडितजी, मैं आपके भाव को समझ गया हूं। आपके इस घर में जहां भंगी बैठकर खाना खा सकता हो, मुझे वहां बिठा दीजिए। आपका चौका भी बच जायगा।" इसपर वह कुछ ठंडे पड़े। मैं घर के अन्दर घुस गया। आंगन में बैठने लगा तो लड़कों ने चौके में चलने के लिए कहा। मैंने उनके पिताजी की अनुमति चाही तो उन्होंने कहा कि अब कहीं बैठो। जो कुछ होना था, वह हो चुका। जब मैं अपने साथियोंके साथ रोटी खा रहा था तो पंडितजी ने कहा कि जिस वक्त तुमने चमार के लड़के को अपनी गोदमें बिठाया था, उस वक्त यदि मेरे पास बन्दूक होती तो तुम्हें गोली से उड़ा देता। तुमने ब्राह्मण जाति को कलंक लगा दिया है। इसपर हंसते हुए मैंने कहा कि वह वक्त चला गया, लेकिन मैं अब मौजूद हूं। बन्दूक ले आइए और मुझे गोली से उड़ा दीजिए। पंडितजी क्या कहते! मैं उन पर नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि परम्परा से पड़ी हुई कुरीति के ये शिकार हैं। इनके भाव को ठेस पहुंचती है।

अगले दिन मैं नारनोन्द ठहरा। वहां मेरे कई रिश्तेदार हैं और मिलनेवाले तो बहुत हैं। संध्या के समय जब मैं गांव में घुसने लगा तो देखा कि जाने-पहचाने आदमी भी मुझसे नहीं बोलते। मुझे इसका मतलब समझने में देर न लगी और किसी के घर न जाकर एक चौपाल में जा बैठा। वहां एक भजन-मंडली ठहरी हुई थी। जब वे लोग भोजन के लिए चलने लगे तो उनमेंसे एक आदमी ने मुझसे पूछा कि रोटी खानी हो तो हमारे साथ चलो।

मैंने इन्कार कर दिया और भूखा ही बैठा रहा। कुछ देर के वाद जब भजन-मंडली ने गाना शुरू किया तो गांव के बहुत-से आदमी इकट्ठे हो चुके थे। उनमें कुछ आदमी कहने लगे कि मैं भी कुछ बोलूं। मैं वातावरण को प्रतिकूल देखकर बोलना नहीं चाहता था। इतने में एक ब्राह्मण, जो दूर का मेरा रिश्तेदार था, उठकर बोला, "हम ऐसे पतित का व्याख्यान नहीं सुनेंगे।" यह भी कहा कि यह यहां से उठकर चला जाय। मैं खड़ा हो गया। चौपाल से जब नीचे उतरा तो बहुत-से आदमियों ने मुझे घेर लिया। उनमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे। पतित है, भ्रष्ट है, यह तो कह ही रहे थे। इतने में एक ने मिट्टी की मुट्ठी भरकर मेरे सिर पर डाल दी। तब मैंने जरा जोर से कहा कि यह क्या बदतमीजी है। हटो पीछे। इसपर वे लोग हट गये और मैं भगत कूड़राम चौधरी की बैठक में चला गया। मेरे पीछे-पीछे कई आदमी वहां पहुंचे, जिनमें पंडित मंगतराम भी थे। वहां पर सारा समाचार जानने के बाद उनलोगों ने कहा कि यह भारी अपमान है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनलोगों को पीटेंगे। मैंने कहा, "ऐसा करके तुम गलती करोगे। सुधार के काम में ऐसे बखेड़े हुआ ही करते हैं। तुम अब कुछ मत करो और अस्पृश्यता दूर करने की कोशिश करो। आगे चलकर देखोगे कि इसी गांव में वे ही लोग धूल की बजाय मुझपर फूल बरसायेंगे।" मुझे ठीक तो याद नहीं, परन्तु अनुमानतः दो वर्ष के भीतर ही मैं कांग्रेस के प्रचारार्थ किए गए जलसे में निमंत्रित होकर वहां गया तो सारी बस्ती में मेरा जुलूस निकाला गया और उस चौपाल के पास सचमुच फूल बरसाये गए।

× × × ×

सन् १९०८ या ९ की बात है। नवल प्रेम सभा दिल्ली के वार्षिकोत्सव में संस्कृत के अद्वितीय विद्वान महामहोपाध्याय पंडित शिवकुमार शास्त्री पधारे थे। वह श्री लक्ष्मीनारायण की धर्मशाला में ठहरे थे। उनके कैम्प की देख-रेख मेरे सुपुर्द थी। उनसे मिलने के लिए मौलवियों का एक शिष्टमंडल आया। मैंने शास्त्रीजी को सूचना दी। वह पूजा में बैठनेवाले थे। मिल नहीं सकते थे। मैंने मौलवी साहबान से मिलने का उद्देश्य पूछा। उन्होंने आर्य-समाज की निन्दा की और कहा कि फव्वारे पर उनका प्रचार बन्द कराना चाहिए। मैंने कहा, "अफसोस है कि मैं इस काम में आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा। आर्य-समाज से मेरा मतभेद तो अवश्य है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनके मुकाबले में आपको अच्छा समझें। अधिक-से-अधिक कोई सनातनधर्मी उनके लिए यही कह सकता है कि वे वेद को जानते नहीं, किंतु मानते तो हैं और आप जोकि वेदों को न जानते हैं और न मानते हैं, उनसे पहले नजदीक कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर उनको निराश लौटना पड़ा। जब शास्त्रीजी ने मुझसे यह सुना तो उन्होंने कहा कि तुमने ठीक उत्तर दिया। किंतु मैंने उनसे निवेदन किया कि सनातन-धर्मियों के प्रति अवैदिकों की यह आशा बहुत बुरी है। सनातनधर्मियों को चाहिए कि आर्यसमाज को न कोसें।

: ३ :

अभिनन्दन

बैठे हुए——ठा० सीताराम (तहसीलदार, भिवानी), पं० रामकुमार एम० एल० ए०, ला० पुष्करदत्त मैनेजर (टी० आई० टी० मिल), श्री के० एम० मुन्शी तत्कालीन खाद्यमन्त्री (केन्द), पं० नेकीराम शर्मा, ला० बाबूलाल, सेक्रेटरी टी० आई० टी मिल, प्रिन्सिपल सेन

सन् १९२२ में पं० नेकीराम शर्मा अपने जेल के साथी डा० पुरी और श्री त्रिलोकचन्द्र कपूर के साथ (कलकत्ता में)

सातरोद विद्यालय में नेताजी सुभाष-बाबू, जिनके दायीं ओर 'जीवदया मंडल' के मन्त्री हरदत्त शर्मा तथा बायीं ओर डा० गोपीचंद भार्गव, बख्शी रामकृष्ण-एडवोकेट, पंडित नेकीराम शर्मा, ठाकुरदास भार्गव एम० एल० ए०, (केन्द्रीय), ला० मामनराम प्रबन्धकर्ता शिल्पशाला
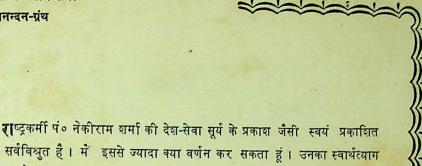
राष्ट्रकर्मी पं० नेकीराम शर्मा की देश-सेवा सूर्य के प्रकाश जैसी स्वयं प्रकाशित और सर्वविश्रुत है। मैं इससे ज्यादा क्या वर्णन कर सकता हूं। उनका स्वार्थत्याग अनुपम है। वे नयी पीढ़ी के लिए एक उज्ज्वल आदर्श हैं। मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी को पं० नेकीरामजी के चरित्र से चेतना मिल सके और इस प्रयत्न में आपकी समिति सफल हो।

—ग० वा० मावलंकर
(अध्यक्ष—केन्द्रीय लोकसभा)

नई दिल्ली, २७-११-५२

पं० नेकीरामजी शर्मा से मेरा परिचय ३५ वर्ष से भी अधिक का है, उस समय से जब कि वह राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर भाषण देने जब-तब यवतमाल आया करते थे। अनेक वर्षों तक ए० आई० सी० सी० के सदस्य के नाते भी मुझे उनके संसर्ग का लाभ मिला है। यह बहुत उचित ही है कि उनकी सेवाएं उन व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप में सम्मानित हों, जिनके लिए उन्होंने इतना भारी बलिदान किया है। मैं ग्रंथ प्रकाशित करने तथा कोष संग्रह कर उन्हें एक थैली भेंट करने के आपके प्रयास का अभिनंदन करता हूँ और पूरे हृदय से अपना सहयोग देता हुआ आपकी सफलता के लिए मंगल-कामना करता हूँ।

ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पंडितजी दीर्घजीवी हों और पूर्ण स्वस्थ रहें। उनकी सेवा में मेरा प्रणाम निवेदन कर दें।

४–१२–५२

—मा० श्री० अणे
(भू० पू० राजपाल—बिहार)

आपने पंडित नेकीरामजी शर्मा के अभिनन्दन और सम्मान करने का तय किया है, यह सुनकर खुशी हुई। पंडितजी एक पुराने देशभक्त हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया है। ऐसे देशभक्त का गौरव करना हमारा धर्म है।

वर्धा, ८–११–५२

—शंकरराव देव

मुझे हरियाणा की पवित्र भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वह भी हमारे एक प्रसिद्ध देशभक्त के अभिनन्दन समारोह के अवसर पर। मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। हरियाणा न केवल आप लोगों की मातृभूमि है, बल्कि हम दूर स्थित उत्तर-प्रदेश वालों की भी मातृभूमि है। क्योंकि हमारा पालन-पोषण हरियाणा की गायों के दूध से हुआ है। हरियाणा स्वयं पानी के

बिना सूखा है, परन्तु इसने दूर-दूर तक दूध की नदियां बहाई हैं। हम हरियाणा का नाम बहुत सुनते रहे हैं। पं० नेकीरामजी ने उसका नाम बहुत ऊंचा उठाया है। पंडितजी के अभिनन्दन में कलकत्ते तक के लोगों का शामिल होना, इतने मानपत्रों का भेंट किया जाना तथा देशभर के नेताओं द्वारा सन्देश भेजना पंडितजी द्वारा की गई महान सेवाओं का परिचायक हैं। यह वह जिन्दा शहीद हैं, जो आयु भर निस्वार्थ भाव से बलिदान देते रहे। इनका कर्ज हम सब पर चढ़ा है, जिससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते।

—महावीर त्यागी
(मंत्री—केन्द्रीय सरकार)

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पंडित नेकीरामजी शर्मा के सम्मानार्थ एक अभिननन्दन-समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मैं उक्त समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं भेजता हूँ।

लखनऊ २८-१०-५२

—गोविन्दवल्लभ पंत
(मुख्य—मंत्री उत्तरप्रदेश)

पं० नेकीरामजी शर्मा ने उन दिनों पंजाब को ही नहीं, बल्कि राजस्थान और दूसरे हिन्दी-भाषी प्रान्तों को भी जगाने का प्रयत्न किया, जब कि जगानेवालों की संख्या बहुत कम थी । राजनैतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में उनकी सेवाएं कदापि भुलाई नहीं जा सकतीं।

आज के नवयुवक उनके जीवन से बहुत-कुछ शिक्षा ले सकते हैं। भगवान उन्हें चिरायु करें!

अजमेर, २९-१२-५२

—हरिभाऊ उपाध्याय
(मुख्य-मंत्री—अजमेर)

पं० नेकीरामजी का सम्मान-समारोह उचित ही है। जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में व्यतीत किया है, उनकी ओर हम सब कृतज्ञता से देखें, यह स्वाभाविक है। पंडितजी दीर्घायु हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।

बम्बई, २५-१०-५२

—मोरारजी देसाई
(मुख्य-मंत्री—बम्बई प्रदेश)

देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में पं० नेकीरामजी शर्मा ने गौरवपूर्ण भाग लिया है। पंजाब में राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने में आपका बड़ा हाथ रहा है। मुझे आशा है कि यह अभिननन्दन-ग्रन्थ अपने ढंग का एक सुन्दर तथा अत्यन्त प्रेरणाप्रद प्रकाशन होगा।

मैं इस सद्प्रयत्न की सफलता चाहता हूँ।

ग्वालियर

—मिश्रीलाल गंगवाल
(मुख्य मंत्री—मध्यभारत)

मैं पं० नेकीरामजी शर्मा को पिछले पच्चीस-तीस वर्षों से जानता हूँ। राष्ट्रीय जागरण और स्वतन्त्रता-आन्दोलन में उन्होंने बड़ी लगन और त्याग-भाव से कार्य किया है। प्रत्येक आन्दोलन में उन्होंने बड़ी सहृदयता से भाग लिया। उनका उज्ज्वल, त्यागमय और कर्मशील जीवन बहुतों के लिए पथ-प्रदर्शक होगा, ऐसी मेरी आशा है।

नई दिल्ली, ४–११–५२ —मोहनलाल सक्सेना

पंडित नेकीरामजी शर्मा ने अपने जीवन में जो देश-सेवा की है, वह भुलाई नहीं जा सकती। यद्यपि वे अब वृद्ध हो जाने के कारण सार्वजनिक जीवन में उतना भाग लेने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तथापि उनका हृदय सदा देशहित के कार्यों में लगा रहता है। उनके अभिनन्दन का जो आयोजन हो रहा है, वह जनता के हृदय में उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है। पंडितजी ने राजनैतिक तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक कार्य किया है। आने वाले नवयुवकों के लिए वह उत्साहवर्द्धक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं।

कलकत्ता, ५–१२–५२ —ईश्वरदास जालान
(मंत्री—पश्चिमी बंगाल)

पं० नेकीरामजी शर्मा की सेवाओं के समारोह के लिए वधाई! मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि समारोह पूर्णतया सफल हो।

पं० नेकीरामजी शर्मा से मेरा पुराना परिचय है। देश,समाज तथा धर्म की सेवा में इनकी ख्याति निर्भीक और निष्पक्ष कार्यकर्ता की रही है। परमात्मा इनको चिरायु करें!

दुर्ग, २८–१०–५२ —घनश्यामसिंह गुप्त
(अध्यक्ष, धारा-सभा—मध्यप्रदेश)

भाई नेकीरामजी से हमारा बहुत ही पुराना परिचय है। उनकी मुझपर सदा कृपा रही है। उनकी सेवा और त्याग को मैं जानता हूँ। उनके जीवन के कुछ गुणों का मुझ पर असर है। उनकी लगन, उनकी निर्भीकता सराहनीय रही है और उनकी वक्तृत्व-कला बहुत प्रभावशाली है। श्री नेकीरामजी के समान देश-सेवी का सम्मान उचित कार्य है।

नागपुर, ११–११–५२ —ब्रिजलाल बियाणी
(मंत्री—मध्यप्रदेश)

अपने अति प्राचीन मित्र पंडित नेकीरामजी शर्मा का स्मरण आते ही हृदय आनन्दित हो उठता है। पंडित नेकीरामजी से मेरी सबसे पहली मुलाकात सन् १९१२ में फतेहपुर (जयपुर) के सेठ स्व० रामवल्लभजी नेवटिया के यहां हुई थी। मैं संग्रहणी रोग से ग्रस्त होकर मरुस्थल के जलवायु का लाभ लेने के लिए उक्त सेठजी के यहां ठहरा था और पंडितजी शायद सनातनधर्म के प्रचारार्थ वहां आए थे। हम लोगों ने साथ ही भोजन किया था। उस समय सेठजी के पौत्र स्व० रामकुमार नेवटिया मेरे बगल के चौके में बैठे थे। थालियां परोसी जा चुकी थीं, पर भोजन शुरू नहीं हुआ था। मेरी कटोरी में दही अधिक था। नौकर को मैं कम करने को कह रहा था। रामकुमार ने मेरी कटोरी उठा ली और उसकी जगह अपनी रख दी, जिसमें दही कम था। भोजन के पश्चात् पंडितजी ने मुझे अलग ले जाकर मेरी भर्त्सना की और कहा, "आप ब्राह्मण होकर वैश्य के हाथ का छुआ खाते हैं। पीछे उन्हीं पंडितजी की जेल-यात्रा का समाचार पढ़कर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था।

दूसरी मुलाकात कलकत्ते में हुई थी। पंडितजी मुझे लोकमान्य तिलक से मिलाने ले गए थे। मैं माला पहनाने लगा तो माला का तागा टूट गया, या गांठ खुल गई। पंडितजी बगल ही में थे। आपने धीरे से कहा, "टूटी माला नहीं पहनानी चाहिए।" सुनकर मैंने माला के फूल तागे में से निकालकर लोकमान्य पर चढ़ाए थे।

इसके बाद कई बार मिलना हुआ, पर कोई उल्लेख-योग्य घटना याद नहीं।

फिर तो समाचार-पत्रों में पंडितजी की देश-सेवा, समाज-सेवा और अग्रगामिता के समाचार पढ़कर हर्षित होता रहा। पंडितजी ने पहले स्वयं अपने पर विजय प्राप्त की, फिर स्वाधीनता-संग्राम के एक कर्मिष्ठ सेनानायक की भांति आगे चलकर देश को विजय प्राप्त कराने में पूरी सहायता दी। भारत के स्वाधीनता-संग्राम में सहयोग देनेवाला किसी स्थान-विशेष का नहीं, बल्कि सारे देश का सैनिक माना जायगा। पंजाब के निवासी ही नहीं, अन्य प्रान्तों के हम लोग भी पंडितजी की सेवाओं का सम्मान करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने से समाज का भी गौरव बढ़ता है।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे वयोवृद्ध, सदा समय के आगे चलने वाले, निर्भीक और ज्ञानवान् नेता का अभिनन्दन किया जा रहा है। मैं भी हृदय से इसमें सम्मिलित हो रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंडितजी शतायु हों। वयोवृद्ध के लिए आयु से बढ़कर और प्यारी वस्तु कोई नहीं।

सुलतानपुर, ३१-१०-५२

—रामनरेश त्रिपाठी
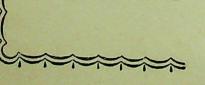
श्रद्धेय पंडित नेकीरामजी शर्मा के सत्संग का सौभाग्य आज से पच्चीस वर्ष पूर्व मुझे कई दिनों के लिए प्राप्त हुआ था। उस समय हम दोनों श्री बैजनाथजी चौबे की दिल्लीवाली दुकान पर उनके उत्तराधिकारी स्व० हजारीलाल के अतिथि थे।

पंडित नेकीरामजी के अनेक स्फूर्तिप्रद तथा मनोरंजक अनुभव उन्हीं दिनों उनके श्रीमुख से हमने सुने थे और वे अबतक हमारे स्मृति-पटल पर अंकित हैं। एक बार उनकी ओजस्वी वाणी का प्रसाद भी इटावा की एक सार्वजनिक सभा में मिला और तब हम समझ सके कि जनता को वे किस प्रकार मन्त्रमुग्ध कर लेते हैं।

जन-जाग्रति के लिए जो महान कार्य इस तपस्वी 'ब्राह्मण' ने पिछले ४०–४५ वर्षों में किया है, उसका मूल्यांकन हम अब तक नहीं कर पाए। वर्ण-व्यवस्था में विश्वास न रखते हुए भी हम 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर रहे हैं, क्योंकि शर्माजी ने इस गये-गुजरे जमाने में भी 'ब्राह्मण' शब्द के गौरव की रक्षा की है।

श्री शर्माजी हम लोगों से एक पीढ़ी आगे के हैं—वर्तमान कार्यकर्ताओं के लिए या तो वे पितृतुल्य हैं अथवा उनके अग्रज। उनके अभिनन्दन से हम सबका गौरव बढ़ेगा। उनकी सेवा में हमारा शतशः प्रणाम।

—बनारसीदास चतुर्वेदी

नई दिल्ली

पंडितजी की देश-सेवायें कभी भुलाई नहीं जा सकतीं। पंजाब के सार्वजनिक जीवन पर उनका बड़ा उपकार है। मुझ पर तो उनका विशेष स्नेह है। दुःख है कि कुछ वर्षों से रोगी होने के कारण वे सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले रहे। परमात्मा से हम सबकी प्रार्थना है कि उन्हें रोग-मुक्त करें। मैं अभिनन्दन की योजना में आपके साथ हूँ।

—इन्द्र विद्यावाचस्पति

दिल्ली, २४-१०-५२

यदि पंडित नेकीराम शर्मा पंजाब के राजनैतिक संग्राम में अपनी सारी शक्ति न लगाते तो पंजाब का स्वराज्य-संग्राम-संबंधी अध्याय इतनी चमक दिखाने में समर्थ न होता। पंडित नेकीराम शर्मा की सिंह-गर्जन ने पंजाब में आग लगा दी। लाला लाजपतराय के बाद वे ही पंजाब को हिला देने में समर्थ हुए। यदि वे धार्मिक क्षेत्र में ही जमे रहते तो भारत को पता ही न लगता कि पंजाब में इतना जबर्दस्त वक्ता मौजूद है। मैं पंडित नेकीराम शर्मा का लोहा चुपचाप मान लेता रहा। पंडितजी जब समाज-सुधार के क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने समाज में हड़कम्प पैदा कर दिया और समाज के पीड़ित अंग को ऐसा पता चला कि उसे कोई नया मसीहा मिल गया। बाल-विधवाओं को अपना उद्धार संभव दिखाई दिया और हरिजनों के लिए बापू ने शर्माजी को उपयुक्त उद्धारक माना। राजनैतिक और सामाजिक

क्षेत्रों में काम करते हुए शर्माजी इस तेजस्विता का परिचय देने लगे कि लोग उन्हें धर्म-प्रचारक मानने लगे। मित्र लोग उनसे मुलाहजे की आशा एकदम त्याग बैठे। शर्माजी ने मार्ग के सभी कांटों पर जबर्दस्त प्रहार किया और अपना जन्म सफल कर दिखाया। पंडितजी सरीखा तूफानी आदमी अवसरवादी बनकर लक्षाधीश और बहुत बड़ा जागीरदार बन सकता था, परन्तु लोकमान्य तिलक से दीक्षा लेकर उन्होंने देश-सेवा का जो कार्य आरम्भ किया, वह उनका जीवन-साथी बन गया। किसी को जरा अनुभव न हुआ कि यह तपस्वी नेता अंगरेजी न जानने पर भी राजनैतिक हलचलों में इतनी प्रवीणता दिखा सकता है। बापू ने हमेशा इन्हें अपना विश्वासभाजन माना और देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज को युगधर्मी बनाने वाला यदि कोई है तो महात्मा गांधी नहीं, पंडित नेकीराम शर्मा ही हैं।

शर्माजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मुझे जो हार्दिक प्रसन्नता अनुभव हो रही है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती।

कलकत्ता:

—मूलचन्द्र अग्रवाल
(संचालक-'विश्वमित्र')

श्री पं० नेकीरामजी शर्मा पंजाब के नेता तो हैं ही, परन्तु उनकी कर्मण्यता और भाषणपटुता समस्त भारत में गूंजती रही है। वे असहयोग युग के महान् निर्भीक नेता थे। उनके भाषण के समय लोग पत्थर की मूर्त्ति की तरह स्थिर बैठे थकते नहीं थे। उनका अमरबेल वाला भाषण उन्हीं की उपज और न उन्ही की वाणी का भूषण था। वे जैसे भाषण में पटु थे, वैसे ही जेल की चक्की पीसने में भी आगे थे और इन्हीं परिश्रमी कर्मों ने उनके समीप बुढ़ापे को बैठाया है। यदि हम गौर से देखें तो उनके मुकाबले के नेता, स्पष्ट वक्ता और भाषणपटुता में शायद ही कोई दूसरा मिले। मैंने उनके भाषण सुने हैं। मैं उनके भाषणों पर मोहित था। आप जो कर रहे हैं, वह उपयुक्त और उचित ही है।

संगरिया, ४-११-५२

——केशवानन्द

पं० नेकीरामजी को हम लोग १९२० के पहले से जानते हैं। १९२० के असहयोग-आन्दोलन में उन्होंने जो भाग लिया और उसके बाद जेल में गये, वह हमें आज भी याद है। उसके बाद हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जितनी लड़ाइयां या आन्दोलन हुए, उन सब में पंडितजी ने अपना भाग बिना किसी हिचकिचाहट के निर्भयता-पूर्वक अदा किया। समाज-सुधार के मामलों में भी पंडितजी का हिस्सा काफी बड़ा है। पर्दा-निवारण, विधवा-विवाह-प्रचार, अस्पृश्यता-निवारण आदि हरेक कार्य में उन्होंने बराबर मदद की। ऐसे महानुभाव का अभिनन्दन होते देख कर हमें प्रसन्नता होती है। इस
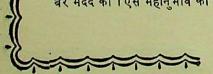
मौके पर हम पंडितजी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रकट करते हुए उनके स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

कलकत्ता —सीताराम सेकसरिया
५–१२–५२ —भागीरथ कानोड़िया

पं० नेकीरामजी शर्मा से मेरा परिचय लगभग १९२१ से है। जब वह असहयोग-आन्दोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे, मेरा मन उनसे बहुत प्रभावित हुआ। पंडितजी हमेशा से ही निर्भीक रहे हैं। जब कभी अवसर आया, वह सिंह की दहाड़ के रूप में गरजते रहे। अब भी जब मौका आता है, स्वास्थ्य के ठीक न होते हुए भी वह वैसे ही बोलते हैं।

समाज और राष्ट्रसेवा के कामों में पंडितजी सदा अग्रगण्य रहे हैं। कोई भी सामाजिक या राष्ट्रीय काम सामने आया, पंडितजी से हमेशा यही प्रेरणा मिली—आगे बढ़ो और ठोस काम करो। वह स्वयं अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहे हैं। आज उसी का फल है कि हर जगह जाग्रति है और हो रही है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंडितजी दीर्घजीवी हों और अपने संगी-साथियों तथा देशवासियों को देश-सेवा के लिए उत्साहित करते रहें।

कलकत्ता, ३–१२–५२ —रामकुमार भुवालका

पं० नेकीरामजी शर्मा हमारे समाज के उन महान व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने राष्ट्र के नव-निर्माण में पूरा भाग लेते हुए समाजोत्थान में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। मैं पंडितजी को ४० वर्ष से जानता हूँ। जिस समय लोग पुराने विचारों का प्रचार कर रहे थे, पंडितजी ने नवयुवकों को देशभक्ति और समाज-सुधार की प्रेरणा दी थी। सन् १९१८ में जब अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल सभा की स्थापना के लिए स्वर्गीय सेठ जमनालालजी प्रयत्न कर रहे थे, पंडित नेकीरामजीने आकर जमनालाल जी का साथ दिया और उनका उत्साह बढ़ाया। उसी समय पंडितजी के सम्पर्क में मुझे विशेष रूप से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडितजी में अद्भुत लगन थी और अपूर्व उत्साह था। उनमें अकाट्य देशभक्ति थी। वे हमारे समाज के प्रसिद्ध सुधारक थे। उसके बाद पंडितजी स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लेते हुए सामाजिक सुधार का कार्य आगे बढ़ाते चले आ रहे थे। मारवाड़ी-समाज में बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लेते हुए पर्दा-प्रथा के बहिष्कार-आन्दोलन के चलाने में पूरा साथ दिया था। सन् १९२९ में हमारा शिष्ट-मण्डल भारतवर्ष में पर्दा-प्रथा के विरोध में दौरा करने निकला था, उस समय पंडितजी ने उस शिष्ट-मण्डल को भिवानी में निमन्त्रित कर एक विराट सभा का आयोजन किया था तथा उसके नेतृत्व का भार स्वयं अपने ऊपर लिया
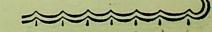
था। आज से पच्चीस वर्ष पूर्व विधवा-विवाह का नाम लेने पर समाज द्वारा नाना प्रकार के प्रहार किए जाते थे। उस समय पंडितजी विधवा-विधवा के प्रचार के अगुवा बने थे। १९२६ में नागरमल जी का एक बाल-विधवा के साथ कलकत्ता में विवाह होना स्थिर हुआ था। उस समय सौभाग्यवश पंडितजी कलकत्ता में ही थे। पंडितजी किसी दूसरे कार्य के लिये लाखों रुपया चन्दा एकत्रित करने के लिए यहां आए थे, किन्तु उन्होंने सनातन-धर्मी भाइयों से स्पष्ट कह दिया कि मुझे आप लोगों का चन्दा नहीं चाहिए। मैं तो उस विधवा-विवाह का संस्कार कराऊंगा। इस तरह उन्होंने लाखों रुपये के चन्दे पर लात मार दी, परन्तु अपने सिद्धान्त पर अटल रहे। उसी विवाह ने कलकत्ता के मारवाड़ी-समाज में क्रान्ति पैदा कर दी है। पंडितजी के व्याख्यान की प्रतिभा ने राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उथल-पुथल मचा दी थी।

हम पंडितजी का अभिनन्दन करते हैं। हमारी कामना है कि पंडितजी अमर हों!

कलकत्ता, १९–१२–५२

—बसन्तलाल मुरारका
(सदस्य, विधान सभा, पं० बंगाल)

पंडित नेकीरामजी ने भिवानी में रहकर पंजाब की राजनीति में काफी हाथ बंटाया। आपने कई बार जेल-यात्रा की। आपने समाज-सुधार के कार्य में भी काफी हिस्सा लिया। करीब दस वर्ष पहले आपके साथ दो दिन बम्बई में रहने का अवसर मिला। आपको अपनी लड़की की शादी करनी थी। लोग बात करने आते थे। उस समय आप बड़े निर्भीक होकर कहते थे, "भाई, मैंने अपनी लड़की को घूंघट निकालना नहीं सिखाया है। इसलिए विवाह बिना पर्दे के होगा। दूसरे, मैंने रुपये इकट्ठे नहीं किये हैं, विवाह बिना दहेज के होगा।" कितनी सुन्दर तथा सीधी बात थी। आज अगर सभी लड़कियों के माता-पिता इन वाक्यों को दुहराने लगे जायं तो समाज का बड़े-से-बड़ा संकट दूर हो जाय।

पंडितजी का अभिनन्दन हो रहा है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है।

कलकत्ता, ५–१२–५२

—बजरंगलाल लाठ

पं० नेकीरामजी देश के उन सपूतों में से हैं, जिन्होंने देश को स्वतन्त्र करने में अपने आपको बलिदान कर दिया। स्व० लोकमान्य तिलक के स्वाधीनता-आन्दोलन में मेरा उनसे परिचय हुआ था और तबसे लगातार आजादी के आन्दोलन में आगे की कतार में वे आगे कदम बढ़ाते दिखाई दिये। राजनीति के अलावा वे सामाजिक विषयों में भी बहुत भाग लेते थे। राजस्थानी समाज में आज जो सुधारों की लहर उठ रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय शर्माजी को है।

ऐसे महान् कर्मनिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करना देश का सम्मान करना है। मैं भी अपने प्रेम और श्रद्धा के दो पुष्प चढ़ाता हूँ।

कलकत्ता, ५–१२–५२

—तुलसीराम सरावगी

पं० नेकीरामजी शर्मा के नाम और उनकी सेवाओं से पंजाब के ही नहीं, सारे भारत के राष्ट्रकर्मी जन परिचित हैं। उन्होंने समाज और देश की अपूर्व सेवा की है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोकहित के सामने उन्होंने वैयक्तिक महत्वाकांक्षा अथवा निजी लाभ को कभी महत्व नहीं दिया।

पंडितजी का अधिकांश जीवन त्याग और बलिदान से परिपूर्ण है। उनकी जैसी निर्भीकता, परिश्रमशीलता और सेवा-परायणता बहुत कम लोगों में मिलती है। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण अब उनका शरीर शिथिल हो गया है, फिर भी वह देश की उन्नति और समाज के नवनिर्माण के लिए चिंतित रहते हैं।

आज देश की स्थिति बदल गई है। अपना राज्य है, अपने शासक हैं। पर उन दिनों, जब कि देश के शासन की बागडोर विदेशियों के हाथ में थी और देश की सेवा का मतलब होता था भयंकर यातनाएं, पंडितजी ने खुशी-खुशी मुसीबतों का सामना किया। सेवा के राजमार्ग पर एक बार चल पड़े तो जीवन भर चलते ही रहे।

वाणी के वह धनी रहे हैं। अपनी वक्तृत्व-कला से उन्होंने सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में नई स्फूर्त्ति पैदा की है। उनका त्याग स्पृहणीय है। ऐसे महापुरुष का अभिनन्दन करना अपने को गौरवान्वित करना है। मैं विनम्रभाव से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

नई दिल्ली, २–१२–५२

—यशपाल जैन
(संपादक—'जीवन साहित्य')

ऐसे कठिन समय में जबकि स्वतन्त्रत का नाम तक लेना तत्कालीन विदेशी शासकों की दृष्टि में एक भयानक अपराध माना जाता था, श्रद्धेय पं० नेकीराम शर्मा ने निर्भयता, दृढ़ता तथा उत्कृष्ट देशभक्ति का परिचय देते हुए हरियाणा की जनता में राजनैतिक जागृति एवं सामाजिक चेतना का मंत्र फूंका। पंडितजी के ओजस्वी भाषणों का शताब्दियों से निराश तथा निःशक्त जनता पर भी जादू जैसा प्रभाव होता और उनमें नवजीवन का संचार होने लगता। पंजाब की गरीब जनता का बेगार जैसी लानत से गला छुड़ाने का श्रेय इसी राजनैतिक योद्धा को है। पं० नेकीरामजी ने जीवन भर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वाधीनता-संग्राम में जो एक वीर सेनानी का हिस्सा अदा किया है, उससे हरियाणा का सिर ऊंचा रहेगा।

भिवानी.

—बनारसीदास गुप्त
(संपादक—'अपना देश')

पं० नेकीरामजी शर्मा के सम्मान और अभिनन्दन करने का जो कार्य आपने उठाया है, सो ठीक है। इस संबंध में दो मत नहीं हो सकते।

मुझे पूर्ण आशा है कि जो कार्य आपने अपने हाथ में उठाया है, उसमें भगवान आपको पूर्ण सफलता देगा।

कानपुर, १–१२–५२

—पदमपत सिंहानिया

तीस-पेंतीस साल पहले, जब न हरिजनों के कष्टों की परवाह थी, न गांव वालों की कठिनाइयों पर ध्यान था, अंगरेज प्रभुओं की खुशामद करना ईश्वर-भक्ति से भी बड़ा समझा जाता था, उस विकट समय में जब देश भर में बेगार का बोलवाला था, तब पंडितजी ने सर्वप्रथम बेगार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। बेगार का प्रश्न सरकारी नौकरों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न था। वे बेगार से खाने-पीने का सामान और कपड़े ही नहीं प्राप्त करते थे, सवारी और उनकी मजदूरी का काम भी मुफ्त ही चलता था। हरिजनों के लिए तो बेगार का कष्ट असहनीय था। हरियाणे के लोग कहा करते थे, "चमार के लिए स्वर्ग में भी बेगार है।" हरिजनों की बहू-बेटियां भी बेगार लेनेवालों से सुरक्षित नहीं थीं। पंडितजी के आन्दोलन के कारण पंजाब में ही बेगार-प्रथा बन्द नहीं हुई, सारे देश पर इसका प्रभाव पड़ा। पंडितजी का नाम ही 'बेगारी' पड़ गया।

पंडितजी ने राजनैतिक कार्य तिलक महाराज के साथ रह कर आरम्भ किया। आपकी सूझ-बूझ और भाषण की शैली बड़ी अपूर्व है। उन दिनों लाउड स्पीकर नहीं थे। दस-दस, बीस-बीस हजार की उपस्थिति में आपका भाषण सब सुन सकते थे। पंजाब और दिल्ली में सर्वप्रथम सरकार ने पं० नेकीरामजी पर ही वार किया। उनकी जबान पर प्रतिबन्ध लगाया गया। सन् १९२१ में दो साल की जेल की हुई। कितने ही दिन चक्की की कोठरी में रक्खा गया। जब-जब जेल जाने का समय आया, आप किसी से पीछे नहीं रहे। आपके भाषणों के कारण हजारों लोगों के मन में कांग्रेस और देशभक्ति की लहर दौड़ गई।

सन् १९३८–४० में हरियाणा और बागड़ के इलाके में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। पंडितजी ने इस अकाल में बहुत अधिक काम किया। आपको कांग्रेस कहत कमेटी, का प्रधान बनाया गया। आपने महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की सरकार सहायता देने के लिए तैयार हुई। पंजाब सरकार ने सहायता-कार्यों पर लाखों रुपया खर्च किया।

जब भी देश की स्वतन्त्रता का सच्चा इतिहास लिखा जायगा, पंडित नेकीराम शर्मा का स्थान बहुत ऊंचा होगा। पंडितजी ने अपनी सारी जवानी ही नहीं, बुढ़ापा भी देश-सेवा के लिए अर्पण कर दिया है। मेरा उनका तीस साल से परिचय है। मैं पंडितजी को अपना राजनैतिक गुरु मानता हूँ।

हिसार. —हरदेव सहाय

पंडितजी के महान् व्यक्तित्व, कर्तव्यपरायणता, कर्मनिष्ठता, कर्मवीरता और दूरदर्शिता का मैं प्रशंसक रहा हूँ। अपने गत १५ वर्ष के इस निकट सम्पर्क

में मैंने उनको सच्चा जन-सेवक, आदर्शवादी तथा अति प्रभावशाली वक्ता पाया है। उनकी उच्च भावना, त्याग, सेवा और हार्दिक मानवी करुणा ने उनको सबका स्नेह-भाजन बना दिया है।

भिवानी, २४-१२-५२ —पुष्करदत्त

हिन्दी-भाषी प्रदेशों के पिछली पीढ़ी के सार्वजनिक कार्यकर्ता श्रद्धेय पं० नेकीरामजी शर्मा के नाम से परिचित हैं और हरियाणा के तो गांव-गांव एवं घर-घर में पंडितजी का नाम गूंजता रहा है। भिवानी के किसी भी सार्वजनिक कार्य के विषय में आपके बिना सोचा भी नहीं जा सकता था।

पंडितजी ऊंची एवं गूंजती हुई आवाज से मुहावरेदार शुद्ध हिन्दी में भाषण करते हैं और बीच-बीच में विनोद की पुट भी देते जाते हैं। भिवानी में अपने विद्यार्थी-जीवन में राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में घोर सर्दी में रात को केवल आपका ओजस्वी भाषण सुनने की खातिर मैं सभाओं के अन्त तक बैठा रहा करता था। स्थानीय अधिकारियों की भी आप कड़ी आलोचना किया करते थे। आपकी सभाओं में खूब भीड़ होती थी और जनता आपके भाषण से बहुत प्रभावित होती थी। व्याख्यान-वाचस्पति स्व० पंडित दीनदयालजी शर्मा के बाद हरियाणा को आपकी वाग्मिता के लिए उचित गौरव है।

देश के प्रत्येक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में आपने भाग लिया है। हिन्दू महासभा के तो आप संस्थापकों में से हैं। सनातन धर्मावलम्बी होते हुए भी समाज-सुधार में आप कितने ही आर्यसमाजियों तक को बहुत पीछे छोड़ गये हैं।

पंडितजी कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं। अपनी त्याग-तपस्या, परिश्रम, तत्परता, संगठनशक्ति आदि गुणों के बल पर हमारे पिछड़े हुए इलाके में राष्ट्रीय आन्दोलन की पताका हमेशा ऊँची रखने में आप सफल हुए हैं। आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा जेल की चहार-दीवारी के भीतर व्यतीत हुआ है।

सेवा ही आपके समूचे जीवन की कमाई है। आपके व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सादगी एवं मधुरता है। अपनी कांग्रेस-निष्ठा के साथ-साथ आपने हिन्दू-हितों का भी ध्यान रक्खा है और यह आपकी विशेषता है।

अभिनन्दन-आयोजन के इस अवसर पर श्रद्धेय पंडितजी को प्रणाम निवेदन करता हुआ कामना करता हूँ कि उनके अनुभव, सूझ-बूझ, परामर्श एवं प्रेरणा का लाभ हम सुदीर्घ काल तक उठाते रहें।

"आपकी उम्र हो हजार बरस, हर बरस के दिन हों पचास हजार।"

—मुरलीधर दिनोदिया

दिनोद.

आज से ३५ लगभग साल पहले की बात है, मैं उस समय म्युनिस्पिल बोर्ड हाई स्कूल, भिवानी में शायद ८वीं या ९वीं श्रेणी में पढ़ता था। एक दिन मैं स्कूल से आकर श्रीरामचन्द्रजी वैद्य से मिलने चला गया। इधर-उधर की बहुत-सी बातें होतीं रहीं। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए दीं तथा एक पुस्तक की ओर इशारा करते हुए बोले, "घर पहुंचते ही सबसे पहले इस किताब पर पेंसिल से लिखा नाम रबर से मिटा देना। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि यह नाम एक ऐसे आदमी का है, जिसको आज की सरकार काफी खतरनाक समझती है और स्कूल में पढ़नेवाले तुम जैसे छात्रों के लिए सरकार ऐसे आदमियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करेगी। वह किताब थी 'आल इंडिया कांग्रेस की रिपोर्ट' और उस पर नाम था श्रद्धेय पं० नेकीरामजी शर्मा का। इससे जाहिर होता है कि १९१७-१८ में पं० नेकीरामजी को सरकार कितना खतरनाक समझती थी।

मुझे उसी समय उनके दर्शन करने की इच्छा हुई, मगर १९१९ तक पूर्ण न हो सकी। सबसे पहले जब मैंने पंडितजी के दर्शन किये वह था ३० मार्च १९१९ का दिन। वह कटरा लाला नन्दराम (भिवानी) में आयोजित सार्वजनिक सभा में काले कानून (रालेट बिल) के विरुद्ध बोलते हुए महात्मा गांधीजी के आदेश को समझा रहे थे। जनता की अपार भीड़ थी और लोग पूर्ण शान्ति से पंडितजी के व्याख्यान को सुन रहे थे। उनकी आवाज जनता के दिल में काफी असर कर रही थी। उन दिनों पंडितजी महामना मालवीयजी की तरह गले में दुपटा डालते थे और सिर पर पगड़ी बांधते थे और सम्भवतः वह हिन्दुस्तान की बनी हुई मिलों का कपड़ा होता था। १९२० के आन्दोलन के बाद तो वे शुद्ध खादी पहनने लगे।

राजनैतिक मामलों में व्यस्त होते हुए भी पंडितजी ने भिवानी के दूसरे सार्वजनिक जीवन में हमेशा भाग लिया है। १९२८ या इसके आस-पास की बात है। मित्रों ने महसूस किया कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए,जहां १०-१२ दोस्त शाम को एकत्रित होकर कुछ खेल-कूद कर दिल बहला सकें। अतः 'हिन्दू क्लब' के नाम से संस्था स्थापित हुई। सम्भवतः पंडितजी ही उसके पहले अध्यक्ष थे और उन्हीं की चेष्टा से जगह प्राप्त हुई जहां अब भी उसका भवन मौजूद है। उसमें टैनिस कोर्ट और क्लब हाउस इत्यादि बनवाने के लिए धन इकट्ठा करने में भी पंडितजी का ही प्रमुख हाथ था।

क्लब में खेल-कूद के साथ-साथ साहित्यिक विभाग भी चालू हुआ। उसमें भी पंडितजी का काफी हाथ था। इस साहित्यिक विभाग की ओर से क्लब में समय-समय पर सार्वजनिक व्याख्यानों का भी प्रबन्ध होता था।

भिवानी अनाथालय से पंडितजी का विशेष प्रेम रहा। अनाथालय के वार्षिक उत्सवों पर पंडितजी के जनता से अनुरोध करने पर पर्याप्त मात्रा में न केवल धन संग्रह ही हो जाता था, अपितु जनता के हृदय में अनाथालय के बालक तथा बालिकाओं के प्रेम और सहानुभूति की भावना भी जाग्रत हो जाती थी। श्री कुं० सुखलालजी आर्य 'मुसाफिर' और पंडितजी दो व्यक्ति थे, जिनके कारण अनाथालय के वार्षिक उत्सव काफी सफल हुआ करते थे।

रूढ़िवाद के तो पंडितजी कट्टर दुश्मन रहे हैं। १९३० के करीब की बात है। उस जमाने में भिवानी में पर्दे के विरुद्ध बोलना नई-सी चीज मालूम देती थी। पंडितजी ने अपने पुत्र भाई मोहनकृष्ण का विवाह बिना पर्दे के किया। रूढ़िवाद का गढ़ भिवानी में रहते हुए भी उन्होंने अपनी लड़की का विवाह-संस्कार लगभग २० वर्ष पहले दिन में सूर्य की साक्षी में किया था। इसके कारण वहां के ब्राह्मणों में काफी हलचल पैदा हुई थी।

हरिजनों के साथ खाना-पीना और उनकी बस्तियों में जाकर सफाई का काम करना एक राजनैतिक कार्यकर्ता के नाते उनके जीवन का एक अंग हो गया था।

जब मैं बच्चा ही था तो एक दिन सुना कि डिप्टी कमिश्नर हिजार से भिवानी आए हुए हैं और शहर के हलवाई तथा दूसरे दूकानदारों को अपना सामान डाकबंगले में ले जाना होगा और बहुत-ही सस्ते दामों पर डिप्टी साहब को देना होगा। पूछने पर मालूम हुआ कि यह सब काम शहर के दूकानदारों को अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है और किसी भी व्यक्ति की इसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती। इस तरीके से सस्ते दामों पर सरकार के अफसरों के लिए सामान बेचने का नाम 'कसर' था। इसी प्रकार बेगार की प्रथा प्रचलित थी। १९२० में पंडितजी का ध्यान इन दोनों बुराइयों की ओर गया और एक जबर्दस्त आन्दोलन करने से सरकार को इन बुराइयों को रोकना पड़ा। देहाती इलाकों में कई जगह पंडितजी को इस कारण 'बेगारवाला पंडित' कहते सुना गया है।

पंडितजी अब काफी अस्वस्थ हैं और इस कारण देश-हित की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में सक्रिय भाग नहीं ले सकते। फिर भी उनके हृदय में देश-हित की लगन पहले से कहीं अधिक है।

ईश्वर स प्रार्थना है कि वे स्वस्थ होकर देश का पथ-प्रदर्शन करते रहें।

—हरदत्तराय गुप्ता

कलकत्ता, १९-३-५३
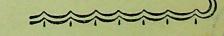
अभिनन्दन-समारोह

रविवार ८ फरवरी को दिन के ३॥ बजे भिवानी में 'वीर पूजा समिति' के तत्वावधान में कटला ला० नन्दराम में पं० नेकीराम जी शर्मा के अभिनन्दनार्थ सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया। केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री महावीर त्यागी दिल्ली से विशेष रूप से इस समारोह की अध्यक्षता के लिए पधारे। उपस्थित व्यक्तियों में श्री ठाकुरदास भार्गव (एम० पी०), ला० अचिंत्यराम (एम० पी०), पं० रामकुमार (एम० एल० ए०), श्री मामराज (एम० एल० ए०), बा० जुगुलकिशोर एडवोकेट (हिसार), श्री रामचन्द्र वैद्य, श्री हनुमान प्रसाद मोदी, श्री मेलाराम मोदी, स्वामी कृपाराम, श्री गोपीराम सेवारामका, श्री बाबूलाल हिम्मतरायका (सेक्रेटरी, टी० आई० टी०), श्री मोतीराम चिड़ीपाल (सीनियर वाइस प्रेसीडेंट—म्युनिसिपल कमेटी, भिवानी), आदि के नाम उल्लेखयोग्य हैं। छः-सात हजार व्यक्ति समारोह में सम्मिलित हुए, जिनमें चार-पांच सौ महिलाएं भी थीं।

सर्वप्रथम श्री हरदत्तराय सुग्ला, मंत्री, पं० नेकीराम शर्मा अभिनन्दन-समिति, कलकत्ता ने आगत महानुभावों का स्वागत करते हुए बताया कि अभिनन्दन का विचार किस प्रकार उदय हुआ और किस प्रकार कार्य अग्रसर हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के बनाने में दो विचारधाराएं काम कर रही थीं। प्रथम यह कि जिस व्यक्ति ने इतनी लम्बी सेवाएं की हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना अपने कर्त्तव्य का पालन करना है। दूसरे ऐसा करने से वहां के सेवा-भावी व्यक्तियों के सम्मान की भावना का संचार होगा। उन्होंने कहा कि समारोह कलकत्ते में करने का विचार था, लेकिन पंडितजी की अस्वस्थता के कारण भिवानी में ही करना पड़ा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि पंडितजी का स्वास्थ्य ठीक रहा और स्थिति अनुकूल हुई तो एक और समारोह कलकत्ते में करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री ठाकुरदासजी भार्गव, श्री जुगुलकिशोरजी एडवोकेट तथा ला० अचित्यरामजी ने भी पंडितजी और उनकी सेवाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अभिनन्दन-समिति की ओर से श्री सुग्लाजी ने पंडितजी को ग्यारह हजार रुपये की राशि समर्पित की।

इस अवसर पर भिवानी की लगभग एक दर्जन सार्वजनिक संस्थाओं ने पंडितजी का सम्मान करते हुए उन्हें अभिनन्दन-पत्र तथा पुष्पमालाएं समर्पित कीं। इन संस्थाओं में म्यूनिसिपल कमेटी, कांग्रेस कमेटी, सोशलिस्ट पार्टी, आर्यसमाज, आर्य वीर दल, व्यापारी संघ आदि के नाम उल्लेखयोग्य हैं।

अध्यक्ष-पद से दिये गए भाषण में श्री त्यागीजी ने पंडितजी के प्रति जो भावनाएं प्रकट कीं, वे संक्षेप में इस ग्रन्थ में अन्यत्र दी जा रही हैं।

अभिनन्दन का पंडितजी द्वारा किया गया उत्तर उनकी महानता का द्योतक है। वे उद्गार इस ग्रंथ के प्रारम्भ में दे दिये गये हैं। उनके ये शब्द कि —"मुझे प्रसन्नता है कि मैं युद्ध-भूमिमें जख्मी हुआ हूँ, घर में लेटकर बीमार नहीं हुआ"—सेवा का एक महान आदर्श उपस्थित करते हैं।

अंत में 'वीर पूजा समिति', भिवानी के संयोजक श्री देशबंधु गुप्त शास्त्री ने उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद दिया और उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट किया, जिन्होंने समारोह को सफल बनाने में योग दिया था।

पं० नेकीरामजी शर्मा के अभिनन्दन में आयोजित सभा में प्रवेश करते हुए (बाएं से दाएं) श्री बाबूलाल मंत्री, टी० आई० टी० बनारसीदास गुप्त (सम्पादक 'अपना देश'), श्री महावीर त्यागी (केन्द्रीय मंत्री), पं० नेकीराम शर्मा और पं० ठाकुरदास भार्गव एम० पी०।

श्री महावीर त्यागी और पंडितजी बातें कर रहे हैं।

पंडित
नेकीराम अभिनन्दन
समिति कलकत्ता के
मंत्री श्री हरदत्त राय
सुक्ला पंडितजी को
११,०००) का चेक
भेंट कर रहे हैं।

अभिनन्दन का पंडित
जी उत्तर दे रहे हैं।